



**Government Pataleshwar College Masturi
District- Bilaspur (C.G) -495551**

**3.3.2 Number of research papers per teachers in the Journals notified
on UGC website during the last five years (10)**

Title of paper	Name of the author/s	Department of the teacher	Name of journal	Year of publication	ISSN number	Link to the recognition in UGC enlistment of the Journal /Digital Object Identifier (doi) number		
						Link to website of the Journal	Link to article/ paper/a bstract of the article	Is it listed in UGC Care list/ Scopus/Web of Science/other, mention
चौन अपराध – बलात्कार(धारा-376)	Dr. Durga Bajpai Assistant Professor	Sociology	Kritika	2016	0974-0002	http://kritika-shodh.blogspot.com		No
छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था एवं मानवाधिकार			Education Waves	2016	0975-8771	www.educationalwaves.com		No
छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या वृद्धि – एक भौगोलिक विश्लेषण	Dr. K. R. Matawale Assistant Professor	Geography	Vidyawarta	2016	23199318	www.vidyawarta.com		no
ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा का प्रभाव	Dr. Sujata Samuel Assistant Professor	Pol. Science	Kritika	2016	0974-0002	http://kritika-shodh.blogspot.com		NO
वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार			Education Waves	2016	0975-8771	www.educationalwaves.com		NO

वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार	Smt Kanti Anchal Assistant Professor	Pol. Science	Education Waves	2016	0975-8771	www.educationwaves.com		No
Synthesis and Ion Condition Mechanism on Hot Pressed sodium ion conducting nano Composite Polymerelectrolyte	Dr. Smt Kiran thakur Assistant Professor	Chemistry	Arabian J. Chemistry 9	2016	volume-9 Issue 3	https://www.journals.elsevier.com/arabian-journal-of-chemistry		Yes
राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	Dr. Durga Bajpai (Assistant Professor)	Sociology	Shodh-Dhara	2018	0975-3664	htt://shodhdhara.com	UGC 41386 RNI U.P.BIL / 2012/4 3696	YES
सर्वेक्षित ग्राम खुशुभाठा का जनसांख्यिकीय अध्ययन	Dr. K. R. Matawale Assistant Professor	Geography	Vidyawart	2018	23199318	www.vidyawarta.com		NO
पर्यावरणीय राष्ट्रवाद			Shodh-Dhara	2018	0975-3664	htt://shodhdhara.com	UGC 41386 RNI U.P.BIL / 2012/4 3696	YES
राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान	Dr. Rajesh Chaturvedi (Professor)	Hindi	Shodh-Dhara	2018	0975-3664	htt://shodhdhara.com	UGC 41386 RNI U.P.BIL / 2012/4 3696	YES

राष्ट्रीय महिलाओं के विकास में एन-शहारा समूहों की भूमिका	Dr. Sujata Samuel Assistant Professor	Pol. Science	Shodh-Dhara	2018	0975-3664	Dr./Sho Dhara com	UGC 41386 RNI U.P. Bil. / 2012/4 3696	YES
राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका			Shodh-Dhara	2018	0975-3664	Dr./Sho Dhara com	UGC 41386 RNI U.P. Bil. / 2012/4 3696	YES
राष्ट्र की अकादमि और भारतीय शिक्षण	Smt Kanti Anchal Assistant Professor	Pol. Science	Shodh-Dhara	2018	0975-3664	Dr./Sho Dhara com	UGC 41386 RNI U.P. Bil. / 2012/4 3696	YES
प्रशासन संरक्षण और आर्थिक विकास	Dr. D.K. Singh (Asst. Professor)	Commerce	Shodh-Dhara	2018	0975-3664	Dr./Sho Dhara com	UGC 41386 RNI U.P. Bil. / 2012/4 3696	YES
नारी सशक्तिकरण	Dr. Kiran Thakur (Asst. Professor)	Chemistry	Shodh-Dhara	2018	0975-3664	Dr./Sho Dhara com	UGC 41386 RNI U.P. Bil. / 2012/4 3696	YES
Solid Polymer Electrolytes: Temperature Dependent Ionic Conductivity and Solid State Battery Fabrication			J. Chemistry and Chemical Sciences	2019	2278-6783	http://w ww.che mistry- journal. org/	YES	

Current perspective on Scientific Aspects of Yoga and Meditation			Social Science & Humanities	2020	2348-3318	www.recentjournals.in	NO
योगाभ्यास का विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाले प्रभाव	Dr. D.R. Sahu Professor	Maths	Social Science & Humanities	2020	2348-3318	www.recentjournals.in	NO
योगाभ्यास का विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाले प्रभाव	Dr. D.K.Singh (Asst. Professor)	Commerce	Social Science & Humanities	2020	2348-3318	www.recentjournals.in	NO
एडवोकेटरी धारा 497 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सामाजिक प्रभाव	Dr. Durga Bajpai Assistant Professor	Sociology	Vidyawarta	2020	23199318	www.vidyawarta.com	NO
silver ion conducting solid polymer electrolytes: Synthesis and ion transport studies	Dr. Kiran Thakur (Assistant Professor)	Chemistry	Indian Journal of pure and Applied Physics	2020	volume 58	http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/63	YES
Mob Lynching	Dr. Durga Bajpai (Assistant Professor)	Sociology	Printing Area	2021	2394-5303	www.vidyawarta.com	NO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

प्रो. प्रो. प्रो.
Gent. Bataleshwar College Masturi
शासकीय पोतालय, मस्तुरी, जिला-दिसपुर (छ.प्र.)
मस्तुरी, जिला-दिसपुर (छ.प्र.)

RNI : UPHIN/2008/30136


0974-0002

वर्ष : 9 संयुक्तांक : 17-18

कृत्तिका

जनवरी-दिसम्बर 2016

साहित्य , कला , संस्कृति , आयुर्वेद , मानविकी
एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक
अन्तर्राष्ट्रीय रेफ्रीड शोध पत्रिका



कृतिका परिवार

08740002
निर्देशक सिन्धु
कृतििका : 0874-0002 वा
देश-देशान्तर

संस्थापक अध्यक्ष सत्ताहकार समिति
डॉ. कृतििका कुंजराव केशवपुरी स्वीडिश यूनिवर्सिटी, गोरीशस
डॉ. केशवपुरी केशवपुरी 84 तामसवई हाइव, रकारवोरो
कृतििका कुंजराव ए.आई.डी. 3ए 3
डॉ. कृतििका सिंह ठाकुर डॉ. बी. 119, हानउड 2680, एन.एस.
कृतििका कुंजराव
डॉ. कृतििका कुंजराव केशवपुरी वेग 15ए 53340 मेकन्हाईम,
कृतििका
डॉ. कृतििका कुंजराव नेहरू सेंटर, 8 साउथ आउडली स्ट्रीट,
कृतििका - कृतििका के. ए.ए.ए.
डॉ. कृतििका कुंजराव एवं मानद सरदाक
डॉ. कृतििका कुंजराव - प्रवक्ता - शिक्षाशास्त्र, महाराज सिंह
कृतििका विश्वविद्यालय, इटली, औरैया, उ.प्र.
डॉ. कृतििका कुंजराव खरे एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र
विभाग, डॉ. कृतििका उरई (जालीन) उ.प्र.
डॉ. कृतििका कुंजराव प्रसाद धनुर्वेदी, विभागाध्यक्ष, सरकृत विभाग,
उत्तरप्रदेश छात्रोद्योग (पी.जी.) महाविद्यालय, पुखरायां, कानपुर
दिल्ली (उ.प्र.)
डॉ. कृतििका कुंजराव एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
डॉ. कृतििका उरई (जालीन) उ.प्र.
डॉ. कृतििका कुंजराव समिति
डॉ. कृतििका देवतानी एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, बाबू शो
कृतििका कुंजराव अलवर राजस्थान
डॉ. कृतििका सिन्हा प्रवक्ता, संगीत विभाग, महिला पी.जी.
कृतििका जौनपुर (उ.प्र.)
डॉ. कृतििका मसीह, सहा. प्राध्यापक-हिन्दी विभाग, शा. स्ना
कृतििका कुंजराव सिवनी (म.प्र.)
डॉ. कृतििका कुंजराव समिति
डॉ. कृतििका कुंजराव प्रो - राजनीति विज्ञान, शास. ठा. रणमत सिंह
कृतििका कुंजराव, टी.वा. (म.प्र.)
डॉ. कृतििका कुंजराव फाल्गुन, इतिहास विभाग, पटना विश्वविद्यालय,
कृतििका बिहार।
डॉ. कृतििका कुंजराव विभागाध्यक्ष-समाजशास्त्र, शासकीय माता
कृतििका कुंजराव महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
डॉ. कृतििका कुंजराव वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, जुहारी देवी
कृतििका कुंजराव कानपुर
डॉ. कृतििका कुंजराव जे.पी. 809ए सेक्टर-21 सी. पार्ट-2,
कृतििका (हरिद्वार)
डॉ. कृतििका कुंजराव प्रवक्ता हिन्दी, जवाहर लाल नेहरू
कृतििका कुंजराव (उ.प्र.)
डॉ. कृतििका कुंजराव डॉ. इतिहास विभाग, राष्ट्र संत तु0म0
कृतििका कुंजराव कानपुर (म.प्र.)

- डॉ. आनन्द प्रकाश सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोपेश्वर, चमोली (उत्तराखण्ड)
- डॉ. आशा वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डी. बी. एस. कालेज, कानपुर
- डॉ. अरविन्द शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला पी.जी. कालेज, बिन्दकी, फतेहपुर (उ.प्र.)
- डॉ. अशोक एम. पवार, हिन्दी विभाग, गजमल तुलशीराम पाटील महाविद्यालय, नंदुरबार (महा.)

मुख्य सम्पादक मण्डल

- डॉ. सुरेश एफ. कानडे, प्लॉट नं. 48, साई बंगला, प्रोफेसर कौलोनी, विजडम हाईस्कूल के पीछे, रामेश्वर नगर, गंगापुर रोड, नाशिक-422013 (महाराष्ट्र)

विशेष सम्पादन सहयोग

- डॉ. अजय सिंह, शीडर, राजनीति विज्ञान विभाग, हडिया कालेज, हडिया, इलाहाबाद
मो : 09415638535 - ई-मेल : drajaysingh@gmail.com
- डॉ. सियाराम, वरिष्ठ प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, तिलक महाविद्यालय, औरैया
मो : 09219828316 - ई-मेल : siyaramhindi@rediffmail.com
- डॉ. रणविजय सिंह, प्रवक्ता-राजनीति विज्ञान विभाग, एल.डी. आर.एस.वाई. महाविद्यालय, उसरगाँव, कालपी (जालीन, उ.प्र.)
मो : 09919123763 - ई-मेल : rajuranvijay@gmail.com

प्रधान सम्पादक

- मनोज कुमार यादव
पूर्व सदस्य
उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद
सम्पर्क : 09628824017
Email : aradhanabooks@rediffmail.com

सम्पादक

- डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव
एसोसिएट प्रोफेसर - हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग
उ.प्र. विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय
लखनऊ-226 017 (उ.प्र.)
सम्पर्क : 09415924888
Email : dr.virendrayadav@gmail.com
Email : virendra_kritika@rediffmail.com

प्रबन्धन

- आराधना ब्रदर्स
(प्रकाशक एवं वितरक)
124 / 152- सी ब्लॉक, गोविन्दनगर, कानपुर-208006, उ.प्र.
दूरभाष - 09935007102, 0512-2651490
Email : aradhanabooks@rediffmail.com

वर्ष : 09

डॉ. श

वर्ष : 9

ऑरिजिनल इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ हाफ इयरली ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज
 ISSN : 0974-0002 वाल्यूम : 17-18, वर्ष : 09, जनवरी-दिसम्बर 2016

देश-देशान्तर मित्रों का शोधपरक अनुष्ठान
कृतिका

(साहित्य, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, मानविकी एवं समाज विज्ञान की
 अर्द्धवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)

वर्ष : 09

अंक : 17-18

जनवरी-दिसम्बर 2016

प्रधान सम्पादक

मनोज कुमार यादव

पूर्व सदस्य

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद (उ. प्र.)

सम्पादक

डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव

एसोसिएट प्रोफेसर - हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ, 226 017 (उ. प्र.)

सम्पर्क - 07607782917, 09415924888

Email : dr.virendrayadav@gmail.com • Email : virendra_kritika@rediffmail.com

Email : kritika_orai@rediffmail.com • http://kritika-shodh.blogspot.com

सह-सम्पादक

नीलम यादव

303 तीसरा तल, टाईप फाइव, विश्वविद्यालय परिसर

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226 017

प्रबन्धन

आराधना ब्रदर्स

(प्रकाशक एवं वितरक)

124 / 152- सी ब्लॉक, गोविन्दनगर, कानपुर-208 006, उ.प्र.

दूरभाष -09935007102, 05122651490

Email : aradhanabooks@rediffmail.com

वर्ष : 9, अंक 17-18, जनवरी-दिसम्बर 2016

कृतिका अन्तर्राष्ट्रीय अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका

यौन अपराध-बलात्कार (धारा 376)

डॉ. दुर्गा बाजपेयी
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. शारदा दुबे
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र
राजीव गांधी शा. कला एवं वाणिज्य
महा. लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)

बलात्कार एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो केवल एक स्त्री को ही नहीं बल्कि उसके समूचे अस्तित्व, उसकी अस्मिता, समग्रतः उसके समस्त जीवन को ही छिन्न-भिन्न कर देती है। कानून की नजर में बलात्कार एक जघन्य अपराध है। महिलाएँ आगे दिन इसका शिकार हो रही हैं सामाजिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए इस बात को दबा देती है। इसकी खास वजह पुलिस एवं कोर्ट-कचहरी है। कुछ लोग पुलिस थानों में सूचना भी नहीं देते हैं।

“किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है उसे बलात्कार कहते हैं।”

भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 375 के अंतर्गत बलात्कार कब माना जाता है -

1. 15 वर्ष से कम उम्र न होने पर पत्नी के साथ किया गया शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं कहलाता।
2. अगर कोई पुरुष महिला की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता है सहमति किसी तरह से डरा-धमका कर ली गई हो जैसे उसको मारने, घायल करने या उसके करीबी लोगों को मारने या घायल करने की धमकी देकर ली गई है।
3. यदि सहमति झूठे प्रलोभन, झूठे वादे तथा धोखेबाजी (जैसे की शादी का वादा, जमीन जायदाद का वादा आदि) से ली जाती है तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जायेगा।
4. नकली पति बनकर उसकी सहमति ली गई हो।
5. उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो।
6. नशीले पदार्थ के सेवन के कारण वह होश में न हो तब उसकी सहमति ली गई हो।
7. 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया शारीरिक संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है चाहे लड़की की सहमति हो तब भी।

बलात्कार के लिए सजा -

सात साल का कारावास जो बढ़कर 10 साल का भी हो सकता है। कुछ मामलों में इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है।

जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया हो वह उसकी पत्नी हो या 12 साल से कम उम्र की न हो तब उस व्यक्ति को 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अगर न्यायालय 7 साल से कम की सजा देता है तो उसे लिखित रूप में उसका उचित कारण देना होगा।

विशेष परिस्थितियाँ -

निम्न व्यक्तियों द्वारा किये गए बलात्कार की सजा कम से कम 10 साल का सश्रम कारावास, जिसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी निम्न अवस्थाओं में बलात्कार करता है -

1. उस थाने के अंदर जिसका वह क्षेत्रधिकारी हो।
2. उन थानों के अंदर जो उसके अधिकार में हो।
3. वह महिला जो उसकी हिरासत में या उसके अधीनस्थ अधिकारी की हिरासत में हो।
4. लोक सेवक जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके उसकी हिरासत में हो या उसके अधीनस्थ की हिरासत में होने वाली महिला के साथ बलात्कार करता है।
5. अस्पताल के प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उनकी हिरासत में जो महिलाये हो उनके साथ बलात्कार करता हो।
6. गर्भवती महिला के साथ जो बलात्कार करता हो।
7. जो सामूहिक बलात्कार करता हो।

निम्नलिखित परिस्थितियों में शारीरिक संबंध स्थापित करना अपराध माना जाता है :-

जो व्यक्ति कानूनी तौर पर अलग रह रहा हो परन्तु पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक संबंध स्थापित करता हो उसको 2 साल का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है।

लोक सेवक द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहों एवं कारावास, अस्पताल का प्रबंधक और कर्मचारियों द्वारा उनके संरक्षण में जो महिलायें हों, उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता हो ऐसे सभी अपराधों में 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।

बलात्कार की शिकार महिला द्वारा रखी जाने वाली सावधानी -

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायें। बलात्कार होने के 24 घंटे के भीतर मेडिकल परीक्षण करवा लेना चाहिये। घटना के समय पहने हुए कपड़े धोये नहीं। डॉक्टरी जाँच के पहले नहायें नहीं, इससे सबूत मिट सकता है। यदि बलात्कारी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है तो उसकी भी मेडिकल जांच की मांग करनी चाहिये, ताकि सबूत मिल सके। बलात्कार स्थल से प्राप्त कोई भी सामान सिगरेट का टुकड़ा, चश्मा, रुमाल, घड़ी आदि पर अपना हाथ न लगायें उसे कपड़े से उठाकर पुलिस को दे दें। घटनास्थल की स्थिति ज्यों की त्यों रहने दें जब तक कि पुलिस की जांच न हो जाये क्योंकि वहां से वीर्य, खून के धब्बे बलात्कारी के बाल आदि पाये जाने की संभावना रहती है। यदि संभव हो तो बलात्कारी का हुलिया लिख लें। वह देखने में कैसा था, आवाज कैसी थी, कैसे कपड़े पहने था, उसकी कोई खास आदत या वाक्य आदि।

प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय ध्यान देने योग्य बातें -

1. घटना की तारीख।
 2. घटना का समय
 3. घटना का स्थान अवश्य लिखायें।
 4. रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी एक कॉपी अवश्य लें जो थाने द्वारा मुफ्त में दी जाती है।
 5. पुलिस का कर्तव्य है कि वह पीड़ित महिला की डाक्टरी जाँच पंजीकृत डॉक्टर से या नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में करवाकर डॉक्टरी जाँच की कॉपी अवश्य लें।
 6. बलात्कार के समय जो कपड़े पीड़ित महिला ने पहने हैं। डॉक्टरी जाँच के बाद पुलिस आपके सामने उन कपड़ों को सील बंद करेगी, जिसकी रसीद अवश्य ले लें।
- वास्तव में जिस स्त्री का बलात्कार हुआ है वह इतनी घबराई हुई होती है कि वह सोच भी नहीं पाती कि

क्या करना है। फिर भी अपने को संभालकर पुलिस को तुरंत सूचना दें एक-दो दिन का भी समय लगाने पर घटना के निशान मिट जायेंगे और अपराध सिद्ध करना कठिन होगा। इसलिए दोस्त परिवार वालों को घटना की खबर दें।

डॉक्टर स्त्री की जाँच करेंगे। उसे लगने वाले खरोच, उसकी मानसिक स्थिति की जाँच, 16 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता की हड्डी की विशेष परीक्षा करके उसके उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं। योनि व वीर्य की जाँच कर स्त्री द्वारा लगाये गये आरोपों की सत्यता की जाँच करेंगे। यदि आरोपी तुरंत पकड़ा जाता है तो उसके कपड़ों और वीर्य की जाँच बाल, खून और घमड़ी की जाँच से पता चल सकता है कि यह वहीं आदमी है या नहीं। झगड़ों के निशान खरोच आदि भी हो सकते हैं। इसलिए यदि स्त्री तुरंत रिपोर्ट करती है तो अपराधी इन डॉक्टरों सबूतों के साथ पकड़ लिया जा सकता है।

यदि वह नहीं लेता है या अपने कपड़े धो लेता है या बदल लेता है तो उसके शरीर पर लगे अपराध के निशान सबूतों को वह मिटा देगा इसलिए कार्यवाही करने में देर नहीं करनी चाहिये।

पुलिस की भूमिका -

पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी या दरोगा F.I.R. रिकार्ड बुक में लिखेगा। स्त्री को पढ़कर बतायेगा कि उसने क्या लिखा है। स्त्री को इस पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने कहेगा, स्त्री को F.I.R. की एक प्रति देगा। अगर पुलिस स्टेशन का अधिकारी या दरोगा स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इंकार करता है तो स्त्री को सारी घटना और दरोगा की मनाही के बारे में पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर भेजना चाहिये। पत्र मिलने पर या तो वह स्वयं सारी जाँच करेंगे या किसी दूसरे अधिकारी या पुलिस कर्मी को जाँच के लिए कहेंगे। पुलिस अगर यह समझे कि रिपोर्ट लिखने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है और मना कर दें तो स्त्री को चाहिये कि वह स्थानीय न्यायाधीश (मजिस्ट्रेट) को जाकर अपनी रिपोर्ट दे। अगर न्यायाधीश जरूरी समझे तो स्वयं मामले की छानबीन करेंगे या पुलिस को उचित कार्यवाही करने के लिए कहेंगे। मजिस्ट्रेट स्त्री के शरीर को न छू सकते हैं और न ही उनकी जाँच कर सकते हैं वह स्त्री और घटना गवाहों से सवाल पूछकर पूरी घटना की जानकारी लिख लेंगे, तत्पश्चात् वह स्वयं हस्ताक्षर करेंगे और स्त्री और बाकी गवाहों से भी हस्ताक्षर करावेंगे। यदि अपराध करने वाला पुरुष कौंफी ताकतवर और प्रभावशाली हो जिसके कारण पुलिस और स्थानीय मजिस्ट्रेट सभी स्त्री की रिपोर्ट लिखने से इंकार कर दे तो वह अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस महानिरीक्षक स्थानीय विधायक, कलेक्टर को अपनी बात बता सकती है राज्य महिला आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग को पत्र लिख सकती है या समाचार पत्र को भी पत्र लिख सकती है। टी. वी., मीडिया में प्रसारित होने के बाद पुलिस जनमत के दबाव में F.I.R. दर्ज करने के लिए बाध्य हो जाती है। पुलिस स्त्री को पुलिस स्टेशन या घटना स्थल जरूरत पड़ने पर बुला सकती है परन्तु स्त्री आने से मना कर दे तो पुलिस को उसके घर जाना पड़ेगा, यदि वह स्त्री को थाना आने के लिए बाध्य करता है पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है, उसे दंडित किया जा सकता है।

कोर्ट में स्त्री की ओर से सरकारी वकील केस लड़ेगा, स्त्री चाहे तो अपनी ओर से सरकारी वकील की मदद के लिए एक अलग से वकील रख सकती है। बलात्कार के मामले की सुनवाई एक बंद कमरे में होती है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को वहाँ उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होती।

बलात्कार के कारण पीड़िता को मानसिक शारीरिक और सामाजिक सभी प्रकार की चोट सहनी पड़ती है। हद तो तब हो जाती है जब न्यायालय में उसे शर्मसार होना पड़ता है। बलात्कार जितना जघन्य कुकृत्य होता है उतनी ही लम्बी इससे संबंधित न्याय प्रक्रिया होती थी निर्भया कांड (दिल्ली) के पश्चात् इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराने की व्यवस्था की गई है ताकि न्यायालय की लंबी और जटिल प्रक्रिया से बचाकर पीड़िता को सही अर्थों में न्याय दिलाया जा सके।

एक महिला जिसके साथ बलात्कार जैसी जघन्य हिंसा हो जाये, वह जिन्दा लाश के सदृश्य हो जाती है। उसकी गलती न होने पर भी समाज की नजरों में वही अपराधी होती है। शील कौमार्य या यौन शुचिता जैसी सामाजिक मान्यतायें बलात्कार की शिकार महिला को मनोदैहिक रूप से तोड़ कर रख देती है।

स्त्री का बलात्कार जैसे सामाजिक अपराध में कोई भी पुरुष अपनी घृणित, कुत्सित, गन्दी मानसिकता से अपने अहंकार में डूबकर किसी भी स्त्री का बलात्कार करता है, स्त्री के प्रति पुरुषों की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि वह यह नहीं देखता कि यह स्त्री किस उम्र की है। यह एक बालिका है या प्रौढ़? वह सिर्फ स्त्री देह को पाना चाहता है उसे स्त्री के रंग-रूप, जाति, धर्म, आयु, शारीरिक सौष्ठव किसी बात की परवाह नहीं होती वह कामांध होता है। खेत में, सड़क में, घर में सभी जगह स्त्री की अस्मत् लूटी जा रही है।

वर्तमान में बलात्कार पिता, सौतेले पिता, भाई, जेठ, देवर, ससुर, चाचा, पड़ोसी, मकान मालिक, नियोक्ता, अन्य रिश्तेदार आदि के द्वारा बड़े परिमाण पर किये जा रहे हैं अपरिचित के द्वारा या सामूहिक बलात्कार की घटना परिस्थितिजन्य है। 7 माह की बच्ची से लेकर 70 वर्षीया वृद्धा तक की इस घटना की शिकार होने की समान संभावना है। स्त्रियाँ घर में, पार्क में, बस में, रेल में, कार में, सुनसान जगह पर कहीं भी सुरक्षित नहीं है।

दिल्ली में हुए निर्भया दुष्कर्म मामले में शामिल किशोर ने नृशंसता की हद पार करते हुए उसके साथ न केवल दुष्कर्म किया बल्कि छड़ से उसकी आंते निकालने जैसी क्रूरता भी दिखायी थी। तब यह सवाल उठा था कि इस किशोर को आम कानून के तहत मुकदमा चलाकर सख्त सजा सुनायी जाए या नाबालिग होने के कारण उसे बाल सुधार गृह भेज दिया जाए। हालांकि बहस के दौरान सभी के जेहन में यही बात थी कि निर्भया कांड में नाबालिग अपराधी का व्यवहार भी वयस्क अपराधियों जितना ही क्रूर और अमानवीय था और उसे भी सजा मिलनी चाहिये। सवाल था कि क्या उस पर बाल कानून के हिसाब से मुकदमा चलाया जाय और सिर्फ उम्र कम होने के एक मात्र आधार पर उसके साथ नरमी बरती जाए। हाल ही में लोकसभा में पारित नया बाल न्याय कानून जिसके तहत गंभीर अपराध में 16 से 18 वर्ष का नाबालिग शामिल होने पर बाल न्याय बोर्ड तय करेगा कि उस पर वयस्क अपराधियों पर लागू होने वाली धारा के तहत मुकदमा चलाया जाए या नहीं। यह नया कानून नाबालिग अपराधियों के खिलाफ सख्ती ला सकेगा या कानूनी पेचीदगियों में दम तोड़ देगा। यह कानून सामाजिक बदलाव के कारण संभव हो सका है। जनता की ओर से पुरजोर आवाज उठी थी, युवा वर्ग सड़क पर था, आक्रोशित था और इसे सुना गया और यह बदलाव आया।

स्त्रियाँ बस में, रेल में, पार्क में, घर में, कार्यालय में, सड़क पर कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, हर जगह उनके साथ अपराध की संभावना है। इस जघन्य कृत्य में प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए पुलिस और न्यायालय ने भी बीच का एक रास्ता निकाल लिया था वह है समझौता। जिस बच्ची की किशोरी या स्त्री की इज्जत पर हमला कर तार-तार किया हो जो जिन्दा लाश सदृश्य हो गयी हो जिसे घर-बाहर सभी जगह लोगों की भददी निगाहों का सामना करना पड़ रहा हो जिसके जीवित रहने का एक मात्र लक्ष्य अपराधी को सजा दिलाना हो उसे बलपूर्वक "समझौता" का रास्ता दिखाया जाता है।

परंतु सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म के मामलों में साफ कहा है कि इसमें किसी भी तरह से अपराधी को दी गई सजा से समझौता नहीं हो सकता।

मध्यप्रदेश बनाम मदनलाल के मामले में निर्णय देते हुए न्यायाधीश ने म.प्र. उच्च न्यायालय के निर्णय को दरकिनार कर दिया। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने गुना सत्र न्यायालय द्वारा धारा 376 (दुष्कर्म) के अंतर्गत दी गई सजा को धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत बदल दिया था। इस निर्णय के विरुद्ध पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। मामला इस प्रकार है आरोपी के विरुद्ध सात साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला चल रहा था, 2008 में दुष्कर्म किया गया। आरोपी को कठोर कारावास की सजा दी। उच्च न्यायालय ने धारा 354 के तहत आरोपी को

बदल दिया और पूर्व में सजा भुगत लेने के एवज ने दोषी को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने निचली अदालत के निर्णय का समर्थन करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया। न्यायाधीश ने इस निर्णय में टिप्पणी की कई बार अदालतें अपीलीय स्तर पर हस्तक्षेप कर इस तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर निर्णय लिख देते हैं कि विशेषकर आपराधिक न्याय व्यवस्था की आत्मा ही मर जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा सजा रद्द करने का विश्लेषण करते हुए न्यायाधीश ने लिखा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने निर्णय में मात्र इतना लिखकर कि अभियोजन पक्ष ने इतने गवाह प्रस्तुत किए व दस्तावेज दाखिल किये। ऐसा करना अपील न्यायालय के लिए कतई उचित नहीं है और मामले को उच्च न्यायालय वापस भेजा। यूं तो न्यायाधीश इतने पर ही सुनवाई समाप्त कर सकते थे, परंतु उन्होंने निर्णय में आगे लिखा कि ऐसा लगता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आरोपी और पीड़िता के माता-पिता के बीच हुए समझौते से अत्यधिक प्रभावित हो गए। समझौते की दरखास्त निचली अदालत के सामने भी लगाई गई थी परंतु निचली अदालत ने दरखास्त खरिज कर दी थी।

दुष्कर्म एक ऐसा अपराध है जिसमें समझौता हो ही नहीं सकता और यह अपराध समाज के विरुद्ध है तथा यह ऐसा विषय नहीं है जिसे पार्टियों के समझौते अथवा निपटाने के लिए छोड़ दिया जाय। न्याय के हित में तथा पीड़ित को अनावश्यक दबाव व उत्पीड़न से बचाने के लिए आवश्यक है कि पार्टियों के बीच समझौते पर कतई ध्यान नहीं दिया जाय। समझौते के कारण कम सजा नहीं दी जा सकती। यह महिला शरीर के खिलाफ अपराध है जिसे वे मंदिर मानते हैं। यह अपराध जिंदगी का दम घोटती है और समाज में प्रतिष्ठा खराब कर देती है। सबसे अधिक महत्व महिला सम्मान का है। कई बार अपराधी द्वारा पीड़ित से विवाह कर सांत्वना देने का प्रयास होता है जबकि वास्तविकता यह है कि पीड़ित पर ऐसा कर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया जाता है। माया त्यागी (नागपत), भंवरीबाई (राजस्थान), झांसो बाई (लखीरपुर) पुलिस द्वारा बलात्कार की घटनाओं, नेताओं के द्वारा बलात्कार की घटनायें विभिन्न सेलिब्रिटी द्वारा घरेलु नौकरानियों का यौन शोषण, महिला मरीजों के साथ दिल्ली का सफदरगंज अस्पताल बाड़ा हिन्दु राव, अस्पताल, बिलासपुर का अपोलो अस्पताल, कानपुर के हैलट अस्पताल में अकाल मृत्यु की शिकार महिलाओं के शव के साथ बलात्कार, मुंबई में नर्स अरुणा शामदार की घटना जिसमें राष्ट्रपति से अस्पताल के कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जो पूरी नहीं हुई और इस घटना में अस्पताल के सफाई कर्मी द्वारा लोहे के सांकल से नर्स का गला कसकर उसके साथ बलात्कार किया गया था। जिसमें 42 वर्ष कोमा में रहने के बाद उसकी मौत हुई। दिल्ली का निर्भया कांड, बस में, ट्रेन में, घर में पार्क में, सार्वजनिक स्थान में कार्यस्थल पर और सबसे अधिक अभी स्कूलों में बच्चियाँ असुरक्षित हैं। स्त्रियों को केवल "देह" मानने की यह जो प्रवृत्ति वर्तमान में बढ़ी है, उसके कारण व्याभिचार की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। रिश्ते-नाते तार-तार हो गए हैं। राष्ट्रीय अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रतिदिन 93 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटित होती है (2014), दिल्ली भारत में सबसे अधिक बलात्कार वाला शहर है (1441), मुंबई (392), जयपुर (192), मध्य प्रदेश बलात्कार के मामलों में सबसे अधिक संख्या वाला राज्य है (4335), राजस्थान (3285), महाराष्ट्र (3063), यह तो थानों में दर्ज मामलों के रिकार्ड है। भारत जैसे मान्यताओं और मर्यादा वाले देश में सामाजिक प्रताड़ना, निश्कासन व उपेक्षा के भय से बलात्कार के प्रकरणों को दबाया जाता है।

महिला पार्षदों के साथ पुरुष पार्षदों द्वारा सामूहिक दृष्कृत्य (नारनौल) बेटे की आबरू बचाने के बदले माँ को वहशियों के सुपुर्द करना (गाजियाबाद) हरियाणा के सिरसा जिले के मंडी दबवाली में सबजज के अर्दली नथे सिंह की पत्नी शीला के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा बलात्कार और उसके बाद जीप से गिराकर उसकी हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश (17 जुलाई 1980) अधिकारी जनप्रतिनिधि, मंत्री, पूंजीपति आदि मुखरता के साथ इस प्रकार के यौनाचार में लिप्त होने के बाद भी समाज में शान से घूमते हैं। पिता और भाई तथा निकट के संबंधियों द्वारा दुष्कर्म, धर्म की आड़ में तथा कथित आश्रमों में यौनाचार, अंजना मिश्रा बलात्कार प्रकरण (उड़ीसा)।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण में 40% की वृद्धि हुई है।

अक्सर लोग इस प्रकार की घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहते हैं कि महिलाएँ अर्धनग्न उत्तेजक पोशाकों और अपने हावभाव से स्वयं बलात्कारी को निमंत्रण देती हैं, जबकि बच्चियाँ और विकलांग (अंधी, गूंगी), विक्षिप्त महिलायें, नगरों के फुटपाथ पर सोने वाली गंदी भिखारिणें भी इस दृष्टकृत्य की शिकार हो रही हैं, इसलिए यह धारणा भ्रामक है।

अधिकतर इन घटनाओं के पीछे पारिवारिक, व्यक्तिगत रंजिश, वर्ग विद्वेष, असफल प्रेम या प्रेम में धोखे के कारण बदले की भावना, महिलाओं का असुरक्षित हाल में रहना और अकेले आने जाने की स्थितियाँ हैं। प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के अभाव में सुबह घुप अंधेरे या सांझ ढले घरों से निकलकर खाली पड़ी भूमि या खेत में बैठने वाली महिला बलात्कार की शिकार होती हैं। रायपुर (छत्तीसगढ़) में अटारी गांव में पति के साथ जाती महिला के साथ पति के सामने बलात्कार, सूने स्थान पर प्रेमी - प्रेमिका के जाने पर प्रेमी के सामने प्रेमिका से बलात्कार, भाई-बहन के साथ जाने पर भाई के सामने बहन से बलात्कार ये ऐसी घटनायें हैं, जिन्होंने पुरुषों के साथ जाने पर महिलाओं के सुरक्षित होने पर सवालिया निशान लगा दिया है।

मनुस्मृति में महिलाओं के लिए जो व्यवस्था की गई थी कि महिलाओं को सदैव किसी न किसी के संरक्षण में रहना है। वह अकेले असुरक्षित है वर्तमान पाश्चात्य चकाचौंध से प्रभावित इस समाज में वह असत्य साबित हो रहा है।

पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने ।

पुत्राश्च स्थाविरे भावेन स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ।।

कभी सुनसान जगहों पर ही होने वाला बलात्कार आज महानगरों में सड़कों पर चलती गाड़ियों तक में होने लगा है।

समाज, कानून एवं जनजागरुकता सबके मिले जुले प्रयासों से एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जिससे गांधी जी का यह स्वप्न पूरा हो सके कि "स्वतंत्र भारत को ऐसा होना चाहिये कि कोई महिला कश्मीर से कन्या कुमारी तक अकेली घूम ले और उसके साथ कोई अशोभनीय घटना न हो।"

संदर्भ ग्रंथ

1. शर्मा प्रज्ञा 2001 (भारतीय समाज में नारी) नारी अपराध : एक विवेचन, जयपुर, पोइन्टर पब्लिशर्स
2. कुमार राज, 2007 नारी शोषण, समस्याएँ एवं समाधान नई दिल्ली, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस।
3. डॉ. सियाराम 2013 : स्त्री विमर्श के विविध संदर्भ, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. शर्मा रमा एवं एम.के.मिश्रा, नारी शोषण आइने और आयाम, नई दिल्ली अर्जुन, पब्लिशिंग हाऊस।
5. नियाय मितान (न्याय मित्र) छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रकाशित।



TECHNICAL
July-December 2016

ISSN: 0975-8751
RNI: CHURU/2010/36213

Combined Issue

Educational Waves

Chief Editor
Dr. Chandrani Tiwari

A Quarterly Inter Disciplinary Reviewed
Refereed Research Journal

website: www.educationwaves.com
e-mail: drctiwari@yahoo.com



Educational Waves

Multidisciplinary Quarterly Research Journal

Editorial Board

Chief Editor :
Dr. Chandrani Tiwari

Advisor :
Dr. V. K. Patel
H.O.D. Geog. D.P. Vipra PG College Bilaspur (C.G.)

Associate Editor :
Indrani Sinha Kolkata (W.B.)
Dr. A. Rajshekhar Raipur (C.G.)

Joint Editors :
Dr. V.K. Tripathi- B.H.U., (Varanasi)
Dr. Manish Tiwari
Dr. R.K. Tiwari

Co-ordinators :
V. K. Tiwari H.O.D. Geog. C.M.D.P. College Bilaspur (C.G.)
L. Verma H.O.D. Geog. Govt. Yogamandir PG College Raipur (C.G.)
Dr. Sarla Sharma H.O.D. Geog. Pt. R.S. Raipur (C.G.)
P.K. Nayak Dr. C.V. Raman University Kota, Bilaspur (C.G.)
Kiran Gajpal Joint Director, Higher Education Raipur (C.G.)
Dr. M.R. Agar Govt. Agrasen College Bilha (C.G.)
Dr. Uma Gole (Geography) Pt. R.S. Raipur (C.G.)
M.L. Jaishwal H.O.D. Botany D.P. Vipra College Bilaspur (C.G.)
Smilini Shrivastava (H.O.D. Geog. Govt. Mahakoushal PG College Jabalpur (M.P.))
Dr. M.S. Tamboli (D.P. Vipra College Bilaspur)
Dr. Devendra Shukla (Shukla College C.G.)

Office Assistance :
Siddharth Tiwari

Address of the editor's office / Publication

Ashok Nagar, Akash Vihar Colony, Sarkanda,
Bilaspur Chhattisgarh Pin- 495 006

Phone - 07752-655897.

Mobile No. 9907150634

E-mail - dretiwari@yahoo.com

Website : www.educationalwaves.com

Copy Right - Dr. Ajay Tiwari

All the ideas published in the articles are completely the views and opinions of the authors. They are solely responsible for any disputes related to their articles. Editors/Publisher will not take any responsibility regarding this matter.

Selection of the research papers depends on the decisions of the editorial board and the advices of the subject experts in the related subjects.

Note :-

- * Original research papers are invited for publication from the geographers, research scholars of varied disciplines from India and abroad.
- * In case of any legal implication and disputes related to educational waves, will come under Bilaspur judicial jurisdiction only.

RNI : CHHBIL/2010/36213 Educational Waves Vol. VII, Issue-III&IV July-Dec 2016 ISSN 0975-8771

Educational Waves

Multidisciplinary Quarterly Research Journal

RNI CHHBIL/2010/36213

Vol-VII ISSUE-III&IV July to Dec 2016

ISSN 0975-8771

CONTENTS

Subject	Page No.
भारतीय प्रजातंत्र एवं मानवाधिकार * शैलेंद्र कुमार तिवारी ** डॉ शरद देवामन	43-44
भारत में बाल श्रमिकों का शोषण एवं दुरुव्यवहार * अभिषेक अग्रवाल	45-48
मानवाधिकार और सूचना का अधिकार * डॉ मनोप तिवारी	49-50
इन्टरनेट की सामाजिक सुरक्षा एवं मानव अधिकार * डॉ श्रीमती शारदा दुबे ** डॉ दुर्गा धारणवा	51-54
भारत का प्रजातंत्र एवं मानवाधिकार * मर्दिना शर्मा	55-58
मानव अधिकार एवं लोकतंत्र * डॉ दीपा कुशवाह ** मृगमा तिवारी	59-60
भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार * डॉ विरगण दुबे	61-62
भारतीय प्रजातंत्र एवं मानव अधिकार * डॉ (श्रीमती) नाज बेन्जामिन ** कु पद्म शर्मा	63-65
मानवाधिकार संरक्षण एवं वर्तित लक्ष्य * डॉ श्रीमती आभा तिवारी	66-67
भारतीय प्रजातंत्र और मानव अधिकार * डॉ (श्रीमती) सुनीता यादव	68-69
चित्रमार्बशोयम् में जीव विज्ञान * डॉ वट प्रकाश मिश्र ** श्रीमती गगनी कश्यप	70-74
जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों में छन्द योजना * डॉ अजनी पाठक ** श्रीमती रुपा देवी	75-76

RNI : CHHBIL/2010/36213 Educational Waves Vol. VII, Issue-III&IV July-Dec 2016 ISSN 0975-8771

छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था एवं मानव अधिकार

* डॉ. श्रीमती शारदा दुबे ** डॉ. दुर्गा बाजपेयी

1 नवम्बर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य छोटे राज्य के रूप में इसका चहुंमुखी विकास था। सामाजिक व्यवस्था का निर्माण मानव के सामाजिक संबंधों एवं अन्तःक्रियाओं के द्वारा है, अतः यह एक अमूर्त व्यवस्था है। सामाजिक संबंध व सामाजिक अन्तःक्रियाएं रीति-रिवाजों, कार्यप्रणाली अधिकारी, पारस्परिक सम्बन्ध समूह, समिति, संस्था एवं नियंत्रण आदि से प्रभावित होते हैं। समाज के ये उपखंड या तत्व परस्पर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से संबद्ध रहते हैं और मानवीय क्रियाओं, व्यवहारों एवं संबंधों को प्रभावित करते हैं तथा समाज व्यवस्था का निर्माण करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में प्राकृतिक व्यवस्था एवं अन्य मानव निर्मित व्यवस्थाओं का भी योगदान होता है। अतः सामाजिक व्यवस्था के रूप में हक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक आदि सभी पहलुओं को शामिल करते हैं।

डब्ल्यू रिचर्ड्स के अनुसार- "मानव अधिकार वह न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिनकी मांग अधिकार स्वरूप होनी चाहिए, जिनके अभाव में कोई भी मानव अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर सकता है और न ही मानव की भांति जीवन व्यतीत कर सकता है।"

दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्ताव 217 ए (इड्यू) द्वारा मानव अधिकारों का विश्वव्यापी घोषणापत्र अंगीकृत किया गया।

भारत सरकार के आम आदमी को संविधान द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को अधिकारों के उपयोग एवं मानव गरिमा को सुरक्षित बनाने के अक्टूबर 1993 में एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया

पृथक राज्य गठित होने के पश्चात छत्तीसगढ़ में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई।

छत्तीसगढ़ की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम एक सरल व्यवस्था की कल्पना करते हैं जहां अशिक्षा का प्रतिशत अधिक है लोग अज्ञान और भोले-भाले अधिक हैं, इस राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ने से बढ़ता एक आश्चर्य की बात है, परन्तु विगत वर्षों में ऐसा हो रहा है, प्रशासन की ओर से मानवाधिकार आयोग की स्थापना के कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती क्योंकि मानवाधिकारों के विश्वव्यापी घोषणा पत्र के अनुच्छेद 23 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पारिश्रमिक और बेरोजगारी से संरक्षण का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति में शामिल है।

इसके अनुसार-

1. सभी को कार्य करने, नियोजन का स्वतंत्र चयन करने, कार्य करने की न्यायसंगत व अनुकूल शर्तों का तथा बेरोजगारी से संरक्षण का अधिकार है।
2. किसी विभेद के बिना सभी का समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है।

* विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र शास. महाविद्यालय लोरमी

* विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र शास. पातालेश्वर महाविद्यालय

3. जो कोई कार्यरत है उसे न्यायसंगत व अनुकूल पारिश्रमिक का अधिकार है ताकि वह अपने परिवार व स्वयं के अस्तित्व को मान-मर्यादा के अनुकूल बना सकें तथा यदि आवश्यक हो तो उसके अनुपूरण हेतु अन्य सामाजिक संरक्षण के उपायों को भी सुरक्षित करना होगा।

इसके बाद भी बेरोजगारों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या का अपराध :

मंत्रालय के सामने आत्मदाह रतनपुर और सीपत के कृषक द्वारा कम उपज के कारण आत्महत्या और चावल कूपन घोटाला हमारे सामने आया, जहां कर्ज से पीड़ित व्यक्ति के जीवित रहने के अधिकार का संरक्षण नहीं हो सका। रोजगार की व्यवस्था ही इसका एकमात्र उपाय है।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवेश की ओर हम दृष्टिगत करें तो यह देखते हैं कि महिलाएं सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। घरेलू और खेती के काम, मजदूरी आदि करके अर्थात् करने के बावजूद उनकी सामाजिक स्थिति उन्नत नहीं हो पा रही है, जबकि मानवाधिकार के अनुच्छेद 5 में यह उल्लेख है कि किसी को भी यातना अथवा निर्मम अमानवीय या तिरस्कार पूर्ण व्यवहार या दण्ड नहीं दिया जायेगा, परन्तु महिलाओं के संबंध में दोहरे मापदंड ने इसे खोखला साबित कर दिया है। प्रायः ग्रामीण महिलाओं के प्रताड़ना का कारण उन्हें टोनही करार देना है और पुरुष प्रधान समाज में हमेशा से जैसा होता आया है यह पदवी देने वाला बैग हमेशा पुरुष होता है और अच्छी बात सुनकर उस महिला के साथ मारपीट या उसकी हत्या करने वाला भी उसका पुत्र, पति या कोई अन्य पुरुष होता है। शासन ने इस ओर ध्यान दिया है, यह स्वागत योग्य है, परन्तु जैसे बाल विवाह

छत्तीसगढ़ की सामाजिक ...

या दहेज निरोधक कानून का हथ्र हुआ है वैया यदि यहां भी हो गया तो महिलाओं को इसी तरीके से प्रताड़ित कर मारी जाती रहेंगी, क्योंकि जब तक समाज स्वयं महिला के प्रति पूरी तरह से समानता एवं सम्मान का दृष्टिकोण नहीं अपनाता तब तक यह शासन एवं न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है कि वह महिलाओं के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों उनके आर्थिक एवं यौन शोषण एवं अन्य प्रकार की प्रताड़ना से दण्ड एवं विभिन्न न्यायों के माध्यम से उनकी रक्षा करें तथा उनके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए कानूनों का निर्माण करें और ऐसे कानूनों को कड़ाई से लागू करवायें।

क्योंकि प्रताड़ित होने वाली महिला का ग्रामीण या शहरी होना कोई मायने नहीं रखता है, मुख्य बात है उसका महिला होना और इसी कारण उसके साथ कुछ ऐसी लोगहर्षक घटनायें घटित होती हैं जिसे सुनकर या देखकर ही उसकी वीभत्सता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस कड़ में चाहे हम धर्म अस्पताल की मरीज सत्यभामा, बिलासपुर के साथ होने वाले कांड को या दयालवंद की उस मासूम बच्चों को रख सकते हैं, जिसका संपूर्ण जीवन नरक बन गया है। पुलिस की तत्परता यहां स्वागत्य है, जो इस अधो कांड में शीघ्र ही वास्तविक अपराधी तक पहुंच गई है। सड़क में घूमने वाली पागल स्त्रियों के साथ इसी तरीके के अपराध हो रहे हैं, इस दरिन्दगी से छुटकारा दिलाने की दिशा में संज्ञा लेते हुए उच्च न्यायालय ने नारी गुहों की स्थापना पर बल दिया है। ये नारी गुह भी यौन शोषण के अड्डे न बने इस ओर भी मानवाधिकार आयोग की पहल आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति ने नारी को जिस रूप में उत्पन्न किया है, उसका अनुचित लाभ उठाने वाले क्लिंटन से लेकर मुजफ्फरनगर तक और शेष भारत में भी व्याप्त है, चाहे वह श्वसुर हो, पिता हो, देवर हो, जेंट हो, या अन्य व्यक्ति।

कामकाजी महिलाओं के मामले में भी मार्गी व मैत्रेयी का वह जमाना समाप्त हो गया जब उसे अतिरिक्त सम्मान प्राप्त था और वह देवी के रूप में पूजनीय थी। अब कामकाजी महिलायें घरेलू हिंसा, आर्थिक प्रताड़ना और यौन प्रताड़ना की भी शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम अपेक्षित है, परन्तु कानून लचीला होता है जैसे ही उसको विस्तृत रूप दिया जाता है, उसका अनुचित लाभ उठाया जाता है जैसे महिला थाना या हरिजन आदिवासी थाने में जाने वाले केस। दहेज, हत्या के केस या महिला आयोग को शिकायत की जाने वाली घटनाएं। कामकाजी महिलाएं भी आर्थिक रूप से अपने पिता या पति से स्वतंत्र नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय में भी अनेक प्रकरणों में यह निर्णित किया गया है कि महिलाओं को आर्थिक आधार उनका मानवीय अधिकार है। वे आचारी का आधा हिस्सा होती हैं, काम के कुल अवधि का 2/3 कार्य करती हैं, लेकिन वे विश्व की कुल आय का दसवा हिस्सा प्राप्त

करती हैं। अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकर में महिलाओं को जो 5000 रूपये की छूट मिलती थी, उसी के लिए हम लोगों पर कटाक्ष हो जाता था। अब यह राशि बढ़ गई है तो लोगों और मानसिक धक्का लगा होगा।

यद्यपि महिलायें हमेशा से ही यौन प्रताड़ना और अत्याचार का शिकार होती रही हैं, लेकिन यह आश्चर्य एव दुख की बात है कि महिलाओं में शिक्षा के व्यापक प्रसार तथा समाज के अधिक आधुनिक होने के साथ-साथ महिलाओं के यौन प्रताड़ना की घटनायें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे यहां का पुरुष समाज का बड़ा वर्ग आज भी मानसिक रूप से महिलाओं के द्वारा नौकरी अथवा व्यवसाय कर उसके स्वावलंबी होने को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। साथ ही पुरुष समाज का एक वर्ग आज भी महिलाओं को उपयोग की वस्तु से अधिक मानने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा यह है कि कामकाजी महिलाओं को अपने सहकर्मियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की यौन प्रताड़ना तथा अश्लील टिप्पणियाँ, हाव-भाव तथा शारीरिक छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है चूंकि हमारे समाज की मानसिकता के अनुसार ऐसी किसी घटना में पीड़ित महिला को ही दोषी मान लिया जाता है, तथा उसकी सामाजिक रूप से बदनामी भी होती है अतः महिलायें ऐसी घटनाओं को चुपचाप सहन भी करती हैं। सभी महिलायें रूपन देवल या लिली कुजूर तो नहीं बन पातीं।

स्त्री के लिए सती होना तो बहुत सरल है परन्तु अपनी मानवीय इच्छा, आकांक्षा को अभिव्यक्त करना बहुत कठिन है। पंचायती राज में पुरुषों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच में स्त्रियों ने अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है, परन्तु वास्तविकता क्या है, इसे हम आप सभी परिचित हैं कि सरपंचपति ही सर्वेसर्वा है।

माननीय न्यायालयों ने पारंपरिक प्रक्रिया से हटकर जिसके अंतर्गत पीड़ित पक्षकार द्वारा न्यायालय में याचिका दायर कर अनुचित मांगने पर उसे न्याय दिया जाता है, से हटकर किसी भी व्यक्ति द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाले पत्र न्यायालय को लिखने या किसी समाचार पत्र में इस तरह के रिपोर्ट प्रकाशित होने पर स्व-प्रेरणा से प्रकरण दर्ज कर उनका सुनवाई कर उचित एवं आवश्यक आदेश पारित किये हैं (बिलासपुर में छाया प्रकरण में शासन को निर्देशित किया गया था क्योंकि माननीय न्यायालयों ने इस बात को महसूस किया है कि सामाजिक बंधनों, अशिक्षा, आर्थिक विवशता या अन्य कारणों पीड़ित महिलाएं न्यायालय की शरण नहीं ले पाती तथा उनके विरुद्ध अत्याचार बदस्तूर चलते रहते हैं। अतः यह न्यायालय का दायित्व कि वह पीड़ित पक्षकार द्वारा न्याय मांगने के लिए न्यायालय दरवाजा खटखटाने का इंतजार न करें, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर पीड़ित पक्षकारों को न्याय प्रदान करें और उनके उन बुनियादी

छत्तीसगढ़ की सामाजिक ...

अधिकारों की रक्षा करें, जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, तथा जिनका अस्तित्व न्यायपालिका का दायित्व है। फिर भी न्यायपालिका द्वारा अब तक जो कुछ इस दिशा में किया गया है, उसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुंह में जीरे से की जा सकती है। वस्तुतः न्यायपालिका ने अपनी सीमा और अधिकार का उपयोग करते हुए महिलाओं को उनके मानवीय अधिकार दिलाने का प्रयास किया है तथापि उसकी बचत अपनी सीमायें हैं इसलिए इस क्षेत्र में भी मानवाधिकार की आवश्यकता है।

शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े इस राज्य में स्कूलों में भी मानव अधिकारों की स्थापना की आवश्यकता है। क्योंकि एक समय था जब शिक्षक मार-मार कर पढ़ाते थे, फिर मारना मना हो गया क्योंकि शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 26 के अनुसार:-

1. सभी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कम से कम प्रारंभिक व मूल स्तरों में निःशुल्क होगी। तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा को सामान्य रूप से प्राप्य बनाया जाएगा तथा उच्च शिक्षा सभी को योग्यता के आधार पर सामान्य रूप से प्राप्त होगी।
2. शिक्षा ऐसी होनी चाहिए ताकि मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो सके तथा मानव अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रताओं के आदर को मजबूत बनाया जा सके।
3. माता-पिता को अपने बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा के प्रकार का चयन करने का पूर्ण अधिकार है।

इस संदर्भ में भारतमाता स्कूल बिलासपुर के प्राचार्य द्वारा प्रताड़ित छात्रों का

मामला हो या सुदूर बस्तर के सुकमा में दो सगे भाईयों की हत्या करने वाले शिक्षक का या बिलासपुर के अंध-मूक बधिर शाला के छात्र द्वारा की गई आत्महत्या। रैगिंग की घटनाओं के लिए भी मानव अधिकार की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक वनावट इसप्रकार की है कि जंगलों, पहाड़ों से घिरा यह क्षेत्र आदिवासी बहुल है। इन भोले-भाले आदिवासियों की मानव अधिकारों की रक्षा हेतु नक्सलवादी से प्रारंभ हुआ नक्सलवाद यहां पहुंच गया है और प्रशासन तंत्र विफल हो चुका है। आदिवासियों की मूलभूत आवश्यकताओं और अभावों के बीच उनकी सबसे बड़ी दौलत नमक है और इसी की आड़ में उनका तथाकथित सभ्य समाज के द्वारा शोषण भी खूब हो रहा है। नक्सली लोग 16 में से 9 जिलों में अपनी समानान्तर सरकार चला रहे हैं इनके ऊपर मानव अधिकार आयोग की पैनी निगाह आवश्यक है क्योंकि इनका निशाना सरकारी तंत्र और पुलिस है। पुलिस निरपराध लोगों की नक्सली के नाम पर हत्या से बाज आएंगे। वास्तव में इस फटेहाल आदिवासियों का सरकार यदि भला करने की कोशिश करेगी तो जनजागरण जैसे कार्यक्रम के द्वारा उन्हें इनका समर्थन भी

* डॉ. श्रीमती शारदा दुबे ** डॉ. दुर्गा बाजपेयी

मिलेगा।

बालश्रम को प्रतिबंधित किया गया है, परन्तु इस छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि घरेलू नौकर के रूप में होटलों में, विभिन्न व्यवसायों में और छोटे उद्योगों में भी इसका उल्लंघन हो रहा है। अतः बचपन को कुठित होने से बचाने के लिए यह मानवाधिकार का हस्तक्षेप आवश्यक है।

अंत में यदि छत्तीसगढ़ की पुलिस की चर्चा न की जाये तो यह विषय अधूरा ही रह जायेगा। पुलिस की थर्ड डिग्री के कारण उन पर मानव अधिकार आयोग का शिकंजा कसना अनिवार्य है, क्योंकि तखतपुर धाना, कुम्हारी धाना और अन्य धानों में पुलिस हिरासतों में हुई मौतों और बचाव में पुलिस द्वारा गद्दी गई कहानियां गुडगांव की पुलिस बर्बरता की याद दिलाती है। मानव अधिकार के विश्व घोषणा पत्र में भी इसका स्पष्ट उल्लेख है।

अनुच्छेद 10 के अनुसार:-

सभी को उन पर आरोपित किसी भी अपराधिक आरोप के विरुद्ध तथा अधिकारों व कर्तव्यों के निर्धारण हेतु पूर्णतः स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायधिकरण द्वारा सार्वजनिक व निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

अनुच्छेद 11 के अनुसार:-

1. किसी को भी जिस पर दण्डनीय अपराध का आरोप है तब तक निर्दोषी अनुगामित होने का अधिकार है, जब तक एक लोक मुकदमें की विधि द्वारा, जिसमें उसे स्वयं का निर्दोषी प्रमाणित करने की सुविधा प्राप्त हो रही हो, दोष सिद्ध नहीं किया जाता।
2. जो अपराध, अपराध करने के समय राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार दंडनीय नहीं है, उस अपराध के लिए अपराध करने के पश्चात बनी विधि द्वारा किसी को भी दंडित नहीं किया जायेगा। जो सजा अपराध करने के समय विधिवत वैध है उससे अधिक सजा बाद में निर्मित विधि के मंतव्य अनुसार नहीं दी जायेगी।

इसके बाद भी हम यह देख रहे हैं कि जेलों में तो जो मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, वह अलग बात है, पुलिस थानों ही हिरासत में मौत, प्रताड़ना, निरपराधी व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि घटनाएं हो रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र के भी हमें नेताओं के भ्रष्ट चरित्र देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक हत्या, विधायक, सांसद खरीद फरोख्त इनसे इन नेताओं का चरित्र सामने आ रहा है। राजनीतिक सत्ता मानव अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती तब ठीक उसी तरह मानव अधिकारों का प्रयोग सत्ता के विरुद्ध भी नहीं हो सकता है।

मानव व अधिकार दो शब्द हैं जिनका आपस में पारस्परिक संबंध है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह जीवन पर्यन्त समाज में रहता है। समाज से व्यक्ति का परोक्ष व अपरोक्ष दोनों प्रकार का संबंध

छत्तीसगढ़ की सामाजिक ...

होता है। इसलिए अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन स्वतंत्रता व प्रतिरक्षा का अधिकार है। भोषणा पत्र में उल्लिखित टन 30 अनुच्छेद के तहत अधिकार यदि व्यक्ति को मिल जाये तो वह मानव बन जायेगा और उसका पालन करता हुआ एक संगठित और सभ्य समाज का निर्माण करने में समर्थ होगा।

मानव अधिकारों का सामाजिक उद्देश्य उनको सीमित करने के बजाय समाज में उनके संप्रवर्तन द्वारा किया जा सकता है। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु विधिक तंत्र के निर्माण के साथ ही उनके सामाजिक उद्देश्यों को भी प्राप्त करना है। व्यवस्थापिका द्वारा जब-जब आयकर संबंधित विधान का निर्माण किया जाता है तो उसके अर्थ संपत्ति के अधिकार को ठेस पहुंचाना नहीं होता, बल्कि राज्य के अधिकतम व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना होता है।

बहुत से अधिक मानव अधिकार हैं जो अब तक जीवंत रूप से उपस्थित नहीं होते जब तक समाज अपनी राजनैतिक सत्ता के माध्यम से उस अधिकार के लिए अपनी सामाजिक व्यवस्था में

उसका कोई स्थान निश्चित नहीं करता। कार्य करने का अधिकार तब तक निरर्थक है, जब तक राज्य उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था न करें। यदि राज्य शिक्षा संबंधी साधनों का निर्माण व विकास नहीं करता तो शिक्षा का अधिकार अज्ञानता के अधिकार के समान ही होगा।

चूंकि मानव अधिकारों का संबंध सामाजिक उद्देश्यों से जुड़ा है, अतः उनका संबंध राजनैतिक सत्ता से भी होता है। वह एक दूसरे के विरोध में न रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं।

अतः इस अंधकरमय वातावरण से बाहर निकलने का संभवतः एक ही मार्ग है, वह यह कि मानव अधिकार से संबंधित सभी व्यक्तियों से अर्थात् हम सभी से एक सशक्त अपील की जाये। राज्य मानव अधिकारों का अनुपालन हम लोगों अर्थात् जनता के आग्रह पर ही करेंगे, जनमत ही है जो कि राज्यों को मानव अधिकार का सम्मान करने पर बाध्य कर सकती है।

आज के युग में मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक ही प्रभावी अनुश्रुति है और वह है "जनमत"

संदर्भ :

1. चौधरी डॉ. धर्मपाल-बाल कल्याण की आदेश पटना बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी
2. घटना चक्र मासिक पत्रिका
3. हरीश कुमार खत्री- मानवाधिकार

डा. श्रीमती सुजाता तेंभुएल

Vol: VII (III&IV)
July-December 2016

ISSN 0975-8771
RNI : CHHBIL/2010/36213

Combined Issue

Educational Waves

Chief Editor-
Dr. Chandrani Tiwari



**A Quarterly Inter Disciplinary Reviewed
Refereed Research Journal**

website : www.educationalwaves.com
e-mail : drctiwari@yahoo.com

Educational Waves

Multidisciplinary Quarterly Research Journal

75-8771

Editorial Board

Chief Editor :

Dr. Chandrani Tiwari

Advisor :

Dr. V. K. Patel

H.O.D. Geog. D.P.Vipra P.G. College Bilaspur (C.G.)

Associate Editor :

Indrani Sinha Kolkata (WB.)

Dr. A. Rajshekhar Raipur (C.G.)

Joint Editors :

Dr. V.K. Tripathi- B.H.U. (Varanasi)

Dr. Manish Tiwari

Dr. R.K. Tiwari

Co-ordinators :

V. K. Tiwari H.O.D. Geog. C.M.D.P.G. College, Bilaspur (C.G.)

L. Verma H.O.D. Geog. - Govt. Yoganandem PG College Raipur (C.G.)

Dr. Sarla Sharma H.O.D. Geog. - Pt. R.S.U. Raipur (C.G.)

P.K. Nayak Dr. C.V. Raman University Kota, Bilaspur (C.G.)

Kiran Gajpal Joint Director, Higher Education Raipur (C.G.)

Dr. M.R. Agar Govt. Agrasen College Bilha (C.G.)

Dr. Uma Gole (Geography) - Pt. R.S.U. Raipur (C.G.)

M.L. Jaishwal H.O.D. Botany D.P. Vipra College Bilaspur (C.G.)

Smilini Shrivastava H.O.D. Geog. Govt. Mahakoushal PG College Jabalpur (M.P.)

Dr. M.S. Tamboli (D.P. Vipra College Bilaspur)

Dr. Devendra Shukla (Shakti College C.G.)

Office Assistance :

Siddharth Tiwari

Address of the
editor's office / Publication

Ashok Nagar, Akash Vihar Colony, Sarkanda,

Bilaspur Chhattisgarh Pin-495 006

Phone : 07752-655897.

Mobile No. 9907150634

E-mail - dretiwari@yahoo.com

Website : www.educationalwaves.com

Copy Right - Dr. Ajay Tiwari

Page No.

All the ideas published in the articles are completely the views and opinions of the authors. They are solely responsible for any disputes related to their articles. Editors/Publisher will not take any responsibility regarding this matter.

Selection of the research papers depends on the decisions of the editorial board and the advices of the subject experts in the related subjects.

Note :-

- * Original research papers are invited for publication from the geographers, research scholars of varied disciplines from India and abroad.
- * In case of any legal implication and disputes related to educational waves, will come under Bilaspur judicial jurisdiction only.

RNI : CHHBIL/2010/36213 Educational Waves Vol. VII, Issue-III&IV July-Dec 2016 ISSN 0975-8771

Educational Waves

Multidisciplinary Quarterly Research Journal

ISSN 0975-8771

RNI CHHBIL/2010/36213

Vol-VII ISSUE-III&IV July to Dec. 2016

CONTENTS

Subject	Page No.
◇ Naxalism And Its Impact In India * * Dr. M.S. Tamboli	1-6
◇ Socio-economic culture in Nadia District of West Bengal- Bangladesh frontier" * Dr. Prashant Gauraha ** Mr. Tapan Gain	7-10 .'
◇ Literacy Rate & Level of Education in Scheduled Caste Population in Bilaspur District (C.G.) * Dr. Manjula Dubey ** Debasis Maji	11-15
◇ A Comperative Study On Educational Administration Among Private And Govt. School Teachers In Relation To Their Locale * Rajkumar Panda ** Dr. Chandrani Tiwari	16-18
◇ The Imapet of Transoprt on Tourism Of Bilaspur Distict (C.G.) * Dr. Prashant Gauraha ** Mr. Nilanjan Roy	19-23
◇ Study of the Environmental Awareness of elementary level students in Rural and Urban areas in Bilaspur districts * Nayan Ranjan Panda ** Rajkumar Panda	24-26
◇ Comparative Study of Impact Of Infrastructural Facilities On Villages Nimtara & Pand Bilaspur District * Padma Das ** Dr. Manjula Dubey	27-30
◇ A study of Multiphasic Interest in Different Class Students" * Smt. Sukanya Panda	31-34
◇ वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार * श्रीमती मुजाता समुएल ** श्रीमती कांति अंचल	35-36
◇ छत्तीसगढ़ विधानसभा की समितियां तथा उनकी भूमिका * डॉ. पी. एल. पटेल	37 to 40
◇ महिला प्रताड़ना एवं मानवाधिकार * डॉ. अंजू शुक्ला ** डॉ. स्वाति शर्मा	41 to 42

RNI : CHHBIL/2010/36213 Educational Waves Vol. VII, Issue-III&IV July-Dec 2016 ISSN 0975-8771

वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार

* श्रीमती सुजाता सैमुएल ** श्रीमती कांति अंचल

सारांश:

वर्तमान युग में यातायात और संचार के साधनों के तीव्र विकास ने भौगोलिक दूरियों को महत्वहीन कर दिया है, विश्व के किसी भी कोने में होनेवाली किसी महत्वपूर्ण घटना की सूचना समूचे विश्व में कुछ क्षणों में ही फैल जाती है और दूरदराज के क्षेत्रों में भी पहुंच अब सरलतापूर्वक संभव है। यातायात और संचार तकनीकी के इस विकास ने कई नवीन आयाम हमारे समक्ष खोले हैं, वैश्वीकरण के दौर में मानवाधिकार के बदलते परिप्रेक्ष्य उनमें एक महत्वपूर्ण आयाम है।

वैश्वीकरण- जब स्थानीय वस्तुएं या घटनाएं विश्वस्तर पर रूपांतरित होती हैं, या कोई ऐसी प्रक्रिया गतिशील होती है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलाकर एक समाज बनाते हैं या एक साथ कार्य करते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण की संज्ञा देते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है।¹ टॉम जोपोमर के अनुसार वैश्वीकरण सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों को ह्रास या विलोपन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र है।²

नाआम चांमस्की के अनुसार वैश्वीकरण सीमाओं के पार विनिमय पर राज्य प्रतिबंधों का ह्रास या विलोपन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ उत्पादन और विनिमय का तीव्र एकीकृत और जटिल विश्व स्तरीय तंत्र है।³

शब्द वैश्वीकरण का उपयोग सामाजिक विज्ञान के विद्वानों द्वारा 60 के दशक किया जाता है, इस सैद्धांतिक अवधारणा के प्रचलन का श्रेय अमेरिका के चार्ल्स तेज रसेल को दिया जाता है। वैश्वीकरण सदियों लंबी प्रक्रिया है, जिसका प्रारंभ चीन के हान राजवंश युग से माना जाता है, जब वहां के रेशम व्यापारियों ने पार्थियन साम्राज्य तक और फिर आगे तक आवागमन प्रारंभ किया था, इस्लामी स्वर्ण युग में भी मुस्लिम शोधकर्ताओं और व्यापारियों ने ज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवमूल्यों को विस्तारित करने में योगदान किया।

16 वीं और 17 वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापार के प्रसार द्वारा वैश्वीकरण की प्रक्रिया चलती रही और इस प्रक्रिया ने अ विकसित देशों की संस्कृतियों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टियों से अर्थकालीन प्रभाव छोड़े।

मानवाधिकार :

प्रत्येक विकसित या विकासशील समाज में कुछ अधिकारों की पहचान की जाती है, जिनके सभी मानव प्राणी अधिकारी माने जाते हैं, कि उनका और समाज का विकास सुचारूदंग से संभव हो सके, इनमें आर्थिक और राजनैतिक अधिकार शामिल होते हैं जैसे जीवन का

अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि।

मानवाधिकार की अवधारणा मानव सभ्यता के विकास के साथ ही क्रमशः विकसित होती गई है, अनेक प्राचीन ग्रंथों में मानवाधिकार के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं यथा मदीना का संविधान, अशोक का आदेश पत्र आदि।

स्पष्ट और लिखित रूप से मानवाधिकारों की व्यवस्था आधुनिक समाजों की देन है। "द ट्वेल्थ आर्टिकल ऑफ द ब्लैक फॉरेस्ट (1525)" को प्रथम व्यवस्थित मानवाधिकारों का दस्तावेज माना जाता है। 1776 में संयुक्त राज्य अमेरिका और 1789 में फ्रांस में हुई क्रांतियों ने मानवाधिकारों के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा तथा फ्रांस में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा से उन देशों में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिला जहां तानाशाही प्रशासन था।

अधिकतर विद्वान इस तथ्य पर सहमत हैं कि लोकतंत्र जो अब मानवाधिकारों के परिपालन की अनिवार्य शर्त माना जाने लगा है, मुक्त व्यापार की अवधारणा के साथ मिलकर वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है, अर्थशास्त्रियों की यह मान्यता है कि मुक्त व्यापार के माध्यम से संसाधनों का अधिक कुशल आबंटन संभव होता है, जिसके कारण विकासशील देशों के निवासियों के लिए कम कीमतें, अधिक रोजगार, उच्च उत्पादन और उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति संभव होती है।

इस तथ्य से सभी विद्वान सहमत हैं कि मानवाधिकार तभी संभव है वह व्यक्ति जीविकोपार्जन हेतु सम्मानजनक तरीके से अपनी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आय अर्जन कर सके वैश्वीकरण की बात 20 वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में तेजी से उठी थी और इसके कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1981 से 2001 तक 1 डॉलर या उससे कम पर जीवनयापन करनेवाले लोगों की संख्या 15 अरब से घटकर 1.1 अरब रह गई है। वास्तव में आलोच्य अवधि में विकासशील देशों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है फिर भी यहां निर्धनतम आबादी का प्रतिशत 40 से घटकर

सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर

सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी छा. जिला बिलासपुर छा.

20 रह गया है। वैश्वीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिदिन 2 डॉलर से कम पर जीनेवालों का प्रतिशत बहुत अधिक कम हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गरीबी की दर बहुत अधिक स्थिर बनी हुई है। चीन सहित पूर्वी एशिया में प्रतिशत में 50.1 फीसदी की कमी आई है, जबकि उपसहारा अफ्रीका में 22: की वृद्धि हुई है।

विगत वर्षों में पूरी दुनिया में लोकतंत्र की उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। 1900 में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था जिसके पास सार्वभौमिक मताधिकार हो लेकिन 2000 में ऐसे राष्ट्रों की संख्या विष्व के सभी राष्ट्रों की संख्या का 625: थी। विष्व की श्रम शक्ति में बालश्रम का प्रतिशत 1960 के 24: से गिरकर 2000 में 10: रह गया था। विद्युत व्यवस्था, रेडियो और टेलीफोन के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि हुई है। साथ ही जनसंख्या के एक बड़े भाग को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होने लगी है।

वैश्वीकरण का प्रभाव मानवाधिकारों पर मात्र सकारात्मक ही नहीं रहा है। कई ऐसे उदाहरण रहें हैं जहां वैश्वीकरण ने मानवाधिकारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है क्योंकि शक्तिशाली देश अपने राष्ट्रीय बाजारों जहां अधिकतम नियंत्रण उनके नागरिकों को होता है को बचाने की कोशिश करते हैं। विकासशील और पिछड़े देशों का अधिकतर निर्यात खनिज संसाधनों और कृषि उत्पाद के रूप में होता है और विकसित देश चूंकि अपने उत्पादकों को सब्सिडी देते हैं, विकासशील देश के कृषक उनसे प्रतियोगिता नहीं कर पाते और उन्हें अपने उत्पाद कम दामों पर बेचने पड़ते हैं, साथ ही उनके खनिज संसाधन विकसित देश कम कीमत पर खरीदते हैं और तैयार माल उच्च कीमत पर उन्हें ही बेचते हैं साथ ही सस्ते श्रम के रूप में विकसित देश विकासशील देशों

संदर्भ :

1. शैला एन क्रोचर - वैश्वीकरण और संबंध : एक बदलती हुई दुनिया की पहचान की राजनीति रोमेन और लिब्रिट फोल्ड (2004) 230
2. टॉम जी. पॉमर - वैश्वीकरण महान है - काटो संस्थान
3. जीनेट, कारपोरेट वैश्वीकरण, कोरिया और अन्तर्राष्ट्रीय मामले, जूंगआंग मासिक 22 फरवरी 2006
4. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1992, मानव विकास रिपोर्ट, 1992 (न्यूयार्क - ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेंस)

के श्रमिकों का शोषण भी करते हैं और वास्तव में वैश्वीकरण विकसित देशों के पक्ष में अधिक कार्य करता दिखाई देता है। नतीजतन विश्व अमीर देशों की आय बढ़ती जा रही है और निर्धन देशों के लोगों की कतम में खड़े होते जा रहे हैं। निम्न चार्ट विश्व में तेजी से बढ़ती आर्थिक असमानता को बहुत अच्छी तरह प्रदर्शित करता है।

निष्कर्ष :

यह सत्य है कि वैश्वीकरण का अधिकतम लाभ विकसित देशों के निवासियों ने उठाया है, साधनहीन देशों के नागरिकों का विकसित साधन संपन्न देशों के नागरिकों से सीधी स्पर्धा में पिछड़ता स्वाभाविक ही है।

दूसरी ओर यह भी तथ्य है कि प्रतियोगिता की भावना, दूसरों को देखकर सीखना और अपनी स्थिति से असंतोष मानवमात्र का स्वाभाविक भावना है। वैश्वीकरण ने एक देश के नागरिकों को दूसरे देशों के नागरिकों के निकट आने के कई अवसर उपलब्ध कराए हैं, विभिन्न देशों की जीवन शैलियां जीविकोपार्जन के तरीकों और सांस्कृतिक वैविध्य को समूचे विश्व के सामने प्रकट किया है। "राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतारण है" या "पोप धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है" जैसी अवधारणाएं अब प्रासंगिक नहीं रही हैं।

वैश्वीकरण ने मानवाधिकारों को प्रभावित किया है और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष रहे हैं। यदि विकासशील और पिछड़े देशों के नागरिक एक साथ खड़े हो और विश्वबंधुत्व की भावना से कार्य करें तो वैश्वीकरण में नकारात्मक पक्ष सीमित होगा और यह मानव सभ्यता के सकारात्मक विकास में सर्वाधिक मूल्यवान उपादान सिद्ध होगा।

छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या वृद्धि:—एक भौगोलिक विश्लेषण

Dr. K. R. Matawale
Assistant Professor Geography
Govt.Pataleshwar College Masturi,
District –Bilaspur (C.G.)

रामायण एवं महाभारत ग्रंथ के अनुसार प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। सन १७४१ से १८४५ तक छत्तीसगढ़ मराठा शासन के अन्तर्गत था। शासकीय अभिलेखों में प्रथम बार सन १७९५ में छत्तीसगढ़ का नाम उल्लेखित किया गया। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ के अन्तर्गत ३६ किला अर्थात् ३६ गढ़ सम्मिलित थे, इसी के आधार पर छत्तीसगढ़ नाम पड़ा।

ब्रिटीश शासन काल (१८४५ से १९४७) के समय छत्तीसगढ़ डिविजन सेंट्रल प्रोविन्स के अन्तर्गत था। तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर थी। छत्तीसगढ़ ०१ नवम्बर १९५६ को राज्य निर्माण अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत नया राज्य मध्यप्रदेश के साथ सम्मिलित हुआ। ०१ नवम्बर २००० को छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश से अलग हो कर एक स्वतंत्र नया राज्य बना। यह भारत का २६ वाँ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के अन्तर्गत २७ जिले सम्मिलित हैं। जिसमें से ०९ जिलों का गठन नया हुआ है।

छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश के दक्षिण पूर्व में १७°४६' उत्तरी अक्षांश से २४°०५' उत्तरी अक्षांश तथा ८०°१५' पूर्वी देशांतर से ८४°२०' पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी उत्तर — दक्षिण लम्बाई ३६० किमी तथा पूर्व—पश्चिम चौड़ाई १४० किमी है। तथा यह १३७८९८ वर्ग

किमी के क्षेत्रफल पर विस्तृत है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का ४.११% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का ०९ वाँ सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या २५५४०१९६ है। जो देश की कुल जनसंख्या का २.११% है। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश का १६ वाँ बड़ा राज्य है। देश के कुल लौह इस्पात का १५% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। भारत में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो अति शीघ्र विकसित हुआ है।

किसी भी देश या प्रदेश के बहुमुखी मितव्ययिता पूर्ण उपयोग एवं समुचित राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या का अपना एक अलग ही महत्व होता है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और देश की प्रौद्योगिकी एवं व्यापारिक उन्नति यहाँ पाये जाने वाले जनसंख्या के वितरण घनत्व, कुशलता व क्षमता एवं लोगों के स्वभाव पर निर्भर करता है। जापान देश मेहनतकश, कुशल एवं विकास की चाह रखने वाली जनसंख्या रूपी वाहन पर सवार होकर आज सीमित संसाधनों के होते हुए भी विश्व के सबसे धनी देशों में से एक बन गया है। प्रशिक्षित एवं विकास के प्रति आशावादी व मेहनत करने वाली जनसंख्या से बढ़कर अन्य कोई संसाधन विकास द्वार हो ही नहीं सकता। वर्तमान सरकारों विकास के लिये सर्वप्रथम जनशक्ति को जागृ करती है। भारत सरकार जन-जन को शिक्षित व आगे बढ़ने एवं तेजी से विकास करने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। क्योंकि आज का प्रशिक्षित एवं शिक्षित समाज राष्ट्र विकास का सबसे बड़ा शक्ति या संसाधन है।

जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन वृद्धि व ह्रास होता है तो उसे समान्यतः वृद्धि व घटाव कहा जाता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या जन्म, मृत्यु तथा स्थानांतरण इन तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं का प्रतिफल होता है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी भी क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्था के संदर्भ में किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण तथा आर्थिक संसाधनों

व निधारण करता है। तथा इस बात का भी साह्य है कि मानव का रहन-सहन इन धनों के उपयोग से किस स्तर तक प्रभावित है। यदि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक तीव्र होता है तो देश प्रदेश के आर्थिक विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। अतः जनसंख्या वृद्धि के पिछली प्रवृत्ति से भविष्य की प्रवृत्तियों का अनुमान लगाया जा सकता है।

Table 1:1

Population And Progressive Population Growth Rate, Chhattisgarh And India Chhattisgarh's Share in India's Population 1901 -2011

Census Year	Total Population (in millions)		Progressive growth rate (percent)		Chhattisgarh's share in India's population (percent)
	Chhattisgarh	India	Chhattisgarh	India	
1901	4.2	238.4	-	-	1.75
1911	5.2	252.1	24.15	5.75	2.06
1921	5.3	251.3	25.91	5.42	2.09
1931	6.0	279.0	41.18	17.02	2.16
1941	6.8	318.7	62.97	33.67	2.14
1951	7.5	361.1	78.32	51.47	2.07
1961	9.2	439.2	118.93	84.25	2.08
1971	11.6	548.2	178.31	129.94	2.12
1981	14.0	683.3	235.03	186.64	2.05
1991	17.6	846.3	321.25	255.00	2.08
2001	20.8	1028.6	398.23	331.47	2.03
2011	25.5	1210.2	420.82	349.11	2.11

छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या का वितरण समान है। राज्य के समस्त भू-भागों तथा जल नो के आस-पास जनसंख्या का संकेंद्र अधिक है। इसके विपरीत असमतल, तीव्र ढाल तथा शच्छादित भू-भागों में जनसंख्या विरल है। छत्तीसगढ़ मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार यहां ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या अनुपात ७६.७% २३.२ है। राज्य के ०१२६ ग्रामों में राज्य की ७६.७६% जनसंख्या वास करती है। राज्य के जनजाति बाहुल्य जिलों

जैसे— सरगुजा (१३.०६%) बस्तर (१०.०५%) तथा रायगढ़ (८६.६१%) में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। जबकि इसके विपरीत समतल मैदानी नदी बेगिन क्षेत्रों में जैसे — राजनासगांव (८१.९५%), बिलासपुर (७५.६६%) रायपुर (६९.५८%) एवं दुर्ग (६१.८८%) जिलों में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कम है। जनसंख्या के आकार को दृष्टि से रायपुर (८०६२९६०) सबसे बड़ा जिला है। तथा नासयणपुर (१८०२०६) सबसे छोटा जिला है। राज्य की कुल जनसंख्या में ५९३६५३८ नगरीय तथा १९६०३६५८ ग्रामीण जनसंख्या है। राज्य में २३.२८% नगरीय जनसंख्या निवास करती है। जबकि २००१ में नगरीय जनसंख्या ४१७५३२९ थी जो कुल जनसंख्या का २०.०८% थी।

Table 1:2

Chhattisgarh & India :- Decadal and annual growth (1901-2011)

Decade	Decadal Growth rate (percent)		Average annual exponential growth rate (percent)	
	Chhattisgarh	India	Chhattisgarh	India
1901-11	24.15	05.75	02.16	00.56
1911-21	01.41	-00.31	00.14	-00.03
1921-31	14.51	11.00	01.35	01.04
1931-41	13.04	14.22	01.23	01.33
1941-51	09.42	13.31	00.90	01.25
1951-61	22.77	21.64	02.05	01.96
1961-71	27.12	24.80	02.38	02.22
1971-81	20.39	24.66	01.87	02.20
1981-91	25.73	23.85	02.29	02.14
1991-2001	18.27	21.54	01.68	01.95
2001-2011	22.59	17.64	02.05	01.60

छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में परिवर्तन विन्दु जनगणना वर्ष १९२१, १९५१, एवं १९८१ था। विगत ११० वर्षों में जनसंख्या में हुए चार गुने की वृद्धि के इतिहास को निम्नलिखित चार कालखण्डों में विभाजित किया जा सकता है:—

१. १९०१ से १९२१ की अवधि में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप —

जनसंख्या विकास की दृष्टि से सन १९२१ को भारत की जनसंख्या का वृहत् विभाजक वर्ष कहते हैं। इसके पूर्व जनसंख्या की वृद्धि दर अति अल्प रही है। भारत के समान ही छत्तीसगढ़ में भी १९०१ से १९२१ के अवधि में जनसंख्या में काफी उतार-चढ़ाव रहा। १९०१ से १९११ के दशक में कुल जनसंख्या में १० लाख की वृद्धि हुई जो कुल जनसंख्या का २४.१५% है। जबकि १९११ से १९२१ के दशक में वृद्धि दर केवल ०.१४% रही। इसका मुख्य कारण दुर्भिक्षों एवं संक्रामक बीमारियों जैसे - प्लेग, मलेरिया एवं एन्पलूएन्जा आदि है। इसके प्रकोप के कारण वृद्धि दर अति निम्न रही। १९०१ से १९२१ की अवधि में प्रगतिशील वृद्धि दर २.९१% रही है। जबकि भारत में इसी अवधि में प्रगतिशील वृद्धि दर मात्र ५.४२% रहा। वर्ष १९११, १९१३, १९१५, १९१८ एवं १९२० में सुखा की स्थिति रहा फलस्वरूप भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होने के कारण मृत्यु दर में वृद्धि होनी लगी। जबकि जन्म दर उच्च बना रहा। फलस्वरूप जनसंख्या में मंद गति से वृद्धि हुआ। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर १९०१-१९११ की अवधि में २.१६% तथा १९११-१९२१ की अवधि में मात्र ०.१४% की वृद्धि रही। यदि इसकी तुलना भारत से करें तो इसी अवधि में ०.५६% एवं -०.०३% ऋणात्मक वृद्धि रही है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जनगणना वर्ष १९०१, १९११ एवं १९२१ में भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः १.७५%, २.०६% एवं २.०९% रहा है।




Fig. 1:1

२. १९२१ से १९५१ की अवधि में जनसंख्या वृद्धि का स्वरूप-

इस अवधि में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या पुनः तेजी से बढ़ने लगी। १९२१ में ५.३ मिलियन जनसंख्या थी जो १९५१ में बढ़ कर ७.५ मिलियन पहुंच गई। अर्थात् इस अवधि में २.२ मिलियन की वृद्धि हुई। १९२१ से १९५१ के मध्य औसत वार्षिक वृद्धि लगभग १.१६% रहा। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जनगणना वर्ष १९३१ में ६.० मिलियन, १९४१ में ६.८ मिलियन एवं १९५१ में ७.५ मिलियन था। जो भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः २.१६%, २.१८% एवं २.०७% था। यह किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के न होने तथा शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण का प्रभाव था। १९२६ के पश्चात इन तीन दशकों में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा परिवहन साधनों के विस्तार से दुर्भिक्षों में कमी आयी, संक्रामक बीमारियों के रोकथाम के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया गया। जैसे - मलेरिया, हैजा, चेचक, प्लेग आदि के लिये पूर्ण प्रयास किया गया। इससे इनका प्रकोप कम हुआ। फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होने लगा।

१९२१-३१ के दशक में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर १४.५१% था, १९३१-४१ के दशक में १३.०४% तथा १९४१-५१ के दशक में ९.४२% था। जबकि इन्हीं अवधियों में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः ११.०%, १४.३२%, एवं १३.३१% था। छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः १.३५%, १.२३%, एवं ०.९०% था। जबकि भारत में क्रमशः २.०४%, १.३३% एवं १.२५% था। छत्तीसगढ़ में प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः १९३१ में ४४.१८%, १९४१ में ६२.९७% एवं १९५१ में ७८.०२% था। जबकि भारत में क्रमशः १७.०२%, ३३.६७% एवं २५.१४% था। जन्म दर के अपेक्षा मृत्यु दर में अत्यधिक तेजी से कमी आने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक रहा। लेकिन यह वृद्धि दर छत्तीसगढ़ में घटती दर से हुआ। परम जनसंख्या में तो वृद्धि हुआ है लेकिन दशाब्दिक

दर (१९२१-३१, १९३१-४१ एवं १९४१-५१) में कमी हुआ है। छत्तीसगढ़ एक वनाच्छाया होने के कारण के कारण यहाँ स्वास्थ्य एवं न्युत्रियों का सही ढंग से विकास नहीं होने कारण वृद्धि दर में अपेक्षाकृत कमी हुआ है।

Chhattisgarh & India: Trend in Decadal Population Growth Rate - 1901-2011




Fig. 1:2

१९५१से १९८१ की अवधि में जनसंख्या दर का स्वरूप-

स्वतंत्रता के पश्चात जनसंख्या में गतिशीलता एवं तेजी से वृद्धि हुआ। १९५१ की जनसंख्या भारी वृद्धि के प्रारंभिक वर्षों का सहायक कारक १९५१ के पश्चात न केवल जनसंख्या का वृद्धि में भारी परिवर्तन हुआ बल्कि निरंतर जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है। १९५१-६१ के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर २०.३७% तथा १९६१-७१ के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर घटकर २०.३९% था। एक ही वसत संख्या में २.४ मिलियन की वृद्धि हुआ। ६१-७१ के दशक की वृद्धि दर १९५१-६१ तुलना में ४.३५ प्रतिशत अधिक रहा। छत्तीसगढ़ जनसंख्या वृद्धि दर के आंकड़े १९५१-६१ के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि १९५१-७१ दशक वृद्धि दर उपरोक्त अवधि का समानवर्धक दर है। यह वृद्धि दर भारत के समानवर्धक दर से २.३२% है।

छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि क्रमशः १९५१-६१ में २.०५ प्रतिशत ६१-७१ में २.३८ प्रतिशत एवं १९७१-८१ में २.८७ प्रतिशत रही जबकि इन्हीं अवधियों में भारत में औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः

१.९५ प्रतिशत, २.२० प्रतिशत एवं २.२० प्रतिशत थी। १९५१ से १९८१ के दशक में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का क्रमशः २.०३%, २.१२% एवं २.०५% था। छत्तीसगढ़ की प्रभावशाली जनसंख्या वृद्धि दर भारत की प्रभावशाली जनसंख्या वृद्धि में काफी अधिक है। जो सामान्य क्रमिक १:१ में स्पष्ट है।

१९५१ में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या २४,५७,७६६ थी जो बढ़कर १९८१ में १४,०१,०३३७ तक पहुँच गया। इस प्रकार पिछले ३० वर्षों में कुल ६,५५,३६,३१ जनसंख्या की वृद्धि हुआ। जो १९५१ का कुल जनसंख्या का ८७.८९ प्रतिशत था। जबकि इन्हीं अवधियों में भारत की जनसंख्या में २९.२३ प्रतिशत की वृद्धि हुआ। जनसंख्या में भारी तथा अप्रत्याशित वृद्धि दर के लिये उत्तमदायी प्रमुख कारकों में जन्म दर का उच्च बना रहना तथा मृत्यु दर में भारी कमी होना है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास होने के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुआ क्योंकि यह कारक जन्म दर एवं मृत्यु दर को प्रभावित करती है। १९७१-८१ के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आने का मुख्य कारण परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा श्रमिकों के बहिर्प्रवास रहा है। इस अवधि में विशेषकर शिशु एवं मातृत्व मृत्यु दर में कमी हुआ। लेकिन परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में निरन्तरता का अभाव रहा। फलस्वरूप जन्म दर में अधिक कमी नहीं आया। अतः परम जनसंख्या में वृद्धि हुआ।

१९८१ से २०११ की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर का स्वरूप-

भारत के समान छत्तीसगढ़ में भी जनसंख्या वृद्धि गति में बढ़ रहा है। जनगणना वर्ष १९८१ में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या १४.० मिलियन थी जो १९९१ में बढ़कर १७.६ मिलियन, २००१ में २०.८ मिलियन तथा २०११ में २५.५ मिलियन तक पहुँच गया। जो भारत कुल जनसंख्या का २.११ प्रतिशत है। इस प्रकार पिछले ३० वर्षों में राज्य की जनसंख्या में कुल ११.५ मिलियन की वृद्धि हुई। जो १९८१

की तुलना में ८२.१४ प्रतिशत अधिक है। जबकि भारत की जनसंख्या में ७७.११ प्रतिशत की वृद्धि हुई। अर्थात देश के अपेक्षाकृत राज्य में जनसंख्या वृद्धि (५.०३%) अधिक हुआ। २०११ में छत्तीसगढ़ की प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि दर ४२०.८२ प्रतिशत है जबकि भारत की प्रगतिशील जनसंख्या वृद्धि दर ३४९.११ प्रतिशत है।

१९८१ से २०११ के दशक में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में तो वृद्धि हुई। लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर में उतार-चढ़ाव की स्थिति बना रहा। जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट का रूख जारी है। १९८१-९१ के दशक में राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर २५.७३%, १९९१-२००१ के दशक में १८.२७% तथा २००१-११ के दशक में पुनः बढ़कर २२.५९ प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर में भी उतार-चढ़ाव की स्थिति रहा जैसे - १९८१-९१ में २.२९%, १९९१-२००१ में १.६८%, तथा २००१-११ में २.०५% रहा। जो मारणी क्रमांक १:२ से स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष २००१ की तुलना में २०११ में जनसंख्या वृद्धि दर ४.३२ प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर इस जनगणना में २३ प्रतिशत कम आंकी गई थी। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर १७.६४ प्रतिशत से भी अधिक है।

Chhattisgarh & India: Trends In Birth & Death Rate (1999-2010)




Fig.1:3

छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले ३० वर्षों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने का मुख्य कारण वर्द्धिवाय में कमी, मिर्चाई स्विधाओं का विकास, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य स्विधाओं का विकास व सुधार, शुद्ध पेयजल

की आपूर्ति, संक्रामक बीमारियों का उन्मूलन, शिक्षा योजनाओं में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन से संबंधित वृद्धि तथा रोजगार के अवसर भी बढ़े। लोगों के परिवार की भारणा के बलवन्ती होने के कारण मृत्यु तथा मृत्यु दर में कमी दर्ज हुआ। लेकिन इस दर की तुलना में मृत्यु दर में गिरावट अधिक है। प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च बना हुआ है। १९९० में मृत्यु दर २६.९ प्रति हजार था जो २०१० में घटकर ८.३ प्रति हजार हो गया है। जबकि भारत में १९९९ में मृत्यु दर २६.१ प्रति हजार था जो घटकर २२.१ प्रति हजार हो गया है। अतः भारत के अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर अधिक है। छत्तीसगढ़ में मृत्यु दर १९९९ में २६.९ प्रति हजार था जो घटकर २०१० में ८.० प्रति हजार हो गया। जबकि भारत में मृत्यु दर ८.७ से घटकर ७.७ प्रति हजार है। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वृद्धि दर १३.३ प्रति हजार है। अतः जनसंख्या निरन्तर तीव्र गति से बढ़ रहा है। जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्राकृतिक वृद्धि दर मारणी क्रमांक १:३ में स्पष्ट है।

Table 1:3

Chhattisgarh & India: Birth rates, Death rates & Natural growth rates (1999-2010)

Year	Birthrate (per 1000 population)		Deathrate (per 1000 population)		Natural growth rate (per 1000 population)	
	Chhattisgarh	India	Chhattisgarh	India	Chhattisgarh	India
1999	26.9	26.1	9.6	8.7	17.3	17.4
2000	26.7	25.8	9.6	8.5	17.1	17.3
2001	26.3	25.4	8.8	8.4	17.5	17.0
2002	25.9	25.0	8.7	8.1	16.3	16.9
2003	25.7	24.8	8.5	8.0	16.7	16.8
2004	27.4	24.1	7.7	7.5	19.7	16.6
2005	27.2	23.8	8.1	7.6	19.1	16.2
2006	25.9	23.5	8.1	7.5	18.8	16.0
2007	26.5	23.1	8.1	7.4	18.4	15.7
2008	26.1	22.8	8.1	7.4	18.0	15.4
2009	25.7	22.5	8.1	7.3	17.6	15.2
2010	25.3	22.1	8.0	7.7	17.3	14.9

छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का प्रादेशिक स्वरूप—

जनसंख्या वृद्धि दर में अनेक क्षेत्रीय एवं स्थानीय अंतर पाये जाते हैं। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन एवं विश्लेषण जिला स्तर के आंकड़े १९०१ से २०११ के आधार पर किया गया है। सम्पूर्ण राज्य में औसत जनसंख्या वृद्धि दर एक समान नहीं है। कहीं वृद्धि दर अति उच्च है तो कहीं यह अल्प अथवा राज्य औसत के समान है। २००१-११ के दशक में छत्तीसगढ़ में हुए जनसंख्या वृद्धि दर के प्रादेशिक स्वरूप को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। जो सारणा क्रमांक १.४ व १.५ एवं मानचित्र से स्पष्ट है।

१. उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र (>30%)—

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र के अन्तर्गत कवीरधाम (४०.६६%) रायपुर (३४.६५%) एवं बिलासपुर (३३.२१%) जिला सम्मिलित है। रायपुर (४०.६२लाख) एवं बिलासपुर (२६.६२लाख) जिला में जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है। जो छत्तीसगढ़ के कुल जनसंख्या का क्रमशः १५.९० प्रतिशत, १०.४२ प्रतिशत है। कवीरधाम जिला में (८.२२लाख) अपेक्षाकृत जनसंख्या कम है। छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है। राज्य बनने के बाद यहाँ सामाजिक एवं आर्थिक विकास अधिक हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार आदि कारणों से उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर बना हुआ है। साथ ही आंतरिक एवं बाह्य प्रवास एवं बाह्य प्रवास के कारण भी यहाँ जनसंख्या में अधिक वृद्धि दर दर्ज हुआ है। कवीरधाम एक नव निर्मित जिला है यहाँ जन्म दर ३० प्रति हजार है। रायपुर राज्य की राजधानी है, यहाँ जन्म दर २५ प्रति हजार तथा बिलासपुर में जन्म दर २६ प्रति हजार है। बिलासपुर में हाईकोर्ट स्थापित है। साथ ही यहाँ प्राकृतिक वृद्धि दर भी अन्य जिलों के अपेक्षाकृत अधिक है। जैसे— कवीरधाम २१ प्रतिशत, बिलासपुर १८.७ प्रतिशत एवं रायपुर में १८.५ प्रतिशत है। फलस्वरूप उच्च जनसंख्या वृद्धि दर एवं परम जनसंख्या में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। यह तीनों जिला एक

दूरीय से संलग्न है।

२. मध्यम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र (२०-३०%)—

मध्यम जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र ०२ जिला सम्मिलित है। यह दोनों जिला जांजगीर-चांपा एवं महासमुन्द राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ की कुल जनसंख्या १६.२० लाख एवं १०.३२ लाख है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या का १०.३८% है। तथा दशकीय वृद्धि दर का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर में काफी उतार-चढ़ाव की स्थिति है। जांजगीर-चांपा जिला में सर्वाधिक वृद्धि दर १९८१-९१ के दशक में ३१.३५% तथा सबसे कम वृद्धि दर १९६१-७१ के दशक में ७.९५% था। जबकि महासमुन्द जिला में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर (२३.३७%) १९६-७१ दशक में था। तथा सबसे कम वृद्धि दर (६.८८%) १९८१-९१ के दशक में था। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि महासमुन्द जिला में १९५१-६१ के दशक में — १६.२२ प्रतिशत ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज किया गया था। इसका मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध, अकाल, भूखमरी, हैजा, प्लेग व मलेरिया आदि कारणों से जन्म दर एवं मृत्यु दर में काफी गिरावट रहा है। २०११-१२ में जांजगीर-चांपा जिला में जन्म दर २१ व मृत्यु दर ७ प्रति हजार था। इसी प्रकार महासमुन्द जिला में जन्म दर २३ व मृत्यु दर ८ प्रति हजार था। महासमुन्द जिला में जनसंख्या वृद्धि दर राज्य के औसत से कम तथा जांजगीर-चांपा जिला में अधिक है। महासमुन्द जिला में नगरीय जनसंख्या २७.५ प्रतिशत जबकि जांजगीर-चांपा जिले में २२.४८ प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। यहाँ नगरीकरण की मंद गति एवं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर की मध्यम गति के कारण जनसंख्या वृद्धि दर मध्यम है।

Table 1:4

Chhattisgarh : Districts Classified of
Decennial Population Growth Rates
(2001 -2011)



Decennial Growth Rate (percent)	No. of Districts	Districts
<10	03	Kabirdham, Raipur, Bilaspur
20-30	02	Jajpur-Champa, Mahasamund,
>20	13	Rajnandgaon, Surguja, Narayanpur, Korba, Durg, Raigarh, Bastar, Kanker, Jashpur, Dhamtari, Kotiya, Dantewada, Bijapur

जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। शेष जिलों में जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम है। अतः जनसंख्या वृद्धि कम हुआ है। मृत्यु दर में अपेक्षाकृत स्थानिक अंतर काफी दुर्ग एवं बस्तर जिलों में हुआ है। दुर्ग जिले की साक्षरता दर (७९.६९%) राज्य में सर्वोच्च है। अतः जनसंख्या वृद्धि दर न्यून है।

निम्न जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र (<२०%)—

निम्न जनसंख्या वृद्धि दर के क्षेत्र के अन्तर्गत सांख्यिक वृद्धि दर २० प्रतिशत से कम वृद्धि वाले जिलों को सम्मिलित किया गया है। इसके अन्तर्गत राजनादगाव (१९.८२%), सरगुजा (१९.७४%), रायणपुर (१९.४९%), कोरबा (१९.२५%) दुर्ग (८.९५%) बस्तर (१७.८३%), कांकेर (१५.००%), जशपुर (१४.६५%), धमतरी (१८.११%) कोरिया (१२.००%) दंतवाड़ा (११.९०%), एवं बीजापुर (८.७६%) सम्मिलित है। इन १३ जिलों की कुल जनसंख्या ५३४०८४३ है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या २५५४०१९६ का ६०.०६ प्रतिशत है। राजनादगाव, सरगुजा, रायणपुर, कोरबा एवं दुर्ग जिलों में १९ से २० प्रतिशत तक एवं बस्तर, कांकेर, जशपुर, धमतरी, कोरिया एवं दंतवाड़ा जिलों में १० से १५ प्रतिशत तक की वृद्धि हुआ है। जबकि बीजापुर में वृद्धि दर सबसे कम है।

छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले बसंतखण्ड एवं रायनादगाव के पठार एवं दक्षिणी जिले बस्तर के पठार के अन्तर्गत स्थित है। उत्तरी एवं दक्षिणी जिलों की भरातल काफी उबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी-पठारी है। जहां कृषि में विकास नहीं हो पाया है। साथ ही अन्य सुविधाओं का अभाव है। मैदानी क्षेत्रों में कृषि के विकास के साथ-साथ औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात की सुविधाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास व विस्तार अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। तथा जन्म दर में गिरावट हुआ है। सरगुजा को छोड़ का शेष सभी जिलों में जन्म दर गिरा है। सबसे कम जन्म दर दुर्ग जिले में (२० प्रति हजार) है। जशपुर, सरगुजा, दंतवाड़ा में मृत्यु दर ८ प्रति हजार से अधिक है। फलस्वरूप

१९०१ में २०११ तक की जनसंख्या वृद्धि के विश्लेषण से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम था। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर तेजी में अर्थात् अतिशीघ्र वृद्धि हुआ। जन्म दर समय में भी तीव्र वृद्धि दर जारी है। जो जनसंख्या औसत वृद्धि दर से अधिक है। यदि इसी प्रकार वृद्धि जारी रहा तो नवोदित छत्तीसगढ़ राज्य को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतः — बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास, शुद्ध पेयजल, खाद्यान्न आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, विद्युत् आपूर्ति आदि। अतः परिवार नियोजन कार्यक्रम को कड़ाई के साथ लागू करना चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि दर एवं परम जनसंख्या में कमी आयेगी। लोगों के जीवन-स्तर में सुधार आयेगा, प्रति व्यक्ति एवं राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। इस प्रकार छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा।

Table 1:5
Chhattisgarh: District-wise decennia population growth rates 1901-2011
(Table is given on next page)




Fig. 1:4

Table 1:5

District	Percentage decennial population variation										
	1901-11	1911-21	1921-31	1931-41	1941-51	1951-61	1961-71	1971-81	1981-91	1991-2001	2001-11
Koriya	27.01	-7.09	28.71	36.21	3.33	122.1	25.64	32.18	30.15	17.69	12.40
Surguja	27.01	-7.09	28.71	10.50	19.83	12.17	28.61	20.61	28.58	24.67	19.74
Bilaspur	25.84	7.39	13.28	13.05	8.22	17.77	26.74	18.16	24.00	17.91	33.21
Korba	27.43	6.98	13.72	12.08	8.19	20.86	28.94	42.47	34.83	22.51	19.25
Tanjor-Chanpa	25.74	8.49	14.68	12.29	8.53	9.83	7.95	11.99	31.35	18.67	23.61
Raipur	29.96	4.20	18.44	13.01	7.84	24.68	26.27	12.95	16.75	13.23	14.45
Raigarh	29.17	4.51	19.78	14.49	8.60	20.51	20.70	12.81	20.19	18.72	18.07
Kabirdham	20.09	-5.48	12.86	8.75	9.11	20.50	30.57	25.12	26.24	13.84	40.66
Rajnandgaon	15.25	-7.84	13.29	8.28	5.64	19.17	26.80	15.95	22.43	17.83	19.82
Durg	19.13	-8.83	12.90	15.48	3.29	34.10	32.63	28.68	26.20	17.24	18.95
Raipur	19.66	6.46	10.66	12.00	9.61	50.13	34.81	18.46	30.14	19.29	34.65
Mahasaniund	20.83	5.44	9.65	9.82	6.44	-16.22	23.37	17.75	19.38	8.73	20.00
Dhamtari	20.49	6.25	8.55	10.41	7.26	15.44	24.71	15.40	24.15	20.23	13.11
Kanker	31.55	9.43	10.67	17.78	15.83	35.66	47.95	18.30	56.80	18.68	15.00
Bastar	36.69	4.34	13.47	18.63	16.85	23.19	26.46	23.10	12.00	18.73	17.83
Dantewada	39.60	4.34	10.36	18.82	16.71	32.44	25.45	20.94	21.94	15.52	19.90
Narayanpur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.49
Bijapur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.76




Fig 1:5

संदर्भ:-

- डॉ. पण्डा वी.पी.—जनसंख्या भूगोल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल, चतुर्थ संस्करण १९९८।
- डॉ. तिवारी व्ही.के. — छत्तीसगढ़ एक भौगोलिक अध्ययन, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस मुंबई, २००१।
- डॉ. मामागिया चतुर्भुज — एकीकृत भूगोल, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, २०१३।
- डॉ. गौतम शिवानन्द—एकीकृत भूगोल, राम प्रसाद एण्ड संस आगरा।
- भारत की जनगणना २०११।
- डॉ. संजय अलंग — छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जमींदारियां, वैभव प्रकाशन रायपुर ISBN 81-8924496-5.
- त्रिपाठी कौशलेन्द्र एवं चन्द्राकर पुरूषोत्तम— छत्तीसगढ़ का भूगोल, शारदा प्रकाशन बिलासपुर (छ.ग.)।
- छत्तीसगढ़ में विकास की संभावनायें— छत्तीसगढ़ शासन जनसम्पर्क विभाग प्रकाशन २००१।
- Annual Health Survey Bulletin 2011-12.
- People Report of Chhattisgarh Background Note—A publication of Govt. of Chhattisgarh 2002.

□□□

RNI : UPHIN/2008/30136


ISSN : 0974-0002

वर्ष : 9 संयुक्तांक : 17-18

कृत्तिका

जनवरी-दिसम्बर 2016

साहित्य , कला , संस्कृति , आयुर्वेद , मानविकी
एवं समाज विज्ञान की अर्द्धवार्षिक
अन्तर्राष्ट्रीय रेफीड शोध पत्रिका



कृतिका इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल आफ हाफ इयरली ह्यूमिनिटीज एण्ड सोशल साइंसेज

ISSN : 0974-0002 वाल्यूम : 17-18, वर्ष : 09, जनवरी-दिसम्बर 2016

देश-देशान्तर मित्रों का शोधपरक अनुष्ठान

कृतिका

(साहित्य, कला, संस्कृति, आयुर्वेद, मानविकी एवं समाज विज्ञान की

अर्द्धवार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका)

वर्ष : 09

अंक : 17-18

जनवरी-दिसम्बर 2016

प्रधान सम्पादक

मनोज कुमार यादव

पूर्व सदस्य

उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद (उ. प्र.)

सम्पादक

डॉ. वीरेन्द्र सिंह यादव

एसोसिएट प्रोफेसर - हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ, 226 017 (उ. प्र.)

सम्पर्क - 07607782917, 09415924888

Email : dr.virendrayadav@gmail.com • Email : virendra_kritika@rediffmail.com

Email : kritika_orai@rediffmail.com • http://kritika-shodh.blogspot.com

सह-सम्पादक

नीलम यादव

303 तीसरा तल, टाईप फाइव, विश्वविद्यालय परिसर

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226 017

प्रबन्धन

आराधना ब्रदर्स

(प्रकाशक एवं वितरक)

124 / 152- सी ब्लॉक, गोविन्दनगर, कानपुर-208 006, उ.प्र.

दूरभाष -09935007102, 05122651490

Email : aradhanabooks@rediffmail.com

15. भारत में महिला सशक्तीकरण के उभरते क्षितिज एवं गहरी चुनौतियाँ	डॉ. उमारसन यादव	73
16. भारत में महिला उद्यमिता तथा सशक्तीकरण	शारिणी सिंह	78
17. संस्कृति साहित्य में नारी चिंतन	डॉ. शिवानी शुक्ला	82
18. ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा का प्रभाव	डॉ. सुजाता, डॉ. सपना कौर	86
19. मृदुला गर्ग रचित उपन्यासों में स्त्री-जीवन की दृष्टी वर्जनाएँ	सविता देवी	90
20. राजस्थानी फिल्मों में स्त्री चेतना	सुमन गुर्जर, डॉ. हेमा देवरानी	94
21. ऋता शुक्ला की अरुंधती : नारीवाद का नया विमर्श	सुपमा दुबे	97
22. नारी वेदना से रुबरु कराता उपन्यास 'मैंने नाता तोड़ा'	डॉ. अंजु थापा	100

भारतीय शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

23. शिक्षा का अधिकार और पंचायती राज	डॉ. हेमन्त कुमार मिश्रा	106
24. माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत प्रदत्त विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की प्रकृति एवं स्थिति का अध्ययन	डॉ. अखिल श्रीवास्तव	115

भारत के विकास में अग्रज एवं अनुज पीढ़ी का योगदान

25. बुद्ध देशना के संवाहक (सम्राट अशोक तक)	डॉ. ज्योति सिंह गौतम	126
26. राष्ट्र प्रेम व मानव कल्याण के संवाहक : स्वामी विवेकानन्द	डॉ. रामकुमार ओमरे, डॉ. हृदयकांत श्रीवास्तव	135
27. प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (सन् 1857) में नाना साहब का योगदान	डॉ. ममता गंगवार	137
28. युगचेतना के प्रतीक महात्मा गांधी	डॉ. विभा सिंह	143
29. गांधीवादी चिंतन में निहित प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा	डॉ. अनुपमा यादव	148
30. डॉ. भीमराव अम्बेडकर का समग्र दर्शन	डॉ. गीता यादव	152
31. डॉ. भीमराव अम्बेडकर का भारतीय नारी उत्थान में योगदान	प्रियंका सिंह	164

भारत में पर्यावरण के बदलते परिदृश्य : दशा एवं दिशा

32. मानव विकास का पर्यावरण पर प्रभाव (वैश्विक चिंतन का सामाजिक यथार्थ)	डॉ. मनजीत सिंह	167
33. प्राकृतिक आपदा, मानव अधिकार एवं बचाव के सुरक्षात्मक उपाय : एक आकलन	प्रेम प्रकाश यादव	170
34. हिन्दी कवियों की पर्यावरण संचेतना	डॉ. सविता मसीह	174
35. नदियाँ-गंगा एक विवेचनात्मक अध्ययन	संदीप कुमार सिंह	178

ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा का प्रभाव

डॉ. सुजाता सेम्युएल

सहायक प्राध्यापक

शासकीय पतालेश्वर कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, मस्तूरी, जिला-बिलासपुर

डॉ. सपना कौर

सहायक प्राध्यापक

शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला,
जिला- बालोद

प्रस्तावना : स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हुई तथा संविधान की प्रस्तावना में "प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता" तथा "व्यक्ति की गरिमा" आदि वाक्यांशों का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध है लेकिन भारतीय समाज में महिलाएं विशेषकर ग्रामीण महिलाएं अशिक्षा, आत्मविश्वास में कमी तथा राजनीतिक प्रशिक्षण व जागरूकता के अभाव में राजनीतिक गतिविधियों में कम भाग लेती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इनकी सर्वाधिक सहभागिता मतदाता के रूप में होती है। मतदान करते समय मतदाता के मूल्यों को प्रभावित करनेवाले चर और उनका मतदाताओं के निर्णय निर्माण प्रक्रिया पर प्रभाव मतदान व्यवहार कहलाता है।

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के बाद भी ग्रामीण महिलाएं वर्तमान समय में व्यक्तिगत, पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक व आर्थिक कारणों से राजनीतिक रूप से कम सक्रिय हैं और चुनावों के माध्यम से पद प्राप्त कर निर्णय निर्माण प्रक्रिया व नीतियों के निर्माण में उनकी सहभागिता अत्यंत अल्प है तथा मतदान करते समय भी परिवार के अन्य सदस्यों के निर्णय से प्रभावित होती हैं परन्तु जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हो रहा है ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आता जा रहा है। मतदाता के रूप में ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य :-

- (1) ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा के प्रभाव से होनेवाले जागरूकता के स्तर को ज्ञात करना।
- (2) मतदाता के रूप में लिए जानेवाले निर्णय की स्वतंत्रता पर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करना।
- (3) विविध राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों व घोषणापत्रों के विषय में जानकारी व उनका मूल्यांकन करने की क्षमता पर पडनेवाले शिक्षा के प्रभाव को ज्ञात करना।
- (4) मतदान के समय दिए जाने वाले आर्थिक प्रलोभनों पर शिक्षा के प्रभाव का विश्लेषण करना।

प्रस्तावित अध्ययन की शोध पद्धति :-

- > शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड का चयन किया गया है, जिसमें कुल ग्राम 157 व ग्राम पंचायत की संख्या 102 है।
- > कुल ग्राम पंचायतों का 15 प्रतिशत अर्थात् 15 गावों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है
- > प्रत्येक गावों से 06 ऐसे उत्तरदाताओं का चयन किया गया है जो स्नातकोत्तर तक शिक्षित हैं, अर्थात् कुल 90 उत्तरदाताओं का चयन अध्ययन हेतु किया गया है।
- > चयनित उत्तरदाता पंचायत चुनावों में किसी न किसी पद पर प्रत्याशी के रूप खड़ी हुई है तथा उनका प्रत्यक्ष संपर्क ग्रामीण महिला मतदाताओं से है।

वर्ष : 9, अंक 17-18, जनवरी-दिसम्बर 2016

(86)

'कृति' अन्तर्राष्ट्रीय अर्द्धवार्षिक शोध पत्रिका

शोध परिकल्पना :-

- अशिक्षित मतदाताओं की तुलना में शिक्षित मतदाता पर आर्थिक प्रलोभनों का प्रभाव कम पड़ता है ।
- शिक्षित ग्रामीण महिलाएँ इच्छित प्रत्याशी को मत देने संबंधी निर्णय अधिक स्वतंत्रतापूर्वक लेती हैं ।
- शिक्षित ग्रामीण महिला मतदाताओं के कारण ग्रामीण नेतृत्व में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है और ग्रामीण विकास में वृद्धि हुई है ।

अध्ययन विषय का महत्व -

- मतदान संबंधी समस्याओं के समाधान में शिक्षा की भूमिका ज्ञात करने में अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा
- प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार में शिक्षा के प्रभाव से आने वाले परिवर्तनों को समझाने में सहायक होगा ।
- परंपरागत ग्रामीण समाज के मतदान व्यवहार पर शिक्षा के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने में अध्ययन उपयोगी सिद्ध होगा ।
- मतदान करते समय ग्रामीण महिलाओं द्वारा स्वतंत्रतापूर्वक मतदान करने की क्षमता पर पड़ने वाले शिक्षा के प्रभाव का आंकलन करने में अध्ययन सहायक होगा ।

निष्कर्ष -

प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर निम्न निष्कर्षों की प्राप्ति हुई है -


- 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षा व राजनीतिक जागरूकता के प्रभाव से पंचायतों को सुदृढ़ करके गाँवों की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है ।
- 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं को विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों की जानकारी थी ।
- 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं को राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के मुख्य मुख्य बातों की ही जानकारी थी ।
- 82 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षित मतदाता सही नेतृत्व का चयन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकता है ।
- मतदान करते समय 43 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्याशी के पार्टी को, 37 प्रतिशत उत्तरदाता प्रत्याशी के व्यक्तित्व और योग्यता को, 17 प्रतिशत उत्तरदाता अपनी जाति के प्रत्याशी को तथा 3 प्रतिशत उत्तरदाता भविष्य में कार्य करने के आश्वासन को आधार मानकर मतदान करती हैं ।

मतदान करते समय उत्तरदाताओं द्वारा प्रत्याशी चयन के आधार से संबंधित आंकड़े निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं ।

मतदान करते समय प्रत्याशियों के चयन का आधार

क्रमांक	मतदान करते समय प्रत्याशियों के चयन का आधार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	प्रत्याशी के पार्टी को	38.7	43
2.	प्रत्याशी के व्यक्तित्व और योग्यता को	33.3	37
3.	जाति के प्रत्याशी को	15.3	17
4.	भविष्य में कार्य करने के आश्वासन को	2.7	03
योग		90	100

इसे ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है।




- 68 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि अशिक्षित मतदाताओं को प्रत्याशियों द्वारा अधिक आर्थिक प्रलोभन दिए जाते हैं जबकि 32 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि आर्थिक प्रलोभन शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के मतदाताओं को दिए जाते हैं।
- मतदान करने संबंधी निर्णय लेने के विषय में 47 प्रतिशत उत्तरदाता स्वयं की इच्छा से मतदान करती हैं जबकि 51 प्रतिशत मतदाता पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर तथा शेष 02 प्रतिशत उत्तरदाता अपने स्व सहायता समूह के सदस्यों की एवं अपने परिचितों की सलाह से मतदान करती हैं।

मतदान करने संबंधी निर्णय लेने के आधार विषयक आंकड़े निम्न तालिका में प्रदर्शित हैं।

क्रमांक	मतदान करने का निर्णय लेने का आधार	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	स्वयं की इच्छा से	42.3	47
2.	पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर	45.9	51
3.	स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं अपने परिचितों की सलाह से	1.8	02
	योग	90	100

इसे ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है।



- 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि शिक्षित होने कारण उन्हें राजनीतिक लाभ मिला है, केवल 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है।
- जिन उत्तरदाताओं को राजनीतिक लाभ मिला उनमें 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वे स्थानीय समस्याओं को समझने के योग्य हुई है, 28 प्रतिशत का मत है कि उन्हें प्रत्याशी के योग्य माना गया तथा 25 प्रतिशत का मत है की शिक्षित होने के कारण उनमें आत्माविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ है।

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्रामीण महिलाओं के मतदान व्यवहार पर शिक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे मतदान करते समय स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं के विषय में जागरूक रहती है उनपर आर्थिक प्रलोभनों का प्रभाव कम पड़ता है और वे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण मानती है।

□□



ORIGINAL ARTICLE

Synthesis and ion conduction mechanism on hot-pressed sodium ion conducting nano composite polymer electrolytes



Angesh Chandra ^{a,*}, Archana Chandra ^{a,b}, K. Thakur ^c

^a Department of Applied Physics, Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology, Raipur 492 015, Chhattisgarh, India

^b Dr. C.Y. Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India

^c Department of Chemistry, Govt. Pataleswar College, Masturi 495 551, Chhattisgarh, India

Received 8 October 2012; accepted 13 July 2013
Available online 20 July 2013

KEYWORDS

- Nano composite polymer electrolytes
- Ionic conductivity
- XRD
- FTIR
- SEM
- DSC
- TGA

Abstract Synthesis and ion conduction studies on SiO₂ dispersed hot-pressed sodium ion conducting nano-composite polymer electrolytes (100 - x)[70PEO:30NaHCO₃] + xSiO₂, where x is in wt.%, are reported. The nano-composite polymer electrolytes (NCPEs) are cast by the dispersion of nano-filler SiO₂ using a hot-press method in place of the traditional solution-cast technique. The effect of nano-filler SiO₂ is characterized with the help of some basic ion transport parameters viz. ionic conductivity, ionic mobility, mobile ion concentration and activation energy measurements. The material characterization and polymer-salt/SiO₂ complexation are reported with the help of XRD, FTIR, SEM, DSC and TGA studies. Based on SPE host and NCPE OCC, a solid state polymeric battery fabrication and cell-potential discharge characteristics are also reported at different load conditions.

© 2013 Production and hosting by Elsevier B.V. on behalf of King Saud University.

1. Introduction

Solid state ion conducting materials comparable to liquid/aqueous electrolytes, show great technological promises as potential

electrolyte systems for the development of all solid-state electrochemical devices viz. batteries, fuel cells, super-capacitors, memories, electrochromic displays etc. (Van Gool, 1973; Mahan and Roth, 1976; Chandra, 1981; Laskar and Chandra, 1989; Majer, 2000; Maier et al., 2006). A large number of solid state ionic materials in different phases such as crystalline/polycrystalline, glassy/amorphous, composite, ceramic, polymeric etc. and involving a variety of mobile ionic species viz. H⁺, Li⁺, Ag⁺, Cu⁺, Na⁺, F⁻, O²⁻ etc. have been discovered in the last 3-4 decades. Among the known superionic materials, polymeric electrolytes, the conventional as well as micro/nano composites, attracted widespread attention in recent times. The polymer electrolyte membranes are the most

* Corresponding author. Tel.: +91 7712120555; fax: +91 7712120555

E-mail address: chandrassi@gmail.com (A. Chandra).

Peer review under responsibility of King Saud University.



Production and hosting by Elsevier

ISSN : 0975-3664

UGC : 41386

RNI : U.P.BIL/2012/43696

Year : 2018

Year : JUNE

Vol. : 2

शोध - धारा

SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

Grade 'A' Impact Factor 5



शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित
Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका

डॉ. (श्रीमती) दुर्गा वाजपेयी

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मरतूरी, विलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ. (श्रीमती) शारदा दुबे

निर्माणाध्यक्ष समाजशास्त्र, शासकीय विलास कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर, छत्तीसगढ़

(प्राप्त १० मई २०१७)

Abstract

इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि सहस्राब्दी की प्रथम सदी में उत्तरी राज्य कश्मीर का कुशल प्रशासन
देश के साथ था। दक्षिण में उत्तका देवी ने १०५५ ई० में, रानी मैला देवी ने १०५० ई० में, रानी ककुम
ने १०७६ ई० में तथा रानी लक्ष्मी देवी ने ११०० ई० में मानव्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।
राजपूताने में राजकुमारियों एवं रानियों ने शासन कुशलता के साथ साथ युद्ध के भी जोर दिवाय। महाराणी
लक्ष्मी देवी ने ११६५ ई० में कुतुबुद्दीन के आक्रमण के समय उससे डटकर लोहा लिया। राणा रागा की विधवा
रानी कमवती ने युद्ध में बहादुरशाह के दोत खटा कर दिए, अन्य राजपूत वीरागणों में समागिया
रानी कणावती आदि नारियों के शौर एवं बलिदान की गाथाओं से भारतीय इतिहास अस्मिता है।

Page : 00

References : 04

Table : 00

Key Words : समाज और राष्ट्र, राष्ट्र और नारी, पंचायती राज और नारी

समाज व राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका पर चर्चा करने के पूर्व नारी जीवन की विकास
में उन्होंने विभिन्न युगों में तय की है, पर प्रकाश डालना समीचीन होगा।

नारी मानव समाज का अभिन्न अंग है, उसके बिना मानव अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा
सकती है। राष्ट्र की समृद्धता एवं संस्कृति के निर्माण में नारी का अविस्मरणीय योगदान होता है।

द्वितीय पृथ्वी पर समस्त दैवीय गुणों की प्रतीक हैं, सोम ने अपनी समस्त पवित्रता उन्हें प्रदान
की है। गंधर्व ने मृदुवाणी तथा अग्नि ने उन्हें अन्यत आकर्षक बनाने के लिए अपनी समस्त धमक
प्रदर्शित कर दी है। (याज्ञवल्क्य)

नारी को समाज ने पुरुष का आधा हिस्सा माना है और ईश्वर की कल्पना अर्द्धनारीश्वर के रूप में
की गई है। नारी विद्या की अनुपम एवं सर्वोत्कृष्ट कृति मानी जाती है। उसमें कल्याण, ममता, सम
द्विज, आदि गुण स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। वेद व शास्त्रों की रचना करने के अलावा
शास्त्रों की रचना करती थी। ऋग्वेद की रचना करने वाली वीरा विदुषियों प्रसिद्ध हैं। वे
अपने पतिगणों के साथ युद्धभूमि में गई थीं। जिनमें विरयला तथा मुदगतानी का उल्लेख मिलता

उत्कृष्टतम वाता वातां वासां वसतां यथा वा वापराणां यथा वा वापराणां यथा वा वापराणां

वृद्धिज्ञान के क्षेत्र में भी उत्कृष्टतम रचनाएं की गईं। राष्ट्र में नारी का जीवन एक सुखद
व्यवस्था में पत्नीत्व और मानव्य नारी के प्रतीक प्रदान करती है। इस प्रकार नारी का विकास

सुसंगठित राष्ट्र का निर्माण करती हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर बाह्य क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर स्वयं को राष्ट्र के हित में समर्पित कर देती हैं। महारानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई आदि नारी साहसिक कार्य इसके प्रमाण हैं।

सल्तनत एवं मुगलकाल में भी समय-समय पर शासन की बागडोर, स्त्रियों के हाथ में रही। अकबर की आया, माहय अंगा ने लगभग ०५ वर्षों तक शासन प्रबंध पर अपना नियंत्रण बनाये रखा। बीबी ने अहमद नगर पर कुशलतापूर्वक शासन किया। जहाँगीर की बेगम नूरजहाँ ने भी कुशलतापूर्वक शासन का संचालन किया। वीर शिवाजी की माता जीजा बाई ने शिवा जी को सब प्रकार की शिक्षा देकर वीर सेनानी तथा कुशल प्रशासक भी बना दिया। नारी जहाँ कोमल हृदय, सहनशील, कसम खाती है, वहीं उत्तनी ही कर्म कठोर, साहसी, प्रत्युत्पन्नमति व अपने उत्तरदायित्व को निभाने में दक्ष भी है।

इतिहास के पृष्ठ बताते हैं कि सहस्राब्दी की प्रथम सदी में उत्तरी राज्य कश्मीर का कुशल प्रशासन रानी दिश के हाथ था। दक्षिण में उल्का देवी ने १०१५ ई० में, रानी मैला देवी ने १०५० ई० में, रानी कुकुम देवी ने १०७६ ई० में तथा रानी लक्ष्मी देवी ने ११०० ई० में चालुक्य प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। राजपूताने में राजकुमारियों एवं रानियों ने शासन कुशलता के साथ-साथ युद्ध में भी जौहर दिखाये। महारानी कुर्मा देवी ने ११६५ ई० में कुतुबुद्दीन के आक्रमण के समय उससे डटकर लोहा लिया। राणा साँगा की विधवा महारानी कर्मवती ने युद्ध में बहादुरशाह के दाँत खट्टे कर दिये। राजपूत वीरांगनाओं में संयोगिता, पद्मिनी, कर्णावती आदि नारियों के शौर एवं बलिदान की गाथाएँ भारतीय इतिहास आप्लावित हैं।

राष्ट्र की गति तो बहुत दूर है सृष्टि का निर्माण ही बिना नारी के संभव नहीं है। प्रसिद्ध दार्शनिक रोवी के अनुसार "ईश्वर के बाद हम सबसे अधिक ऋणी नारी के हैं। पहले तो स्वयं अपने जीवन के लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए। वास्तव में नारी एक ज्योति है, जो हनुमत्पुत्री की मुरसीबत रूपी अंधेरे को अपने स्नेह, त्याग एवं समर्पण से दूर करती है।"

भारत के छोटे से छोटे राज्य में भी महिलाओं ने समाज सुधार आन्दोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उत्तराखण्ड का चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन था। प्रत्येक महिला एक पेड़ से चिपकी और पेड़ काटने नहीं दिया। इसकी नेत्री थी श्रीमती गंगा देवी। दूसरा सफल आन्दोलन था आन्ध्रप्रदेश का अरक विरोधी आंदोलन, क्योंकि नशे से परिवार नष्ट हो जाते थे। इसे भी महिलाओं ने चलाया, इसी तरह तीसरा आंदोलन था मणिपुर में शराब के विरोध में, इसमें भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही।

समाज व राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को लेकर चिन्तन में एक विश्वव्यापी बदलाव आया है। महिलायें भी इस चिन्तन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में एक-दूसरे से कंधा से कंधा मिलाकर अपनी अन्तर्निहित क्षमता का प्रमाण दे रही हैं। चाहे वह खेत खलिहानों में काम करने का कार्य हो या लडाकू विमानों की फायलट बन सीमा रक्षा करने का दायित्व हो या माँ या बहन बन गृहस्थी को सँवारने का क्षेत्र हो।

भारत में नारी ने विकास के हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। जैसे गायन में कल्पना सिंह, मंगेशकर, समाज सेवा में मदर टेरेसा, खेलकूद में पी.टी.उषा, मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा




U/MUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

विद्यावार्ता®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal
Issue-33, Vol-07 January to March 2020



 Editor
Dr. Bapu G. Gholaj



सर्वेक्षित ग्राम खुडुभाठा का जनांकिकीय अध्ययन

डॉ. के. आर. मतावले
विभागाध्यक्ष, भूगोल विभाग,
शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय मस्तूरी,
जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

किसी भी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन जनांकिकीय अध्ययन कहलाता है। सर्वेक्षित ग्राम खुडुभाठा के जनांकिकीय अध्ययन के अन्तर्गत जनसंख्या का आकार, वितरण, घनत्व, वृद्धि, लिंगानुपात, आयु संरचना, साक्षरता, वैवाहिक स्तर, व्यावसायिक संरचना एवं जाति संरचना आदि विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। उपर्युक्त विशेषताएं संसाधनों की उपयोगिता एवं ग्राम विकास को प्रभावित करते हैं। सर्वेक्षित ग्राम खुडुभाठा छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला के मस्तूरी विकासखण्ड के देवगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह ग्राम काफी प्राचीन लगता है। खुडुभाठा के उत्तर में जयराम नगर, दक्षिण में देवगांव, पूर्व में पाराघाट एवं पश्चिम में मोहतरा ग्राम स्थित है। यहां ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जय स्तम्भ है जो सतनाम धर्म के अनुयायियों के लिये सत्य का प्रतीक है।

सर्वेक्षित ग्राम में निवास करने वाले लोग बहुत ही शांतिप्रिय एवं व्यवहार कुशल हैं। यहां का इतिहास बहुत ही गर्वपूर्ण है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहां औद्योगिक विकास शिक्षा, युद्ध पेयजल, सड़क एवं आवश्यक सुविधा का विकास होना अभी शेष है। अर्थात् यह विकास की दृष्टिकोण से काफी पिछड़ा हुआ है। जो एक मुख्य चिन्ता का विषय है।

वर्तमान समय में युवा लोग मोबाईल, लैपटॉप

एवं कंप्यूटर जैसे आधुनिक तकनीकी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहां स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में थोड़ा विकास हुआ है जो यहां का वास्तविक विकास है।

सर्वेक्षित ग्राम खुडुभाठा के जनांकिकीय अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों एवं आरेख आदि का उपयोग किया गया है।

सर्वेक्षित ग्राम खुडुभाठा मस्तूरी विकासखण्ड के देवगांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से यह ग्राम २१.५९'३१" उत्तरी अक्षांश तथा ८२.१६'४" पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। यह ग्राम २७१.७९ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या १२१८ है। व्यक्तिगत सर्वेक्षण वर्ष २०१८ के अनुसार यहां की जनसंख्या १२९३ है। इस प्रकार पिछले आठ वर्षों में यहां की जनसंख्या में ७५ व्यक्तियों की वृद्धि हुआ है। जो कुल जनसंख्या का ६.१६% है। खुडुभाठा के आसपास बेलटुकरा, भिलाई, भनेसर, पाराघाट, जयरामनगर, मोहतरा, देवगांव, हिरी कोहरौदा एवं रिस्टा स्थित है। सर्वेक्षित ग्राम खुडुभाठा का भौगोलिक जनसंख्या घनत्व ४.७६ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है जबकि २०११ में यहां का जनसंख्या का घनत्व ४.५ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था। यहां कुल जनसंख्या का ५१.२८% पुरुष एवं ४८.७२% महिला जनसंख्या निवास करती है। यहां कुल जनसंख्या का लगभग ५७.०७% व्यक्ति शिक्षित है।

ग्राम पंचायत देवगांव के आश्रित ग्राम खुडुभाठा ०७ वार्डों में विभाजित है। यहां की कुल जनसंख्या १२९३ है। जिसमें पुरुष जनसंख्या ६६३ एवं महिला जनसंख्या ६३० है। पुरुषों की अपेक्षा महिला जनसंख्या कम है। यह कमी लगभग ४.५२ प्रतिशत है।

सर्वेक्षित ग्राम खुडुभाठा में कुल १९६ परिवार निवासरत है। कुल परिवार का २५% परिवार अनुसूचित जाति एवं लगभग ८% परिवार अनुसूचित जनजातियां एवं ६५% परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग का है। अर्थात् यह ग्राम पिछड़ा वर्ग की बाहुलता वाला ग्राम है। यहां लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर ९५ महिला है।

१. जनसंख्या का वितरण —मानव अपनी मनोवृत्ति


से ही गत्यात्मक एवं सृजनशील रहा है। प्रकृति के नियमों के अनुसार विकास एवं हास क्रमिक प्रक्रिया है, जबकि मानव प्रकृति का ही एक अंग है, स्वयं के चिंतन की प्रकृति के अनुसार निर्णय लेकर विशेष प्रकार के विकास अथवा हास का कार्य करता रहता है। मानव एक बुद्धिमान एवं क्रियाशील प्राणी है। इन दोनों गुणों के कारण मानव भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति बड़े पैमाने पर करने लगा है। जनसंख्या प्रबंधक, उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में कृषि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। जनसंख्या वृद्धि का भी कृषि विकास पर गहन प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की प्रकृति के अनुसार कृषि विकास, कृषि उत्पादकता, खाद्यान्न पदार्थों की उपलब्धता एवं पोषण स्तर आदि कारक प्रभावित होते हैं।

जनगणनाएं जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के महत्वपूर्ण तथा सबसे वृद्ध एवं विश्वसनीय स्रोत हैं। इन जनगणनाओं में जो आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं वे केवल जनांकिकी महत्व के ही नहीं होते बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नृत्वशास्त्रीय महत्व के भी होते हैं। २०११ की जनगणना के अनुसार सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा की कुल जनसंख्या १२१८ है जो देवगांव ग्राम पंचायत की कुल जनसंख्या का ४३.३९ है। सर्वेक्षण वर्ष २०१८ के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या १२९३ है। इस प्रकार पिछले ०८ वर्षों में यहां की कुल जनसंख्या में ६.१६% की वृद्धि हुई है। यहां कुल ६६३ पुरुष एवं ६३० महिला जनसंख्या निवास करती है। जो यहाँ की कुल जनसंख्या का क्रमशः ५१.२८% एवं ४८.७२% है। वार्डवार जनसंख्या का वितरण सारणी क्रमांक १.१ एवं आरेख क्रमांक १.१ से स्पष्ट है।

सारणी क्र. - १.१

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा - वार्डवार जनसंख्या का वितरण २०१८

वार्ड क्र.	पुरुष	महिला	कुल जनसंख्या	वितरण
१	१५१	१४४	२९५	२४.५५
२	१४२	१३१	२७३	२२.५५
३	२५	१४	३९	३.२१
४	२६	१४	४०	३.२९
५	१५	१३	२८	२.२९
६	०६	०६	१२	१.१४
७	०१	०१	०२	०.१६
कुल	६६३	६३०	१२९३	१००



आरेख क्रमांक : १.१

२. जनसंख्या घनत्व : - जनसंख्या घनत्व का आशय किसी क्षेत्र व प्रदेश के क्षेत्रफल तथा उसके जनसंख्या के पारस्परिक अनुपात से है। अर्थात् जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग ईकाई भू-भाग पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा का २०११ में जनसंख्या घनत्व ४.५ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था जो २०१८ में बढ़कर ४.७६ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर हो गया। इस प्रकार इन आठ वर्षों में यहां की जनसंख्या घनत्व में ०.२६ व्यक्ति प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुआ है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि न्यून है।

३. लिंगानुपात :-

लिंगानुपात का आशय किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल महिला व पुरुषों के अनुपात से है। लिंगानुपात क्षेत्र विशेष के वर्तमान सामाजिक, आर्थिक दशाओं को ज्ञात करने का महत्वपूर्ण सूचकांक है। तथा प्रादेशिक विश्लेषण के लिये उपयोगी साधन है। बिलासपुर जिला के मस्तूरी विकासखण्ड में अन्य विकासखण्डों के समान अधिकांश कृषि कार्य मानवीय श्रम पर आधारित है। अतः यहां लिंगानुपात का सर्वाधिक महत्व है। इसी प्रकार सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा जो मस्तूरी विकासखण्ड का एक ग्राम है। यहां की सभी कृषि कार्य मानवीय श्रम के द्वारा होता है। फलस्वरूप लिंगानुपात का महत्व यहां भी अधिक है क्योंकि यहां की प्रमुख कृषि फसल धान है, जिसमें क्रियाशील श्रमिकों में से अधिक संख्या महिला श्रमिकों की होती है। लिंगानुपात का प्रभाव जनसंख्या वृद्धि, विवाह तथा व्यावसायिक संरचना जैसे अन्य जनांकिकी गुणों पर भी पड़ता है। यहां लिंगानुपात की गणना प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं

की संख्या के रूप में किया गया है। सर्वेक्षित खुड़भाठा में लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९५ है जबकि २०११ में यहां प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९९ (९८.६९) थी। इन आठ वर्षों में लिंगानुपात में कमी आया है जबकि बिलासपुर जिला में यह अनुपात १००:९८ है। इसी प्रकार मस्तूरी विकासखण्ड में लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९८ (९८.६८) थी। सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा में लिंगानुपात में कमी आने का मुख्य कारण बेटी के प्रति उदासीनता, गरीबी जन्म के समय सही देखभाल नहीं हो पाना कुपोषण आदि इत्यादि है।

यहां जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को समझाने की आवश्यकता है। जिससे वह बेटी के महत्व को समझ सके। जब तक वह अंदर से जागृत नहीं होगा तब तक बेटी को बचाना संभव नहीं है। अतः उसे अंदर से जागृत करना होगा तभी लिंगानुपात में वृद्धि होगा, महिला जनसंख्या बढ़ेगी, बेटा-बेटी में समानता कायम रहेगी।

शिशु लिंगानुपात का आशय है कि ०-४ वर्ष की पुरुष शिशुओं में महिला शिशुओं की संख्या। लिंगानुपात में कमी होने का मुख्य कारण शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होना। सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा में शिशु लिंगानुपात प्रति १०० पुरुष शिशुओं पर महिला शिशुओं की संख्या ९९ है। अर्थात् ०८ महिला शिशुओं की कमी है। २०११ में यहां शिशु लिंगानुपात प्रति १०० पुरुष शिशुओं पर ८६ महिला शिशु था। अर्थात् इन ०८ वर्षों में मात्र ०५ महिला शिशुओं की वृद्धि हुआ है जबकि मस्तूरी विकासखण्ड में यह अनुपात १००:९६ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा में अपेक्षाकृत महिला शिशुओं की कमी है।

लिंगानुपात से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव जाति में पहले से अब तक के समय में प्रजनन क्षमता घट रहा है जिसका असर आने वाले दिनों में मानव की जनसंख्या पर पड़ेगा। क्या हम लोग वन संरक्षण या शेर की संरक्षण की बात कर रहे हैं, मानव के ही एक प्रकार है महिला लेकिन

हम सामाजिक बुराईयों के कारण अपनी बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो आने वाले समय में महिलाओं को विवाह करने में परेशाना नहीं होगी क्योंकि उनकी संख्या कम है। एक अमेरिकन मैगजीन के सर्वे के अनुसार भारत में २०४० के बाद लड़कों के लिंग शादी करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उस समय सबसे कम लड़कियों की संख्या होगी भारत में शादी करने के लिये। अतः हमें लिंगानुपात पर ध्यान देना आवश्यक है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा, मस्तूरी एवं बिलासपुर जिले में प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सारणी क्रमांक १.२ तथा शिशु लिंगानुपात सारणी क्रमांक १.३ से स्पष्ट है।

सारणी क्रमांक १.२

लिंगानुपात (प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या)

स्थान	पुरुष	महिला	लिंगानुपात	सन
खुड़भाठा	६१३	६०५	९९	२०११
	६६३	६३०	९५	२०१८
मस्तूरी	१४५५७०	१४३६५१	९८	२०११
बिलासपुर	९९९८१८	९६५६४८	९८	२०११

सारणी क्रमांक १.३

शिशु लिंगानुपात (०-६ वर्ष)

प्रति १०० शिशुओं पर महिला शिशुओं की संख्या

	पुरुष	महिला	लिंगानुपात	सन
खुड़भाठा	५३	५८	९९	२०१८
	१००	८६	८६	२०११
मस्तूरी	२२७८०	२१८४५	९६	२०११
बिलासपुर			९८	२०११

४. आयु संरचना :- आयु मानव की क्षमता का सूचकांक होता है। मानव की आयु उसकी

आवश्यकताओं, कार्यक्षमता तथा विचारों को प्रभावित करता है। आयु समाज में मानव के एक विशेष समूह के योगदान को दर्शाता है। भविष्य में जनसंख्या की आवश्यकताओं का निर्धारण भी इसके वर्तमान आयु संरचना के आधार पर होता है। जैसे - क्षेत्र विशेष में शिक्षा सुविधाओं की भविष्य में क्या रूपरेखा होगी इसकी गणना वर्तमान में जनसंख्या की आयु संरचना से भलीभाँति कर सकते हैं। यही कारण है कि जनसंख्या की आयु संरचना का विश्लेषण भविष्य की योजनाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इतना ही नहीं बल्कि आयु श्रम शक्ति का आकार, उत्पादक, आयु वर्ग की निर्भरता बोझ तथा जनसंख्या की प्रवास की प्रवृत्ति को भी निर्धारित करती है।

सारणी क्रमांक १.४

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा :- आयु संरचना, २०१८

आयु वर्ग	महिला	पतिशत	पुरुष	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
०-४	५३	८.४	५८	८.३४	१११	८.५८
५-९	६८	९.०९	६७	९.०९	१३५	९.०९
१०-१४	६८	९.०९	८०	९.२६	१४८	९.२६
१५-१९	६६	९.०९	७७	९.३०	१४३	९.०९
२०-२४	५७	९.०९	६९	९.२०	१२६	९.२०
२५-२९	५८	९.२०	७७	९.८५	१३५	९.०९
३०-३४	३९	६.२९	४०	६.०३	७९	६.११
३५-३९	५३	८.२५	४९	७.३९	१०२	७.८१
४०-४४	३५	५.५५	३७	५.८२	७२	५.५८
४५-४९	२६	४.३३	३४	५.३३	६०	४.६४
५०-५४	२४	३.८०	२७	३.४७	५१	३.९३
५५-५९	२०	३.२८	२३	३.१६	४३	३.१०
६० से अधिक	५७	९.०९	६३	९.५०	१२०	९.२८
Total	६३०	९.०९	६६३	९.०९	१२९३	९.०९

उपर्युक्त सारणी क्रमांक १.४ से यह स्पष्ट है कि ०-१४ आयु वर्ग में यहां की कुल जनसंख्या का ३०.४७ प्रतिशत है। इसी प्रकार ६० से अधिक आयु वर्ग के अंतर्गत ९.२८ प्रतिशत जनसंख्या है। आयु संरचना पिरामिड के आधार एवं शीर्ष अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इससे यह स्पष्ट है कि यहां आश्रित जनसंख्या अधिक है। अर्थात् कार्यशील जनसंख्या

पर आश्रित जनसंख्या का अधिक होना न्यून स्तर का द्योतक है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा की आयु संरचना को चार आयु वर्गों में विभाजित किया है जो इस प्रकार से है :-

१. बालक आयु वर्ग (०-१४ आयु समूह) :- इस आयु वर्ग के अंतर्गत १५ वर्ष से कम आयु के बालक, बालिकाओं को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग की जनसंख्या पूर्णतः आश्रित होती है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में इस आयु समूह के अंतर्गत कुल ३१४ बालक-बालिका है, जो कुल जनसंख्या का ३०.४७ प्रतिशत है। जिसमें बालकों की संख्या १५.८५ प्रतिशत तथा बालिकाओं की संख्या १४.६२ प्रतिशत है। यहां बालकों की संख्या कुल पुरुष जनसंख्या का ३०.९२ प्रतिशत तथा बालिकाओं की संख्या कुल महिला जनसंख्या का ३०.०० प्रतिशत है। यहां आश्रितों की संख्या अधिक है, इसका मुख्य कारण उच्च जन्मदर एवं न्यून मृत्यु दर है। यहां का हर २.४४ व्यक्ति २० से कम आयु का है। यह इस बात का प्रतीक है कि यहां की जनसंख्या अभी अपनी शैशव अवस्था में है। यहां की कुल जनसंख्या का ४१.०७ प्रतिशत जनसंख्या की आयु २० वर्ष से कम है। ०-१४ आयु समूह में लिंगानुपात प्रति १०० बालकों पर ९२.२ बालिकाएं हैं। अर्थात् लिंगभेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

२. युवा आयु वर्ग (१५-३९ आयु समूह) :- युवा वर्ग देश का भविष्य है। यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से उत्पादक एवं जैव शारीरिक दृष्टि से पुनरुत्पादक होता है। यह वर्ग सबसे अधिक क्रियाशील तथा गतिशील होता है। यहां इस वर्ग के अंतर्गत कुल जनसंख्या का ४३.७० प्रतिशत जनसंख्या है। जो अन्य आयु समूहों से अधिक है। यहां युवा आयु वर्ग की जनसंख्या बालक आयु वर्ग की जनसंख्या से लगभग १३ प्रतिशत अधिक है। इस आयु वर्ग में भी जनसंख्या पुरुष प्रधान है। प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९२.८३ है। इस आयु वर्ग की भी अनेक समस्याएं हैं जैसे - शिक्षा, शीघ्र विवाह, बेरोजगारी आदि।

३. प्रौढ़ आयु वर्ग - (४०-५९ आयु समूह)

:-प्रौढ़ आयु वर्ग तक पहुंचते-पहुंचते व्यक्ति काफी अनुभवी समझदार एवं जीवन मूल्यों के महत्व को समझने लगता है। तथा युवा वर्ग को अपने अनुभव का लाभ हस्तांतरित करते हैं। यहां इस वर्ग के अंतर्गत कुल जनसंख्या का १६.५५ प्रतिशत जनसंख्या है। अर्थात् इस वर्ग में जनसंख्या अचानक कम हो जाती है। इस आयु वर्ग में लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ११० है। जो अन्य सभी आयु वर्गों से अधिक है। इस आयु वर्ग की जनसंख्या युवा वर्ग की जनसंख्या का ३७.८७ प्रतिशत है। इस कमी का मुख्य कारण जीवन प्रत्याशा का निम्न होना है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में जीवन प्रत्याशा कम है।

४. वृद्ध आयु वर्ग — (६० से अधिक) :- इस आयु में व्यक्ति अपने जीवन का अंतिम पायदान पर होता है। जो युवा वर्ग एवं प्रौढ़ आयु वर्ग पर आश्रित होता है। इस आयु वर्ग में व्यक्ति के पास ज्ञान एवं कार्य अनुभव सबसे अधिक होता है। अतः इसी वर्ग में प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्यों का संचालन होता है। इस वर्ग के अंतर्गत यहां जनसंख्या १२० है जो कुल जनसंख्या का ९.२८ प्रतिशत है तथा लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९० है। अर्थात् पुरुषों से महिलाओं की संख्या कम है। इसका मुख्य कारण पुरुष प्रधान समाज है। महिलाओं के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया जाता है। भर-पेट भोजन नहीं मिल पाता है तथा स्वास्थ्यगत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। फलस्वरूप महिलाओं का जीवन स्तर निम्न एवं मृत्युदर अधिक होने लगता है।

५. निर्भरता अनुपात :- आयु संरचना में परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से एवं अति अल्प मात्रा में होता है। जनांकिकी संक्रमण की अवस्था में परिवर्तन से ही आयु संरचना में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है।

निर्भरता अनुपात ज्ञात करने के लिये आयु सूचकांक ज्ञात किया जाता है। आयु सूचकांक तीन प्रकार से ज्ञात किये जाते हैं :-

१. पराश्रित अनुपात =

२. शिशु आश्रित अनुपात =

३. वृद्ध आश्रित अनुपात =

इस सूचकांक को निर्भरता अनुपात कहा जाता है। इससे युवा और प्रौढ़ जनसंख्या पर शिशुओं और वृद्धों का भार ज्ञात होता है। यह केवल अनुत्पादक आयु समूहों का उत्पादक आयु समूह से अनुपात को व्यक्त करता है। यह जनसंख्या के वास्तविक भार को स्पष्ट नहीं करती बल्कि किसी जनसंख्या के वृद्ध आर्थिक निर्भरता की ओर संकेत करती है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में निर्भरता अनुपात ६६ प्रतिशत है। तथा शिशु निर्भरता अनुपात ५१ प्रतिशत है। अर्थात् निर्भरता अनुपात मध्यम से उच्च बना हुआ है। फलस्वरूप बचत एवं पूंजी विनियोग कम हो रहा है तथा बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रहा है। उपभोक्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुआ है लेकिन इस प्रकार की वृद्धि ग्राम विकास में बाधक है। सामाजिक एवं आर्थिक विकास धीमी गति से हो रहा है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, फलस्वरूप निर्भरता अनुपात अपेक्षाकृत मध्यम से उच्च बना हुआ है।

६. शैक्षणिक स्तर :- जनसंख्या अध्ययन में शिक्षा का स्थान महत्वपूर्ण है। किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक विकास एवं राजनैतिक स्तर उसके नागरिकों के शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। शिक्षा मानव के सामाजिक एवं मानसिक पृथक्कीकरण को समाप्त करता है। शिक्षा जन्म-मृत्यु दर, विवाह की आयु एवं आर्थिक स्वरूप को भी प्रभावित करता है। साक्षरता एक सांस्कृतिक उपलब्धि है, जो मानव को वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान से परिपूर्ण करती है। एक समाज कितना सभ्य व सुसंस्कृत है तथा नये विचारों को कितना शीघ्रता के साथ ग्रहण करता है यह उसकी शिक्षा तथा शैक्षणिक स्तर पर निर्भर करता है।

“Literacy is one important characteristics of Population. The degree of education in a community is a good measure of it's progress to words modernization.”

राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग के अनुसार साक्षरता से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो किसी भाषा में एक साधारण संदेश को समझकर पढ़ लिख

सकने की क्षमता रखता है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में शिक्षा का स्तर सारणी क्रमांक १.५ से स्पष्ट है।

सारणी क्रमांक १.५

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा : शैक्षणिक स्तर (२०१८)

शैक्षणिक स्तर	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
प्राथमिक	१३२	३०.२०	११७	३८.८७	२४९	३३.७४
मिडिल	१०७	२४.४८	९८	२२.५९	२०५	२७.७१
हाईस्कूल	७९	१८.०७	५३	१७.६१	१३२	१७.८९
हायर सेकेण्डरी	७१	१६.३५	४०	१३.२९	१११	१५.०४
स्नातक	४१	९.७८	२०	६.६४	६१	८.२६
स्नातकोत्तर	०७	१.७६	३३	०.९९	४०	५.३६
योग	४३७	१००	३०१	१००	७३८	१००
साक्षरता दर	६५.९१		४७.७८		५७.०८	

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में साक्षरता दर ५७.०८ प्रतिशत है जबकि जनगणना वर्ष २०११ में यहां साक्षरता दर ५९.७९ प्रतिशत था। मस्तूरी विकासखण्ड में साक्षरता का दर ५७ प्रतिशत एवं छत्तीसगढ़ राज्य में साक्षरता का दर ७०.२८ प्रतिशत था। इससे यह स्पष्ट होता है कि यहां की साक्षरता दर राज्य की तुलना में साक्षरता दर में २.७१ प्रतिशत की कमी हुआ है। इस कमी का मुख्य कारण गरीबी एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता है। सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि यहां पुरुष साक्षरता दर ६५.७१ प्रतिशत एवं महिला साक्षरता ४७.७८ प्रतिशत है। जबकि २०११ में पुरुष साक्षरता दर ७२.७१ प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर ४७.०१ प्रतिशत था। वर्तमान समय में पुरुष साक्षरता दर में ६.८० प्रतिशत दर्ज हुआ है। गरीबी के कारण यहां के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में असमर्थ होते हैं। फलस्वरूप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग के लिये अपने बालकों को अन्य कार्यों में संलग्न कर देते हैं। यह एक सोचनीय विषय है। अतः शासन-प्रशासन को इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है।

यहां का शैक्षणिक स्तर का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या कुल साक्षर जनसंख्या का ३३.

७४ प्रतिशत है। मिडिल स्तर तक २३.७१ प्रतिशत, हाईस्कूल तक १७.८९ प्रतिशत, हायर सेकेण्डरी तक १५.०४ प्रतिशत, स्नातक स्तर तक ८.२६ प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर स्तर तक १.३६ प्रतिशत है। अर्थात् जैसे-जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ने लगता है वैसे-वैसे साक्षरता का दर कम होने लगा है। बड़ी मुश्किल से ०९ प्रतिशत तक लोग उच्च शिक्षा स्तर तक पहुंच पाता है। कुल साक्षरता का ५७.४५ प्रतिशत लोग प्राथमिक व मिडिल स्तर तक शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं।

प्राथमिक स्तर में महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से अपेक्षाकृत अधिक है। शेष अन्य स्तरों में महिला साक्षरता में कमी हुआ है। विशेषकर हायर एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने में महिलायें काफी पीछे हैं। इसका मुख्य कारण कम उम्र में विवाह हो जाना एवं महिला शिक्षा के प्रति उदासीनता इत्यादि।

७. व्यावसायिक संरचना :- जीविकोपार्जन के लिये किया जाने वाला उत्पादक आर्थिक कार्यों को व्यवसाय कहते हैं। इससे क्षेत्र विशेष की जनसंख्या की आर्थिक विशेषताएं स्पष्ट होती हैं तथा उस क्षेत्र विशेष की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास के स्तर का भी पता चलता है कि वह क्षेत्र कृषि प्रधान, पशुपालन अथवा उद्योग प्रधान है। व्यावसायिक संरचना लिंगानुपात आवास एवं आयु के अनुसार परिवर्तनशील होती है। अतः किसी भी जनसंख्या में श्रमिकों की सहभागिता का अनुपात जनसंख्या की आयु संरचना लिंगभेद, कार्यों की उपलब्धता और कार्य करने की इच्छा शक्ति आदि कारकों से निर्धारित होता है। जनगणना वर्ष १९८१ में सर्वप्रथम कार्यशील जनसंख्या के विषय में सविस्तार सूचना प्राप्त की गई। उक्त जनगणना में कार्यशील जनसंख्या की संकल्पना की गई।

१. मुख्य कार्यशील जनसंख्या - मुख्य कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत वे श्रमिक सम्मिलित होते हैं जो दोनों कृषि ऋतुओं में कम से कम ६ माह कार्यरत रहते हैं। जनगणना वर्ष २०११ के अनुसार सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का ५८.२९ प्रतिशत है। शेष ४१.७१ प्रतिशत जनसंख्या अक्रियाशील है। जो क्रियाशील जनसंख्या पर पूर्णरूपेण

आश्रित है। कुल कार्यशील जनसंख्या में पुरुषों की सहभागिता एवं महिलाओं की सहभागिता ५०.५६ प्रतिशत है।

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में मुख्य कार्यशील जनसंख्या ३६० है जो कुल कार्यशील जनसंख्या का ५०.७० प्रतिशत है। जिसमें पुरुषों की सहभागिता ६३.३३ प्रतिशत एवं महिलाओं की सहभागिता ३६.६६ प्रतिशत है अर्थात् मुख्य कार्यशील जनसंख्या में पुरुषों की सहभागिता अधिक है जो समाज में पुरुष प्रधानता को उजागर करता है।

२. सीमांत कार्यशील जनसंख्या — भारतीय जनगणना में सर्वप्रथम १९८१ की जनगणना में इसकी गणना मुख्य कार्यशील जनसंख्या से अलग रूप में की गई है। सीमांत कार्यशील जनसंख्या उसे कहते हैं जो वर्ष में १८३ दिन से कम दिनों के लिये उत्पादक कार्यों में संलग्न रहते हैं। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में सीमांत कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का मात्र २८.७४ प्रतिशत है। जिसमें पुरुषों की सहभागिता ३५.१४ प्रतिशत एवं महिलाओं की सहभागिता ६४.८६ प्रतिशत है। अर्थात् सीमांत कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं की सहभागिता अधिक है। वह इसलिये कि इसमें कृषि श्रमिकों की अधिकता होती है। जिसमें महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है क्योंकि यहां की मुख्य फसल धान है। धान की उत्पादन में कृषि श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होती है। अतः महिलाओं को छः माह के लिये रोजगार उपलब्ध हो जाता है, शेष समय में गृहणी का कार्य करती है।

३. मुख्य कार्यशील जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गों में वितरण — अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल लेबर स्टैटिस्टिक्स १९९३ के अनुसार भारत में १९९१ में कार्यशील जनसंख्या को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में मुख्य कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में कृषक व कृषि श्रमिकों का प्रतिशत गैर श्रमिकों से अधिक है। मुख्य कार्यशील जनसंख्या का लगभग ८८ प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यह प्रतिशत २०१८ के व्यक्तिगत सर्वेक्षण में ९० प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है। कृषि

कार्यों में संलग्न जनसंख्या की अधिकता का मुख्य कारण कृषि ही जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर का अधिक होना भी है।

सारणी क्रमांक १.६

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा : कार्यशील जनसंख्या का विभिन्न व्यावसायिक वर्गों में वितरण २०११

वर्ग	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
मुख्य कार्यशील जनसंख्या	२२८	६३.३३	१३२	३६.६६	३६०	५०.७०
सीमांत कार्यशील जनसंख्या	१२३	३५.१४	२२७	६४.८६	३५०	४७.३०
कुल कार्यशील जनसंख्या	३५१	४९.४४	३५९	५०.५६	७१०	५८.२९
कुल अकार्यशील जनसंख्या	२६२	५१.५७	२४६	४८.४३	५०८	४१.७१
कुल कृषक					१६२	३९.६६
कुल कृषि मजदूर					१७५	४८.६१
अन्य कार्यशील जनसंख्या					४३	११.९५

१. कृषक :—कृषक से तात्पर्य एक ऐसे श्रमिक (पुरुष व महिला) से है जो भूमि पर कृषि कार्य करता है। स्वामित्व व अन्य प्राप्त अधिकारों के अनुसार कृषक तीन प्रकार के होते हैं — (अ) वे कृषक जो स्वयं भूमि के स्वामी होते हैं। स्वयं कृषि करते हैं और उनका सरकार से सीधा संपर्क होता है। (ब) वे कृषक जिन्हें भूमि पर स्वामित्व अधिकार तो प्राप्त नहीं होते हैं लेकिन भूमि पर कृषि कार्य करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। (स) वे कृषक जो भूमि पर स्वयं कृषि करते हैं कृषि कार्यों के करने की उत्पादन लागत वहन करते हैं लेकिन इन्हें भूमि पर काश्तकारी अधिकारों के संबंध में कोई निश्चितता प्राप्त नहीं होती है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में कृषकों की संख्या कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का ३९.४४ प्रतिशत है।

२. कृषि मजदूर :—कृषि व्यवसाय में संलग्न श्रमिकों को कृषि मजदूर कहते हैं। जे.बी. क्लार्क के अनुसार "धन का सृजन करने वाला मानवीय प्रयास श्रम कहलाता है।" १९९१ के जनगणना के अनुसार "कृषि मजदूर उस व्यक्ति को माना जाता है जो मुद्रा अथवा वस्तु के रूप में मजदूरी प्राप्त करने के लिये दूसरे व्यक्ति की भूमि पर कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति

को खेती की कोई जोखिम नहीं होती है। सीमांत व लघु कृषक अपने कृषि कार्य करने के पश्चात् मध्यम व बड़े कृषकों के खेतों में मजदूरी करते हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीन व्यक्ति वर्ष भर कृषि मजदूरी अथवा अन्य कार्य मजदूरी पर करते हैं। सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा में कृषि मजदूरों की संख्या कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का ४८.६१ प्रतिशत है। कृषि मजदूरों में महिलाओं की संख्या अधिक होती है। यहां की मुख्य फसल धान है जिसकी निदाई-गुड़ाई में महिलाओं की सहभागिता अधिक होती है।

३. अन्य कार्यशील जनसंख्या :- इसके अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में संलग्न जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। जैसे विनिर्माण, मरम्मत व रखरखाव, कुटीर उद्योग, निर्माण कार्यों, व्यापार व वाणिज्य परिवहन, भंडार व संचार एवं शासकीय एवं अशासकीय सेवाएं जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य सम्मिलित हैं। अन्य कार्यों में संलग्न जनसंख्या ही आर्थिक विकास को संबल प्रदान करता है। यहां इस कार्य में संलग्न जनसंख्या कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या का मात्र ११.९५ प्रतिशत है।

८. प्रवास :- मानव एक गतिशील प्राणी है, वह स्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान को आना-जाना करते हैं। प्रवास अक्सर लंबी दूरी का ही होता है लेकिन लोग अपने देश या प्रदेश को छोड़ना नहीं चाहते इसलिये आंतरिक प्रवास की संभावना रहती है। मानव पलायन पूरे विश्व में एक समान है। प्रवास एक व्यक्ति के रूप में, परिवार विशाल समूह के रूप में होता है। प्रवास कई प्रकार के होते हैं - जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आंतरिक, वार्षिक, अर्द्धवार्षिक एवं साप्ताहिक व दैनिक आदि। सर्वेक्षित ग्राम खुड़भाठा में प्रादेशिक, आंतरिक, दैनिक व अर्द्धवार्षिक प्रवास होता है। यहां जीविका का मुख्य साधन कृषि है। कृषि फसल करने के पश्चात् रोजगार की तलाश में यहाँ के लोग अपने घर-बार छोड़कर परिवार सहित गांव व प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेश के चले जाते हैं। फिर कृषि फसल की बोवाई के समय अपने गांव वापस आ जाते हैं। इस प्रकार आंतरिक प्रवास चलता रहता है।

कुछ लोग प्रतिदिन रोजगार की तलाश में

जिला मुख्यालय बिलासपुर एवं विकासखण्ड मुख्यालय मस्तूरी आना-जाना करते हैं। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये कुछ लोगों का प्रवास होता है। अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं की आपूर्ति के लिये भी लोगों का प्रवास विकासखण्ड मुख्यालय तक होता है।

ग्रामीण जनसंख्या शीघ्रता से नगरों की ओर भाग रहा है क्योंकि अच्छे जीवन की तलाश हर व्यक्ति को रहता है। जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, कृषि की समाप्ति होना, भूमिहीन कृषक, गरीबी की समस्या अधिक मजदूरी की इच्छा, नगरों का आकर्षण, बेरोजगारी आदि अनेक कारण हैं।

भारत शासन द्वारा इन प्रवासों को रोकने के लिये विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे - भारत निर्माण मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एकमुश्त सहायता, सूक्ष्म एवं लघु अवधि ऋण योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं विकलांग सहायता योजना आदि। किन्तु इन योजनाओं का अभी तक कोई खास प्रभाव नजर नहीं आता। अभी भी गांवों से पलायन जारी है जो एक चिंता का विषय है।

इन समस्याओं के निवारण के लिये शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। तभी इसका लाभ गांव वालों को मिल सकता है। गांवों के सर्वांगीण विकास के लिये भ्रष्टाचार को रोकना होगा जिससे गांवों के विकास के पैसों का दुरुपयोग ना हो सके। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि सरकार से जो पैसा गांवों में भेजा जाता है उस १ रूपये में से जनता को मात्र २० पैसे ही मिलते हैं बाकी बीच में ही समाप्त हो जाता है इसलिये इस ओर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है।

९. वैवाहिक स्तर :- विवाह मानव समाज की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रथा या समाजशास्त्रीय संस्था है। यह समाज का निर्माण करने वाली सबसे छोटी इकाई परिवार का मूल है। यह मानव प्रजाति के सांतत्य को बनाये रखने का मुख्य जीवशास्त्री माध्यम है। वैयक्तिक

दृष्टि से विवाह पति-पत्नी की मैत्री और साझेदारी है। दोनों के सुख, विकास और पूर्णता के लिये आवश्यक सेवा, सहयोग, प्रेम और निःस्वार्थ त्याग के अनेक गुणों की शिक्षा वैवाहिक जीवन से मिलती है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा की वैवाहिक स्तर सारणी क्रमांक १.७ से स्पष्ट है।

सारणी क्रमांक १.७

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा : वैवाहिक स्तर २०१८

वैवाहिक स्तर	पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
विवाहित	३२०	४८.४१	३३१	५३.६४	६५१	५०.१७
अविवाहित	३४१	५१.५९	२९३	४६.३६	६३४	४९.०३
विधुर / विधवा	१३	२.००	३२	५.०९	४५	३.४८
योग	६६४	१००	६३२	१००	१२९६	१००

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा के वैवाहिक स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कुल जनसंख्या का लगभग ५१ प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। जिसमें से कुल जनसंख्या का ४८ प्रतिशत पुरुष एवं कुल महिला जनसंख्या ५४ प्रतिशत महिलायें विवाहित है। अर्थात् पुरुषों की अपेक्षा महिलायें अधिक विवाहित है। अतः इनमें जीवन प्रत्याशा अधिक है। यहां कुल जनसंख्या का ४९ प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है। जिसमें अविवाहित पुरुषों की संख्या कुल पुरुष जनसंख्या का लगभग ५२ है एवं महिला जनसंख्या का ४६ प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट है कि यहां बालिकाओं का कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जा रहा है। जिसका समाज पर विपरीत प्रभाव दिखाई देता है। विधुर एवं विधवा जनसंख्या कुल जनसंख्या का ३.४८ प्रतिशत है। जिसमें विधवाओं की संख्या कुल महिला जनसंख्या का ०.५ प्रतिशत है। जबकि विधुर जनसंख्या कुल पुरुष जनसंख्या का मात्र ३ प्रतिशत है।

१०. जातीय संरचना :—जाति सिर्फ सामाजिक संरचना नहीं है। यह मोटा-मोटी समय द्वारा जांची परखी जा चुकी आर्थिक संरचना भी है। जाति उत्पादन के आदिम स्तर पर वर्ग का नाम है। सामाजिक चेतना का इस तरह से संयोजन करने वाली

परकृति है। भारतीय संविधान जाति को भेदभाव के स्रोत के रूप में देखता है और असमानता की इस कृति को जड़ से मिटाने के लिये संविधान में कुल व्यवस्था की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि भारत के सामाजिक जीवन में जाति व्यवस्था एक अपवाद है, जो धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा। अर्थात् भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को एक जाति-विहीन नागरिक के रूप में स्वीकार करता है और किसी भी प्रकार के जाति सूचक संबंधों को स्वीकार नहीं करता। यद्यपि संविधान में जाति के आधार पर असमानता को मिटाने का संकल्प स्पष्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार समाज में चार प्रकार के वर्ग समाहित है। देश, प्रदेश व जिला के समान इस सर्वेक्षित ग्राम में भी समाज चार वर्गों में बंटा हुआ है। ये चार वर्ग है— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य जाति। यहां विभिन्न जातियों या वर्गों की जनसंख्या सारणी क्रमांक १.८ से स्पष्ट है :—

छत्तीसगढ़ राज्य के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉ. रमन सिंह ने राज्य में अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ४२ जाति समूह और अनुसूचित जाति के अंतर्गत ४४ जाति समूह अधिसूचित किये हैं।

१. अनुसूचित जाति—सन् १९३१ में पहली बार उस समय के जनगणना आयुक्त माननीय जे.एच.हटन ने संपूर्ण भारत के अस्पृश्य जातियों की जनगणना की और बताया कि भारत में ११०८ अस्पृश्य जातियां और वे सभी जातियां 'हिन्दू धर्म के बाहर' है। इसलिये इन जातियों को 'बहिष्कृत जाति' कहा गया है। उस समय के प्रधानमंत्री रैम्से मैकडोनाल्ड ने देखा कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडियन की तरह 'बहिष्कृत जातियां' एक स्वतंत्र वर्ग है और ये सभी जातियों का हिन्दू धर्म में समाविष्ट नहीं है, इसलिये उनकी एक सूची तैयार की उस सूची में समाविष्ट जातियों को ही अनुसूचित कहा जाता है।

सारणी क्रमांक १.८

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा : जाति संरचना २०१८

वर्ग	परिवार की संख्या	पुरुष	महिला	संख्या	परिवार	पुरुष	महिला
अनुसूचित जाति	१५	१००	२५.५४	१५०	२५.५०	३३०	२५.५२
अनुसूचित जनजाति	१५	५९	७.३९	४८	७.५२	१७७	७.५०
अन्य पिछड़ा वर्ग	१२०	४३०	५४.८५	४०८	५४.७५	८३८	५४.८९
साधारण वर्ग	००	१४	२.२२	१४	२.२२	२८	२.२९
कुल	१५५	६५९	१००	६५९	१००	१२९३	१००

इसी आधार पर भारत सरकार द्वारा "अनुसूचित जाति अध्यादेश १९८५" के अनुसार कुछ सुविधाएं दी गई हैं। इसी आधार पर भारत सरकार ने "अनुसूचित जाति अध्यादेश १९३६" जारी कर आरक्षण की सुविधा प्रदान की। तत्पश्चात् इसमें कुछ संशोधन कर अनुसूचित जाति अध्यादेश १९५० पारित कर आरक्षण का प्रावधान किया गया।

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में अनुसूचित जातियों का कुल ५४ परिवार निवासरत है जो यहां निवासरत कुल परिवारों का २७.५५ प्रतिशत है। यहां अनुसूचित जातियों की कुल संख्या ३३० है, जो कुल जनसंख्या का २५.५२ प्रतिशत है। जिसमें पुरुषों की संख्या कुल पुरुष जनसंख्या का २५.६४ प्रतिशत एवं महिला जनसंख्या कुल महिला जनसंख्या का २५.४० प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि यहां के विकास में अनुसूचित जातियों की सहभागिता लगभग एक चौथाई है। अनुसूचित जातियों में मुख्य रूप से सतनामी एवं सूर्यवंशी है। अधिकांश अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकते रहते हैं। खरीफ मौसम के पश्चात् रोजगार की तलाश में प्रदेश के बाहर चले जाते हैं। ईंट भट्ठा एवं अन्य कार्यों में मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९४ है।

२. अनुसूचित जनजाति — "भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२५) में अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा ऐसी जनजातियों अथवा जनजातीय समुदाय अथवा ऐसे जनजातियों समुदायों के भाग अथवा उनके भीतर के समूहों के रूप में की गई है, जिन्हें अनुच्छेद ३४२ के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों होना माना गया है।

भारत की जनजातियां ही यहां की आदिवासी

तथा मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इनके जीवन-यापन का ढंग वर्तमान में भी प्राचीन पद्धतियों से ही संचालित होता आ रहा है। वर्तमान समय में कुछ जनजातियों ने स्थायी ढंग से कृषि, पशुपालन आदि कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया है। किन्तु इनकी अधिकांश जनसंख्या शिकार करने, मछली पकड़ने लकड़ी काटने आदि कार्यों द्वारा ही जीवन निर्वाह करती है। — राल्फ लिंटन"

भारतीय जनजातियों की विद्वानों द्वारा अलग-अलग नामों से संबोधित किया गया है, जैसे — आदिवासी पहाड़ी जनजातियां, जंगली आदिवासी, प्राचीन जनजाति आदि भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। भारतीय जनजातियों का मूलस्रोत प्रोटो आस्ट्रेलियाई तथा मंगोल प्रजातियों को माना जाता है। इनका एक अन्य स्रोत नीग्रिटो प्रजाति भी है जिसके निवासी अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में अभी भी विद्यमान है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियां — कोरकू, झील, बैगा, गोड़, अगारिया, भारिया, कोरवा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेशिया, हल्बा अतरा, माडिया, सहारिया, कमार, कंवर आदि।

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में अनुसूचित जनजातियों की कुल १५ परिवार निवास करते हैं। इनकी कुल जनसंख्या ९७ है। जो यहां की कुल जनसंख्या का ७.५० प्रतिशत है। २०११ की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या ८३ थी जो कुल जनसंख्या का ६.८१ प्रतिशत थी। इस प्रकार पिछले ०८ वर्षों में मात्र ०.६९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९७.९६ है। ये लोग काफी पिछड़े हुए हैं, इन्हें राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता है। बिलासपुर जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का २१.९० प्रतिशत है।

३. अन्य पिछड़ा वर्ग — अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है। भारतीय संविधान में ओबीसी को सामाजिक और

शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में किया है और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये जैसे—ओबीसी को सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में २७ प्रतिशत आरक्षण दिया है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत १२० परिवार अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यहां इनकी जनसंख्या ८३८ है जो यहां की कुल जनसंख्या का लगभग ६५ प्रतिशत है तथा लिंगानुपात प्रति १०० पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ९५ है। इस वर्ग के अंतर्गत पुरुष ४३० एवं महिलायें ४०८ है जो कुल पुरुष व महिला जनसंख्या का क्रमशः ६४.८५ व ६४.७६ प्रतिशत है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग कृषि एवं कृषि मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते हैं। कुछ परिवारों के पास अपना स्वयं का रोजगार है जैसे—किराना दुकान, पान टेला, मनियारी सामान का दुकान, स्टेशनरी, सब्जी—भाजी का टेला, चाय—नाश्ता सेंटर इत्यादि। कृषि, मजदूरी से आर्थिक लाभ अधिक नहीं पाता है इसलिए रोजगार की तलाश में नगरों की ओर एवं प्रदेश से बाहर अर्थात् अन्य प्रदेशों की ओर प्रयास करते हैं।

सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में अन्य सामान्य वर्ग के मात्र ०७ परिवार निवासरत है जिनकी कुल जनसंख्या मात्र २८ है। जिसमें १४ पुरुष एवं १४ महिलायें हैं। इन लोगों की भी आर्थिक स्थिति कोई खास नहीं है। ये लोग भी आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं लेकिन संगठित होने के कारण समाज में वर्चस्व है।

इन उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यहां के लोग काफी पिछड़े हुए हैं, गरीबी में जीवन—यापन कर रहे हैं। राज्य की विकास योजनाओं का लाभ यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। अतः ग्रामीण विकास योजनाओं को घर—घर पहुंचाना है। इसके लिये जन—जागृति की आवश्यकता है तभी इस सर्वेक्षित ग्राम का विकास हो सकता है।

११. सांस्कृतिक स्तर—संस्कृति व्यावसायिक पर्यावरण का बहुत ही जटिल एवं गूढ़ घटक है। संस्कृति के विभिन्न आयामों को भलीभांति समझना उत्पाद—विकास, उत्पाद प्रोत्साहन, व्यावसायिक रणनीति, मानव

संसाधन प्रबंधन एवं सामाजिक, राजनैतिक पर्यावरण के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक विशेषतायें व्यवसाय को प्रगतिशील रणनीति बनाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ई.डब्ल्यू. टेलर के अनुसार “संस्कृति वह जटिल, समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं व आदतों को शामिल किया जाता है, जो मनुष्य द्वारा समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त की जाती है। संस्कृति मानव की सर्वश्रेष्ठ धरोहर है, जिसकी सहायता से वह पीढ़ी—दर—पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। संस्कृति के अभाव में मानव समाज की रचना संभव नहीं है। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है जिसे भौतिक तथा अभौतिक भागों में विभक्त किया जा सकता है। लॉबी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते हैं।

१. भौतिक संस्कृति—भौतिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखे तो सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा एवं इसके समीपी ग्रामों जैसे—मोहतरा, कोसमडीह, जयरामनगर, परसदा आदि क्षेत्रों में चूने का पत्थर एवं डोलोमाइट मिलता है। इसका उपयोग सीमेन्ट उद्योग एवं लौह इस्पात उद्योग में होता है। खुडूभाठा एवं समीपी ग्रामों में क्रैसर उद्योग संचालित है।

यहां परिवहन साधनों के रूप में मोटर साइकिल, साइकिल व बैलगाड़ी है। जिससे लोगों का आवागमन सुगम हो जाता है। यहां से लगभग २ कि.मी. की दूर पर जयराम नगर रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध है।

देश, प्रदेश व किसी क्षेत्र विशेष के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा निरक्षरता व अज्ञानता है। विकास के विभिन्न .. को समझने, अपनाने, परंपराओं से हटकर आर्थिक कार्यों में नवीन प्रक्रियाओं को अपनाने एवं एक सजग नागरिक बनने के लिये शिक्षा पहली आवश्यकता है और उसका पहला चरण है साक्षरता। यहां एक प्राथमिक शाला तथा एक आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। यहां ०—५ वर्ष के बालक—बालिकाओं को आंगनबाड़ी केन्द्र एवं ५ वर्ष से अधिक आयु के बालक—बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्राथमिक स्कूल भेजते हैं।

२. अभौतिक संस्कृति (मानवीय संस्कृति) —

इस संस्कृति में सामान्यतः सामाजिक विरासत से प्राप्त विश्वास, विचार, व्यवहार, प्रथा, रीति-रिवाज, मनोवृत्ति, ज्ञान, साहित्य, भाषा, संगीत धर्म, नैतिकता इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ये पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे चलती रहती है तथा प्रत्येक पीढ़ी में इसका अर्जन व परिमार्जन संभव होता है। सर्वेक्षित ग्राम खुडूभाठा में अनेक धर्मावलंबियों, प्रथाओं एवं रीति-रिवाज के लोग निवासरत हैं। यहां सतनाम पंथ, इसाई एवं हिन्दू धर्म के अनुयायी हैं। इन लोगों की प्रथाएं एवं रीति-रिवाज अलग-अलग हैं। यहां सतनाम पंथ के अनुयायियों के लिये जयस्तंभ एवं हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिये अनेक देवी-देवताओं का पूजा स्थल स्थापित है। जहां पर लोग अपनी-अपनी प्रथाओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं तथा ग्राम के सभी लोग मिल-जुलकर एक-दूसरे के त्यौहारों को मनाते हैं। जैसे १८ दिसम्बर गुरुघासीदास जयंती, दशहरा, दीपावली एवं होली आदि।

संदर्भ :-

१. Davis Kingsley – Population of India and Pakistan Prinecton University Press, 1951, P- 150-

२. अनुसूचित जाति अध्यादेश १९३५, १९३६ एवं १९५०.

३. भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२५)

४. बंदे — संस्कृति एवं व्यवसाय २४ जून

२०१७



केदारनाथ अग्रवाल का अनूदित साहित्य

संतोष नागरे

सहा.प्रा.- हिन्दी विभाग,

र.भ.अट्टल महाविद्यालय गेवराई, जि.बीड

वैश्वीकरण के इस दौर में अनुवाद का महत्व बढ़ रहा अनुवादक अनुवाद के माध्यम से दो भाषा, दो प्रदेश, दो राष्ट्र के व सेतु बनकर विश्व को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अनुवाद मूल रचनाकार की पीढ़ी को आत्मसात करते हुए उसे अपनी भाषा अभिव्यक्त करता है। एक तरह से अनुवादक अनुवाद के माध्यम मूल कृति का पुनः सृजन करता है। इसीलिए मूल रचनाकार की तम अनुवादक को भी वही श्रेय मिलना चाहिए। केदारनाथ अग्रवाल इ संदर्भ में कहते हैं, - "अनूदित होकर प्रत्येक कविता स्वभवतया न कृति बन ही जाती है।... इसलिए साहित्य में अनुवादकों को भी वह श्रेय और सम्मान प्राप्त होना चाहिए जो मौलिक कृतिकारों को प्राप्त होता है। तभी प्रान्त-प्रान्त की भाषाओं का रचनात्मक साहित्य हिन्द में उपलब्ध हो सकेगा और इससे देश की आत्मीय एकता और अखंडता स्थापित हो सकेगी। विश्व साहित्य के ग्रंथों का भी इसीलिए हिंदी में अनुवाद होना चाहिए ताकि देश का जन-मानस विश्व के जन-मानस से जुड़कर दुनिया को एक सूत्र में बंधा-संधा देख सके।"

केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील साहित्यधारा के शीर्षस्थ रचनाकार हैं। केदार ने हिंदी साहित्य में कवि, गद्यकार के साथ ही अनुवादक के रूप में भी अपनी पहचान बनायी। केदार ने छात्र जीवन से ही अनुवाद की शुरुआत की। अशोक त्रिपाठी इस संदर्भ में कहते हैं, - "उमर खयाम की रुबाईयों का फिट जेराल्ड ने 'गोल्डन ट्रेजर्ड' नाम से अनुवाद किया था। उसके कुछ छंदों का अनुवाद केदार जी किया जो कालेज मैगजीन में छपा और प्रशंसित भी हुआ।" तत्पश्चात केदार ने विश्वविख्यात कवियों की काव्य-रचनाओं का अनुवाद किया यह अनुवादित काव्य रचना 'देश-देश की कविताएँ' शीर्षक से १९७ में परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। प्रस्तुत रचना पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत, मायकोवस्की, वाल्ट ह्विटमैन, अलेक सुरकोव, एजरा पाउंड, याकुब कोलास, मूसा जलील, फिटजेराल्ड

पर्यावरणीय राष्ट्रवाद

डॉ. के.आर. मतावले

सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर, छत्तीसगढ़
(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

हम सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण के तत्व हमें प्रभावित करते हैं। यदि पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हमारे सम्पूर्ण क्रिया-कलाप पर पड़ता है। साथ ही मानव के विभिन्न क्रिया-कलाप एवं गतिविधियाँ, चारों ओर व्याप्त पर्यावरण को भी कुछ हद तक प्रभावित करता है। नैतिक पर्यावरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रकृति के साम्राज्य की वे सभी शक्तियाँ क्रियाएं तथा तत्व सम्मिलित होते हैं। जिनका प्रभाव मानव, उसके क्रिया-कलापों, भोजन, वस्त्र, आदतों एवं क्षमता आदि पर पड़ता है। व्हाइट और नर ने भौगोलिक पर्यावरण के महत्व को इस रूप में व्यक्त किया है-भौतिक वातावरण मानव के बड़े समूहों को स्पष्टतः प्रत्यक्ष रूप में प्राथमिक तरीके से प्रभावित करता है। प्रत्येक समूह जनजाति, राज्य, राष्ट्र और पृथ्वी के सभी साम्राज्य पर्यावरण द्वारा सीधे तौर पर सफलता के साथ निरंतर प्रभावित होते हैं। मानव की कोई भी बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया पर्यावरण की सहायता रूकावटें एवं निर्देशों के बिना स्वतंत्र नहीं हैं। प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के लिये वही करता है, जो सामाजिक पर्यावरण व्यक्तिगत मनुष्य के लिये। पर्यावरण और राष्ट्रवाद एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। पर्यावरण है तो राष्ट्र है, पर्यावरण के अवनयन से राष्ट्र का विकास अवरूद्ध हो जाता है। पर्यावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है। चाहे वह भौतिक पर्यावरण हो या सांस्कृतिक। पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और मानव की उच्च आकांक्षा है।

Figure : 00

References : 04

Table : 00

Keywords : पर्यावरण और आधुनिक संदर्भ, पर्यावरण और राष्ट्रवाद, पर्यावरण और मानव जीवन

पर्यावरणीय राष्ट्रवाद को समझने के पहले वहाँ व्याप्त पर्यावरण को समझना होगा। क्योंकि पर्यावरण ही है जो हमें भौतिक एवं सांस्कृतिक एवं सांस्कृतिक सभी रूपों में हमारे क्रिया-कलापों को प्रभावित करते हैं। हम सभी पृथ्वी के धरातल में निवास करते हैं। विश्व जगत के समस्त मानव जाति पर्यावरण और राष्ट्रवाद से भली-भांति परिचित हैं। आज वर्तमान समय में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल पत्र-पत्रिकाओं, दूरदर्शनों तथा हमारे आस-पास के व्यक्तियों द्वारा प्रायः किया जाता है। बड़े बुजुर्ग प्रायः कहा करते हैं कि अब वह वातावरण नहीं रहा, जैसा कि पहले था। अब वातावरण ही खराब हो गया है। हमें काफी सूझ-बूझ के साथ स्वस्थ पर्यावरण में अपना कार्य करना चाहिये।

पर्यावरण को परिभाषित करते हुए हर्ष कोविट्स लिखते हैं कि "पर्यावरण सम्पूर्ण वाह्य स्थितियों और उसका जीव धारियों पर पड़ने वाला प्रभाव है, जो जैव जगत के विकास चक्र का भूक है।"

हम सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण के तत्व हमें प्रभावित करते हैं। यदि पर्यावरण परिवर्तन होता है, तो उसका प्रभाव हमारे सम्पूर्ण क्रिया -कलाप पर पड़ता है। साथ ही मानव की

शोध धारा 173

विभिन्न क्रिया-कलाप एवं गतिविधियां चारों ओर व्याप्त पर्यावरण को भी कुछ हद तक प्रभावित करती हैं। नैतिक पर्यावरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रकृति के साम्राज्य की वे सभी शक्तियां, सम्मिलित होती हैं। जिनका प्रभाव मानव, उसकी क्रिया-कलापों भोजन, वस्त्र, आदतों एवं पर पड़ता है। व्हाइट और रैनर ने भौगोलिक पर्यावरण के महत्त्व को इस रूप में व्यक्त किया है- वातावरण मानव के बड़े समूहों को स्पष्टतः प्रत्यक्ष रूप में प्राथमिक तरीके से प्रभावित करता है। प्रकृति समूह जनजाति, राज्य राष्ट्र और पृथ्वी के सभी साम्राज्य पर्यावरण द्वारा सीधे तौर पर सफलता के निरंतर प्रभावित होते हैं। मानव की कोई भी बड़ी महत्त्वपूर्ण क्रिया पर्यावरण की सहायता रूकावटें निर्देशों के बिना स्वतंत्र नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण मानव समाज के लिये वही करता है, जो सामाजिक पर्यावरण व्यक्तिगत मनुष्य के लिये।

पर्यावरण और राष्ट्रवाद एक-दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व खतरे में जाता है। पर्यावरण है तो राष्ट्र है, पर्यावरण के अवनयन से राष्ट्र का विकास अवरुद्ध हो जाता है। पर्यावरण हमारे चारों ओर व्याप्त है। चाहे वह भौतिक पर्यावरण हो या सांस्कृतिक। पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और मानव की उच्च आकांक्षा है।

प्राचीन समय में ब्रिटिश शासन के पहले भारत छोटे-छोटे रियासतों में बँटा हुआ था। रियासत स्वतंत्र थे। पर्यावरण सुदृढ़ था। उस समय एक प्रकार से क्षेत्रीयवाद था। अर्थात् प्रदेशवाद मानव अपने रियासतों के बारे में सोचता था। रियासतों का विकास करना चाहता था। एक-दूसरे के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। व्यक्तियों से मेल-जोल नहीं हो पाता था। किसी भी प्रकार के आचार-विचार एवं आदान-प्रदान नहीं हो पाता था। व्यक्ति राष्ट्र के बारे में संच नहीं सकता था। प्रकृति से उस समय राष्ट्रवाद का बीजारोपण नहीं हुआ था। ब्रिटिश के आगमन के पश्चात आवागमन मार्गों एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। तत्पश्चात मानव का एक दूसरे से संपर्क बढ़ा। आचार-विचार का आदान-प्रदान होने लगा। एक अलग पर्यावरण का निर्माण होने लगा, अर्थात् पर्यावरण परिवर्तन होने लगा। इस परिवर्तित पर्यावरण में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ।

राष्ट्रवाद शब्द १४वीं शदी में तब पहली बार अस्तित्व में आया; जब फ्रांस में पहली बार जॉन आर्क (सेंट जॉन) ने नारा दिया: 'फ्रांस फ्रांसीसियों के लिये' और उसने अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ फ्रांस के लोगों को जागृत किया। उपनिवेशिक काल में ये अवधारणा यूरोप से होती हुई दुनिया में फैल गई, जिसका मुख्य कारण था यूरोपीय ताकतों द्वारा अपने उपनिवेश देशों का आर्थिक शोषण वहाँ के नागरिकों के साथ दोगम या अमानवीय व्यवहार रहा। लोगों को महसूस हुआ कि हमारी इस दुर्दशा का कारण विदेशी शासन है। जिसे दूर किये बिना इस अन्याय से छुटकारा नहीं मिल सकता।

भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में देखा जाय तो ब्रिटिश काल से पहले राष्ट्र की अवधारणा नजर ही नहीं आती। सदियों तक विदेशी हमलावर यहाँ आते रहे और फिर यहीं के होकर रह गये। मुस्लिम हमलावर शासक यहीं बस गये और भारतीय मुसलमान कहलाये। विभिन्न राजाओं में स्वतंत्र संघर्ष और अधिकाधिक क्षेत्र को अपने अधीन करने की लालसा तो थी पर जनता के मन में कोई राष्ट्र जैसी कोई चीज नहीं थी। जब ब्रिटिश भारत के शासक बने तो उन्होंने भारत व भारतीय लोगों की दृष्टि से देखा, उन्हें तुल्य समझना, उनका शोषण करना आदि कारणों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया।

संस्थाओं, क्रियाएँ तक प्रभावित होकर राष्ट्र का विकास करने के लिये कटिबद्ध होकर संयुक्त रूप से आजादी के संघर्ष में साथ दे रहे हैं। अतः भारत स्वतंत्र होकर एक नवीन राष्ट्र बना। भारत वर्ष के लिये नवीन संविधान का निर्माण हुआ जो हम सभी के सर्वांगीण विकास के लिये है। इस प्रकार एक गणतंत्र राष्ट्र का अभ्युदय हुआ, जिसमें हम सभी का विकास निहित है।

जनसंख्या के निरंतर तीव्र वृद्धि के कारण अनेक पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न होने लगी हैं। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के मूल भूत आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिये वनों का अंधाधुंध कटाई, संसाधनों का विदोहन, औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं कृषि भूमि का विकास आदि कारणों से आज पर्यावरण संकट में आ गया है। यह समस्या भारत में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में है। आज पर्यावरण अवनयन के कारण जल संसाधन भूमि संसाधन एवं वन संसाधन नष्ट हो रहे हैं। वायु, जल एवं भूमि प्रदूषित हो रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सम्मेलन 5 जून 1972 में स्टॉकाहोम में हुआ, जो पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पहला सम्मेलन था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण तथा सुधार की विश्व व्यापी समस्या का समाधान करना था। इस सम्मेलन में 113 देशों ने पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकार किया। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ। मानवीय पर्यावरण का संरक्षण करने तथा उसमें सुधार करने के लिये राज्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दिशा निर्देश दिये गये। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त से 4 सितम्बर 2002 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत् विकास के पक्ष में राजनीतिक प्रतिबद्धता और इसके लिए वास्तविक कदम उठाये जाने की उम्मीदों के साथ आयोजित किया गया।

किसी भी पर्यावरण अवनयन का मुख्य कारण जनसंख्या का तीव्र विकास है, जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या और पर्यावरण में गिरावट सतत् विकास को अवरुद्ध कर देती है। जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास भारत में को नग्न पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म दे रही है। इनसे भूमि पर भारी दबाव, भूमि क्षरण, वन निवादादि होने लगते हैं। मानव के उपभोगतावाद के कारण ऊर्जा की मांग बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और जल प्रदूषण आदि होने लगते हैं। अनुमान के अनुसार कृषि योग्य भूमि का 60 प्रतिशत भूमि कटाव, जल भराव और लवणता से ग्रसित 1.4 मीटर रह गई है। तथा भूगर्भिक जल का अत्यधिक शोषण हरियाणा पंजाब व उत्तरप्रदेश में पर्यावरण का तापमान बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप वर्षा का स्वरूप बदलने लगता है और आकाल आवृत्ति बढ़ जाती है। आज राष्ट्रवाद के पुनर्जागरण की आवश्यकता है। पर्यावरण अवनयन पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय में एक राष्ट्रव्यापी समस्या है। इस विश्व स्तरीय समस्या के समाधान के लिये शोध धारा

SN : 0975-3664

UGC : 41386

RNI : U.P.BIL/2012/4369

Year : 2018

Year : JUNE

Vol. :

शोध - धारा

SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

Grade 'A' Impact Factor 5



शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित

Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan

Orai (Jalaun) U.P.

175-3664

UGC : 41386

RNI : U.P.BIL/2012/43696

018

Year : JUNE

Vol. : 2

शोध - धारा

SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

Grade 'A' Impact Factor 5



शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित
Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

१६. भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की भूमिका	अतुल कुमार मिश्र	
२०. अरविंद अडिगा के उपन्यास 'द व्हाइट टाईगर' में राष्ट्र विकास का चिंतन	डॉ० सावित्री त्रिपाठी	
२१. राष्ट्र निर्माण में संस्कृत की भूमिका	श्रीमती उत्तरा निराला	
२२. पूर्व मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य और राष्ट्रीय एकता	श्री रामकुमार सिंह कंवर	
२३. राष्ट्र के विकास में हिन्दी भाषा की भूमिका	डॉ० (श्रीमती) उषा तिवारी	९३
२४. राष्ट्र के निर्माण में भाषा का योगदान	डॉ० आर.के. तिवारी	
२५. राष्ट्र विकास में छायावादी कवियों का योगदान (महात्मा गांधी के संदर्भ में)	डॉ० सत्येन्द्र कुमार कश्यप	९७
२६. राष्ट्रभाषा की अवधारणा एवं हिन्दी	श्री अनिल कुमार नेताम	
२७. राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान	डॉ. रेशमा अंसारी	१००-१०१
२८. हिन्दी कविता में जनवादी चेतना	डॉ. कमलेश गोगिया	
२९. राष्ट्र विकास में साहित्य चिंतन	श्रीमती भारती धुमाल	१०३-१०४
३०. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन (भारतेन्दु युग के विशेष सन्दर्भ में)	डॉ० मधुमति सरोटे	१०६-१०७
३१. राष्ट्रीय चेतना का संवाहक : साहित्य	डॉ० (श्रीमती) राजेश चतुर्वेदी	१०९-११०
३२. राष्ट्र विकास और साहित्य चिंतन	डॉ. (श्रीमती) जयश्री शुक्ल	११२-११३
३३. राष्ट्र विकास और भारतीय राजनीतिक चिंतन (कौटिल्य के विशेष संदर्भ में)	श्रीमती श्वेता शर्मा	११५-११६
३४. राष्ट्रविकास: राजनीति एवं प्रबंधन की दृष्टि से	लक्ष्मी प्रसाद कर्ष	११९-१२०
३५. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन	डॉ० शशि अवस्थी	१२५-१२६
३६. राष्ट्र विकास और राजनीतिक चिंतन	डॉ. अलका पंत	१२८-१२९
३७. राष्ट्र के विकास में संगीतिक और वैज्ञानिक चिंतन का स्वरूप	असीम बाजपेयी	१३२-१३३
३८. राष्ट्र विकास में वैज्ञानिक चिंतन	डॉ० गोमती सिंह	१३६-१३७
३९. विकास, पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण कानून	ईश्वरी बृजबासी सूर्यवंशी	१४१-१४२
४०. राष्ट्र निर्माण में सतत् विकास तथा पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन	डॉ० आभा तिवारी	१४४-१४५
४१. राष्ट्र विकास का पर्यावरणीय चिंतन	डॉ० एम.एस. तंबोली	
४२. पर्यावरणीय राष्ट्रवाद	श्रीमती अर्चना दीवान	१४८-१५०
४३. राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका	डॉ. (श्रीमती) कविता ठक्कर	
४४. ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व सहायता समूहों	अली हसन	१५१-१५२
	डॉ० राम आशीष श्रीवास्तव	१५३-१५४
	श्रीमती सीमा जायसी	१६०-१६१
	डॉ० रवीन्द्र जायसी	
	डॉ० कावेरी दाभड़कर	१६८-१७०
	डॉ० के.आर. मतावले	१७३-१७४
	श्रीमती करुणा गायकवाड़	१७७-१७८
	डॉ० सुजाता सैमुअल	१८१-१८२

राष्ट्र विकास में कवियों का योगदान

डॉ० (श्रीमती) राजेश चतुर्वेदी

आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर, छत्तासगढ़ \n (प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

समाज का राष्ट्र से सीधा संबंध है। किसी भी संस्कारित समाज की विशिष्ट जीवन शैली होती है, जो कि राष्ट्र के रूप में दूसरे समाज को प्रभावित करती है। रूढ़ियों एवं विकृत परम्पराओं से जर्जर समाज राष्ट्र को जागृति के गान गाकर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता जैसी उदात्त प्रवृत्तियों का पोषण और उन्नयन साहित्य द्वारा होता है। किन्तु हिन्दी साहित्य के उद्भव काल में केन्द्रीय सत्ता के अभाव ने राष्ट्रीयता की जड़ें हिला दीं। आक्रांताओं के अत्याचारों से जर्जर भारतीय संस्कृति का सूर्य अस्तप्राय हो चला था।

Figure : 00

References : 03

Table : 00

Key Words : राष्ट्र विकास और साहित्य, साहित्य और राष्ट्र तथा समाज

भारतीय वाङ्मय में 'राष्ट्र' शब्द का प्रयोग वैदिक काल से ही होता चला आ रहा है। यजुर्वेद में 'राष्ट्र में देहि' और अथर्ववेद के 'त्वा राष्ट्र भृत्याय' में राष्ट्र शब्द समाज के लिए प्रयुक्त होता है। राष्ट्र एक समुच्चय है, और राष्ट्रीयता एक विशिष्ट-भावना है। जिस जनसमुदाय में एकता की सहज लहर है, उसे राष्ट्र कहते हैं। आर्यों की भूमि आर्यावर्त में एक वाह्य एकता के ही नहीं बल्कि वैचारिक एकता के भी प्रमाण मिलते हैं। साहित्य का मनुष्य से शाश्वत संबंध है। साहित्य सामुदायिक विकास में सहायक होता है और सामुदायिक भावना राष्ट्रीय चेतना का अंग है।

समाज का राष्ट्र से सीधा संबंध है। किसी भी संस्कारित समाज की विशिष्ट जीवन शैली होती है, जो कि राष्ट्र के रूप में दूसरे समाज को प्रभावित करती है। रूढ़ियों एवं विकृत परम्पराओं से जर्जर समाज राष्ट्र को जागृति के गान गाकर संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीयता जैसी उदात्त प्रवृत्तियों का पोषण और उन्नयन साहित्य द्वारा होता है। किन्तु हिन्दी साहित्य के उद्भव काल में केन्द्रीय सत्ता के अभाव ने राष्ट्रीयता की जड़ें हिला दीं। आक्रांताओं के अत्याचारों से जर्जर भारतीय संस्कृति का सूर्य अस्तप्राय हो चला था।

महात्मा कबीर ने निराकार ब्रह्म की उपासना का उच्च आदर्श प्रस्तुत कर राष्ट्रीय गरिमाओं में जीवन का संचार किया। राम और रहीम को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। कबीर अपने युग के महान राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र भक्त तुलसी ने राम के लोकरक्षक, लोकरंजक स्वरूप को स्थापित कर सांस्कृतिक एकता को शक्ति प्रदान की।

रीतिकाल के कवियों की चमत्कारिक वृत्ति के कारण काव्य की आत्मा लुप्त हो गई। किन्तु भूषण राष्ट्रवादी स्वरों ने लोक चेतना को झकझोर दिया। आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी कविता से भारत दुर्दशा का चित्र खींचकर समाज को जागृति प्रदान की। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय चेतना की स्थूल अभिव्यक्ति नहीं मिलती है। किन्तु छायावादी कवियों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक

संघेतना को नकारा नहीं जा सकता है। उनका राष्ट्र प्रेम भावात्मक एवं व्यापक था। गुप्त जी ने काव्य द्वारा मानवीय मूल्यों की स्थापना पर बल दिया है। उनकी भारत-भारती ने राष्ट्रीयता की संभावना में लहरें उत्पन्न कर माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', रामनरेश त्रिपाठी और सोहन द्विवेदी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जनजागरण तथा अभियान गीतों से राष्ट्र की आत्मा को एक नई प्रदान की।

दिनकर की वैचारिक भावभूमि मानवतावादी है तथापि उन्हें राष्ट्रवादी कवि के रूप में स्थापित दिया गया। दिनकर के काव्य ने भारतीय जनमानस को नवीन चेतना से सराबोर किया है। दिनकर हिन्दी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊँचाई दी बल्कि अपनी रचनाओं के से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इसकी एक मिसाल सत्तर के दशक में सम्पूर्ण क्रान्ति के देखने को मिलती है, जब दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों के समक्ष दिनकर जी की पंक्ति 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है' का उद्घोष करके तत्काल सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। मौजूदा दौर के मशहूर कवि प्रेम जनमेजय भी हैं कि दिनकर ने गुलाम भारत और आजाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिये क्रान्तिकारी विचार को विस्तार दिया। जनमेजय ने 'भाषा' के साथ बातचीत में कहा, 'आजादी के समय और चीन के के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया।'

माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिन्दी रचनाकार थे। राष्ट्रीय माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का कलेवर है

सुलग-सुलग री जोत दीप से दीप मिलें, कर-कंकड़ बज उठे, भूमि पर प्राण फलें
युग के दीप नये मानव, मानवीय ढलें, सुलग-सुलग री जोत दीप से दीप जलें।

'एक भारतीय आत्मा' नाम माखनलाल चतुर्वेदी के लिए अत्यन्त योग्य उपनाम है। क्योंकि एक भारतीय आत्मा उस व्यक्ति का नाम है, जिसने भारत और भारतीयता की अस्मिता को पूरी तरह आत्मसात् कर उसकी रक्षा में अपनी रचनाधर्मिता को समर्पित करने में विश्वास किया। ऊपर दी हुई पंक्तियां उनका कविता 'दीप से दीप जले' में देश प्रेम, मानवता और राष्ट्रीयता साफ-साफ झलक रही है। सच माखनलाल चतुर्वेदी में राष्ट्रीयता और देश प्रेम कूट-कूटकर भरा हुआ था। वे अपने आप को और देश के सभी जवानों को सिपाही मानते थे, उनकी 'सिपाही' कविता में इस भाव को देखा जा सकता है

बोल अरे सेनापति मेरे!

मन की घुंड़ी खोल,

जल, थल, नभ, हिल-डुल जाने दे।

जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में भी राष्ट्रीय चेतना का स्वर प्रच्छन्न है। उनकी चेतना राष्ट्रीय जागरण के साथ सांस्कृतिक जागरण का रूप धारण कर लिया है। प्रसाद जी राष्ट्रीय चेतना 'द्विवेदीकालीन' कवियों मैथिलीशरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी की चेतना में क अन्तर है। उनकी राष्ट्रीय चेतना बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के 'विप्लवगान' और 'निराला' के 'जागो एक बार' से भी भिन्न है। क्योंकि इनमें राष्ट्रीयता का स्वरूप स्थूल है।

प्रसाद जी के काव्य में हमें उपलब्ध राष्ट्रीय चेतना में नवीन भाव बोध के साथ स्वाधीनता

शोध धारा

सूक्ष्म कल्पना, लाक्षणिकता, और एक नए प्रकार का सादृश्य-विधान, नवीन सौन्दर्य बोध आदि के होते हैं।

राष्ट्रीय काव्य धारा को विकसित करने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान का 'त्रिधारा' और 'मुकुल' 'रखी', 'झांसी की रानी', 'वीरों का कैसा हो बसन्त' आदि कविताओं में तीखे भावों की पूर्ण भावना प्रकृत है। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभायी। आन्दोलन के दौरान उन्हें कई बार जमाना पड़ा। 'जलियावालाबाग में बसन्त' कविता में इस नृशंस हत्याकाण्ड पर कवयित्री के करुण भाव से उसकी मूक वेदना मूर्तिमान हो उठी है—

“आओ प्रिय ऋतुराज, किन्तु धीरे से आना
यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना
कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा-खा कर
कलियाँ उनके लिए चढ़ाना थोड़ी सी लाकर”

इनकी राष्ट्रीय कविताएं समसामयिक देश प्रेम और भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रभावित हैं। अपनी राष्ट्रीय रचनाओं में संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय भावना को तत्कालीन राजनैतिक संदर्भों से जोड़ा है, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीयता का आरोपण किया है। इनकी काव्य शैली की यह विशेषता है कि वे कितने भी जटिल विषय को अपनी सहजता अवश्य ही उभरकर आ जाती है।

राष्ट्रीय विकास में कवियों के योगदान पर चिंतन किये बिना आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण ही नहीं करता बल्कि राष्ट्र के उच्चतर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। राष्ट्रीय काव्य धारा से जुड़े हुए कवि की रचनाएँ कालजयी होती हैं, और उसमें स्वर सदैव गूँजते

सन्दर्भ

1. रामधारी सिंह; संस्कृति के चार अध्याय

2. आचार्य रामचन्द्र; हिन्दी साहित्य का इतिहास, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, १९६०

3. नगेन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास (संपादित), नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, १९६४

1+1/2

ISSN : 2275-3664

UGC : 41386

RNI : U.P.BIL/2012/43696

Year : 2018

Year : JUNE

Vol. : 2

शोध - धारा

SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

Grade 'A' Impact Factor 5



शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित
Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व-सहायता समूहों के संघों की भूमिका

डॉ० सुजाता सैमुअल

सहायक प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, मरतूरी, विलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ० सपना कौर

सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, वालोद, छत्तीसगढ़

(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्व सहायता समूह योजना सबसे गरीब को विकास का लाभ पहुँचाने, उनकी जीवनशैली और आत्मविश्वास को उच्च करने हेतु एक अत्यावश्यक शक्ति और रणनीति के रूप में पहचाना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेरोजगार महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। स्व सहायता समूहों के माध्यम से इन महिलाओं का न केवल आर्थिक, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक, पारिवारिक व मानसिक उत्थान हुआ है। किन्तु ये समूह स्वयं अनेक चुनौतियों और बाधाओं जैसे आजीविका को प्रोत्साहन देने में असफलता, समूह संगठन में पर्याप्त संसाधनों का अभाव, समूह सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव आदि का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने, समूह को स्थायित्व प्रदान करने तथा इनके माध्यम से विकास की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्व सहायता समूहों के संघों तथा समूहों का अन्य संगठनों के साथ सम्बद्धता या नेटवर्किंग के विकास की अवधारणा विकसित हुई है। स्व सहायता समूहों का संघ छोटे समूहों का एक संगठन है, जो उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो एक समूह द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। संघ एक मंच है, जहाँ अनेक समूहों के प्रतिनिधि एक निर्धारित समय पर बैठक करके अपने सार्वलौकिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं।

Figure : 01

References : 08

Table : 01

Key Words : स्व-सहायता समूह, ग्रामीण विकास एवं महिलाएं, स्व-सहायता समूह एवं राष्ट्रविकास

प्रस्तावना

ग्रामीण विकास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोगों की आजीविका के संसाधनों एवं जीवन स्तर में वृद्धि हेतु किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रयासों की ओर संकेत करते हैं। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्व सहायता समूह योजना सबसे गरीब को विकास का लाभ पहुँचाने, उनकी जीवन शैली और आत्म विश्वास को उच्च करने हेतु एक अत्यावश्यक शक्ति और रणनीति के रूप में पहचाना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और बेरोजगार महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से इन महिलाओं का न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक, पारिवारिक व मानसिक उत्थान हुआ है। किन्तु ये समूह स्वयं अनेक चुनौतियों और बाधाओं जैसे आजीविका को प्रोत्साहन देने में असफलता, समूह संगठन में पर्याप्त संसाधनों का अभाव, समूह सदस्यों को पर्याप्त प्रशिक्षण का अभाव आदि का सामना कर रहे हैं। इन चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने, समूह

को स्थायित्व प्रदान करने तथा इनके माध्यम से विकास की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए स्व सहायता समूहों के संघों (federation) तथा समूहों का अन्य संगठनों के साथ सम्बद्धता या नेटवर्किंग के विकास की अवधारणा विकसित हुई है। स्व-सहायता समूहों का संघ छोटे समूहों का एक संगठन है, जो उन आवश्यकताओं को पूरा करता है जो एक समूह द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। संघ एक मंच है, जहाँ अनेक समूहों के प्रतिनिधि एक निर्धारित समय पर बैठक करके अपने सार्वलौकिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संघ स्व-सहायता समूहों के स्तर से ऊपर के स्तर के होते हैं; जिनका लक्ष्य सदस्य समूहों की क्षमता का विकास कर उनकी आत्मनिर्भरता और निरंतरता को बढ़ाना है। ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास पर स्व सहायता समूह के संघों के प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

- (१) ग्रामीण महिलाओं के स्व सहायता समूहों के संघों की स्थिति ज्ञात करना।
- (२) स्व-सहायता समूहों के संघों की सहायता से आर्थिक सक्षमता प्राप्त ग्रामीण महिलाओं की वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को ज्ञात करना।

शोध परिकल्पना

- (१) स्व-सहायता समूहों के संघों के कारण ग्रामीण महिलाएं आर्थिक सशक्तता प्राप्त कर सामाजिक गतिविधियों में अधिक सहभागिता कर रही हैं।
- (२) स्व-सहायता समूहों के संघों के प्रभाव से ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता एवं राजनीतिक महत्वकाक्षाओं में वृद्धि हुई है।

शोध प्रविधि

- ❖ शोध कार्य हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के धमतरी विकासखंड का चयन किया गया है।
- ❖ उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्य पूर्ण निदर्शन (Purposive sampling) द्वारा किया गया है।
- ❖ साक्षात्कार अनुसूची हेतु चयनित ०५ गांवों के ३० स्वसहायता समूहों की कुल ३० अध्यक्षाओं का चयन उत्तरदाताओं के रूप में किया गया है।
- ❖ साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोत रहे हैं।
- ❖ द्वितीय समकों का संकलन विषय से संबंधित पूर्व में प्रकाशित प्रोजेक्ट रिपोर्टों, पत्र पत्रिकाओं तथा अखबारों में प्रकाशित खबरों आदि के माध्यम से किया गया है।


स्व-सहायता समूहों के संघों की स्थिति

- ❖ स्व-सहायता समूहों के संघों के गठन के लिए आवश्यक है कि वे दूसरे गांवों के अन्य समूहों के साथ नेटवर्क का विकास करें, लेकिन अध्ययनरत समूहों में संपर्क और भावी योजनाओं के विषय में समन्वय का अभाव पाया गया है।
- ❖ ३० प्रतिशत उत्तरदाताओं को विकासखंड में संघ के गठन व उनके समूहों की संघ में भागीदारी की स्थिति के विषय में विशेष जानकारी नहीं है।
- ❖ अधिकांश उत्तरदाताओं को स्व-सहायता समूहों के संघ की अवधारणा के विषय में जानकारी है तथा उत्तरदाता संघ के विषय में सही अनुमान लगाती हैं, जिसे इस तालिका द्वारा दर्शाया गया है—

स्व सहायता समूहों के संघ की जानकारी

क्रमांक	स्व सहायता समूहों के संघ की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
१.	हैं	२८.५	६५
२.	नहीं	१.५	५
	योग	३०	१००

इसे ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है।



सामाजिक विकास

- ❖ ७० प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार स्व-सहायता समूह के संघ से जुड़कर चिकित्सा, शिक्षा जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति हुई है।
- ❖ आर्थिक रूप से सशक्त होने के कारण पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता बढ़ी है।
- ❖ ५५ प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार कृषि/व्यवसाय हेतु ऋण सरलतापूर्वक प्राप्त हुआ है।
- ❖ बाल विवाह, बाल श्रम और दहेज जैसी कुप्रथाओं का विरोध करने के लिए समूहों के संघ के माध्यम से वे प्रयत्नशील हैं।
- ❖ गांव की सफाई, पीने के पानी की व्यवस्था, नशाबंदी, घरेलू हिंसा आदि विभिन्न समस्याओं को रोकने में समूहों के संघ योगदान करते हैं, ऐसा २५ प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है।
- ❖ स्व-सहायता समूह के संघों ने जाति बंधन को शिथिल करने व अस्पृश्यता को कम करने में योगदान दिया है क्योंकि संघ में सभी जातियों के सदस्य होते हैं।

राजनीतिक विकास

- ❖ स्व-सहायता समूह के संघों के कारण महिलाओं ने स्थानीय चुनावों में भागीदारी की है और राजनीतिक पदों जैसे पंच, सरपंच आदि पर चयनित होने के बाद उन्होंने ग्रामीण विकास की

गतिविधियों में भाग लिया है।

- ❖ स्व-सहायता समूह के संघ सदस्यों के प्रत्याशी के रूप में चुनावों में खड़े होने पर प्रचार हेतु वित्तीय सहायता, प्रचारक व प्रेरक के रूप में सामने आ रही है।
- ❖ ६० प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्थानीय चुनावों में किसी प्रत्याशी के रूप में सहभागिता नहीं की है, लेकिन चुनावों में प्रचारक व मतदाता के रूप में भाग लिया है।
- ❖ चयनित उत्तरदाता में से ३८ प्रतिशत स्थानीय राजनीति में सहभागिता करती हैं तथा परिवारिक सदस्यों के सक्रिय राजनीति से जुड़े होने के कारण राजनीतिक गतिविधियों में वे रुचि लेती हैं।

निष्कर्ष

आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि ग्रामीण महिलाओं का स्व-सहायता समूहों के संघों के माध्यम से विकास हुआ है, और वे संघ की अवधारणा से अवगत हैं। लेकिन समूहों के बीच संपर्क और समन्वय की कमी पायी गयी है। स्व-सहायता समूहों के संघ द्वारा उनका सामाजिक आर्थिक विकास भी हो रहा है यद्यपि वे प्रत्याशी के रूप में राजनीति में भाग नहीं लेती, किन्तु स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता, में वृद्धि हुई है।

संदर्भ

१. मिश्रा, इंदिरा ; गरीब महिलाएँ उधार एवं रोजगार, किताब घर , नईदिल्ली २००२.
२. मायराड़ा अनुभव ; (२००१)
३. मिश्र, डॉ. अनिल कुमार; महिला सशक्तिकरण : दशा और दिशाएँ, नई सहस्राब्दी का महिला सशक्तिकरण : अवधारणा चिंतन एवं सरोकार भाग ३ : ओमेगा पब्लिकेशन, दरियागंज , नईदिल्ली २०१०.
४. ओमप्रकाश स्व-सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस, निर्धनतम तक पहुँच एवं प्रभाव, रीग पब्लिकेशन , २०१०.
५. शर्मा, प्रेम नारायण; एवं विनायक, वाणी; गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण, भारत बुक सेन्टर, २००८
६. Usha, P; Empowerment of women and self help groups, Sonali Publication. Ne Delhi, 2006.
७. यादव, सुबह सिंह; ग्रामीण बैंकिंग एवं विकास, सबलाइम पब्लिकेशन, जयपुर २००४
८. यादव, उत्तरा; ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर ,साहित्य संगम पब्लिकेशन, इलाहाबाद २००४

ISSN : 2275-3664

Year : 2018

UGC : 41386

Year : JUNE

RNI : U.P.BIL/2012/43696

Vol. : 2

शोध - धारा

SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

Grade 'A' Impact Factor 5



शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित
Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका

डॉ० (श्रीमती) सुजाता सैमुअल

राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ० सपना कौर

समाजशास्त्र विभाग, शासकीय महाविद्यालय, अमरीकला, बालोद, छत्तीसगढ़

(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

किसी भी राष्ट्र की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का होता है। शारीरिक शक्ति की दृष्टि से वे पुरुषों से न्यून होती हैं, किंतु शिशुओं का जन्म और प्रारंभिक वर्षों में उनका लालन-पालन नारियों का विशेष दायित्व होता है, ये शिशु आगे चलकर राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। स्पष्ट है कि नारियों की स्थिति किसी भी राष्ट्र के विकास और उसके भविष्य का अनुमान करने हेतु आधारभूत विश्वसनीय मापदंड है। यदि महिलाओं की स्थिति किसी राष्ट्र में संतोषजनक है, वे सुशिक्षित हैं, और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, तो उस देश की आधी आबादी विकसित है और यही शिक्षा और संस्कार वे अपने शिशुओं को हस्तांतरित करेगी। स्पष्टतः उस राष्ट्र का विकास सानुपातिक है और उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष का विकास भी इस मापदंड की उपेक्षा नहीं कर सकता। जब हम प्राचीन काल से राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य अवधारणा के उद्भव के पूर्व भारतवर्ष के विकास में नारियों की भूमिका उल्लेखनीय थी। प्राचीन और वर्तमानकाल में विश्व के अन्य राष्ट्रों के मध्य भारत का जो सम्मानपूर्ण स्थान है, उसके लिए वह अपनी सुयोग्य महिला नागरिकों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है।

Figure : 00

References : 04

Table : 00

Key Words : राष्ट्र विकास में नारी, भूमण्डलीकरण और नारीशक्ति अर्थव्यवस्था और नारी शक्ति

प्रसिद्ध यूनानी चिंतक प्लेटो ने कहा था—“राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते वरन् उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का प्रमाण होते हैं जो उनमें निवास करते हैं।”¹ कोई भी राष्ट्र उतना ही विकसित और समर्थ होता है, जितना उसमें निवास करने वाले आम नागरिक होते हैं।

किसी भी राष्ट्र की आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाओं का होता है। शारीरिक शक्ति की दृष्टि से वे पुरुषों से न्यून होती हैं, किंतु शिशुओं का जन्म और प्रारंभिक वर्षों में उनका लालन-पालन नारियों का विशेष दायित्व होता है, ये शिशु आगे चलकर राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। स्पष्ट है कि नारियों की स्थिति किसी भी राष्ट्र के विकास और उसके भविष्य का अनुमान करने हेतु आधारभूत विश्वसनीय मापदंड है, यदि महिलाओं की स्थिति किसी राष्ट्र में संतोषजनक है, वे सुशिक्षित हैं, और अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, तो उस देश की आधी आबादी विकसित है और यही शिक्षा और संस्कार वे अपने शिशुओं को हस्तांतरित करेगी। स्पष्टतः उस राष्ट्र का विकास सानुपातिक है और उसका भविष्य भी उज्ज्वल है। एक राष्ट्र के रूप में भारतवर्ष का विकास भी इस मापदंड की उपेक्षा नहीं

शोध धारा 213

कर सकता।

जब हम प्राचीन काल से राष्ट्र के विकास में नारी की भूमिका का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य अवधारणा के उद्भव के पूर्व भारतवर्ष के विकास में नारियों की भूमिका उल्लेखनीय थी। प्राचीन और वर्तमानकाल में विश्व के अन्य राष्ट्रों के मध्य भारत का जो सम्मानपूर्ण स्थान है, उसके लिए वह अपनी सुयोग्य महिला नागरिकों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता है।

राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका को निम्न बिंदुओं में सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।

- (i) प्राचीन काल में राष्ट्र निर्माण में नारियों का योगदान - प्राचीन भारतीय इतिहास इस तथ्य के स्पष्ट साक्ष्य देता है कि राष्ट्र निर्माण में नारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैदिक सभ्यता के निर्माण में हम गार्गी, कपिला, असंघति और मैत्रेयी जैसी महिलाओं के योगदान को उपेक्षित नहीं कर सकते। वास्तव में जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में "माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः" (भूमि मेरी माता और हम इस धरा के पुत्र हैं)² का उल्लेख किया तो प्रकारांतर में वे महिलाओं की मातृ भूमिका का ही वंदन कर रहे थे। प्रसिद्ध फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट ने महिलाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा था। 'तुम मुझे कुछ योग्य माताएं दो मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा।' वास्तव में किसी भी शिशु के व्यक्तित्व में स्वाभिमान, राष्ट्रप्रेम और परोपकार जैसी भावनाओं का समावेश करना माताओं का ही कार्य होता है।
- (ii) अर्थव्यवस्था के नियामक के रूप में - अर्थव्यवस्था के नियामक रूप में नारियों का योगदान दो स्तरों पर होता है

(अ) परिवार की सीमाओं में - परिवार की मुख्य धुरी महिलाएं ही होती हैं। मनुष्य जब अर्द्ध-अवस्था में था और शिकार तथा वनोपज संकलनों पर आश्रित था, पुरुष शिकार आदि का दायित्व संभालते थे, और महिलाओं का दायित्व होता था कि शिशुओं, बालकों और वृद्धजनों की देखरेख करें और उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार आवंटन करें कि न सिर्फ सभी सदस्यों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो वरन् प्राकृतिक परिस्थितियां प्रतिकूल होने की स्थिति में भविष्य हेतु कुछ बच भी सकें।

(ब) अर्थव्यवस्था में सहयोगी भूमिका - नारियों की कर्तव्यशीलता मात्र घर की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं रही थी, अर्थोपार्जन के कामों में भी उन्होंने सक्रिय सहयोग किया था और कर रही हैं, खेती बाड़ी के कार्य में आज भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी होती है। यह अलग तथ्य है कि पारिवारिक संपत्ति होने के कारण उन्हें नगद भुगतान पाने में कठिनाई होती है और अर्थव्यवस्था में परिवार के मुखिया जो ज्यादातर पुरुष होते हैं, की तुलना में उनका योगदान कमतर दिखाई देता है। वर्तमान युग में तो महिलाएं सीधे तौर पर घर से बाहर अपनी योग्यताओं के आधार पर आर्थिक उपार्जन में संलग्न हैं और अधिकतर अवसरों पर अपनी कार्यकुशलता की छाप छोड़ती हैं।

अपने अन्य आर्थिक दायित्वों की पूर्ति के साथ महिलाएं परिवार हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देती हैं। वर्ष १९३०, २००८ तथा २०१४ की आर्थिक मंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रमाणित नहीं हुई क्योंकि भारतीय महिलाएं बचत की प्रवृत्ति रखती हैं आज भारत में लगभग ६५ प्रतिशत महिलाएं कृषि और पशुपालन जैसे आधारभूत उद्योगों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रही हैं।

(iii) परंपराओं की वाहक - पीढ़ी-दर-पीढ़ी किसी देश की संस्कृति और परंपराओं को वर्तमान की पीढ़ी से भविष्य के नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य महिलाएं ही करती रही हैं। विश्व की जो सभ्यताएं प्राचीन और जीवित हैं, उन सभी सभ्यताओं में नारियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है।

(iv) सामाजिक-धार्मिक-शैक्षणिक क्षेत्र में योगदान -स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जो एक आधारभूत आवश्यकता है, आज भी हमें अधिकतर महिलाएं ही प्राथमिक शिक्षक के रूप में मिलती हैं, क्योंकि उनमें धैर्य और विनम्रता के गुण होते हैं और छोटे बालकों को प्रशिक्षित करने हेतु इन गुणों की महती आवश्यकता होती है। अर्थात् कोई भी बालक अपनी प्रारंभिक अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों तरह की शिक्षाएं अधिकतर नारियों से ही प्राप्त करता है। यह कथन सर्वथा सत्य है कि 'सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला' है।^१

(v) वैज्ञानिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान - जब हम राजनैतिक, प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान की चर्चा करते हैं तो हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती थेरेसा, श्रीमती एंजेला माकैल, मैडम क्यूरी, जैसी महिलाओं को पाते हैं जिन्होंने समूचे विश्व को अपनी बौद्धिक और नेतृत्व क्षमता से प्रभावित किया है। वर्तमान भारत में भी रक्षा के क्षेत्र का दायित्व श्रीमती निर्मला सीतारमण के हाथों में ही है। प्रशासनिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी राष्ट्र विकास के क्षेत्र में नारियों का योगदान अतुलनीय है।

वारत्तव में 'आधी आबादी' को पुरुषों की तुलना में कम अवसर और संसाधन उपलब्ध है फिर भी उन्होंने राष्ट्र विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, उन अनगिनत महिलाओं का कहीं कोई उल्लेख या यशोगान सुनाई नहीं देता जो निरंतर अपने परिवार समाज और अंततः राष्ट्र के विकास में अपना जीवन समर्पित करती हैं, उनके बारे में महाकवि जयशंकर प्रसाद का यह कथन उचित है कि:-

आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा।
तुमको अपनी स्मिति रेखा से यह संधिपत्र लिखना होगा।^४

संदर्भ

- १ जैन, पुखराज; प्लेटो-द. रिपब्लिक -राजनीति विज्ञान, पब्लिकेशन, पृ० ५
- २ झा, गुंजेश गौतम; राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान-विविधा अप्रैल २०१४
- ३ कुमार, डॉ. प्रदीप; राष्ट्र निर्माण और विकास में महिलाओं की भूमिका-साहित्य पीड़िया पब्लिशिंग-२०१७, पृ. १
- ४ प्रसाद, जयशंकर; कामायनी-लज्जा सर्ग- ०१६

राष्ट्र की अवधारणा और भारतीय चिंतन

श्रीमती कांति अंचल

सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मरतुरी, विलासपुर, छत्तीसगढ़
(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अर्थात् राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जो किसी भी देश के नागरिकों की एकता व अखण्डता को बढ़ावा देती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं सम्पन्नता के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और भाषायी विविधता से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है और इसमें राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र चिंतन पर विचार करते हुए भारतीय राजनीति की एक मौलिक भूल के बारे में लिखा है कि भारतीय राजनीतिज्ञों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे भारत के भिन्न-भिन्न वर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। उनके इस अस्तित्व को स्वीकार करके फिर वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि यह अस्तित्व किस प्रकार राष्ट्र के हितार्थ काम में आये।-आज तक उनका सम्पूर्ण प्रयत्न इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्वतंत्र मानी हुई इकाईयों के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करने का ही रहा है। किसी भी वर्ग के अस्तित्व को, जो कि वास्तविक नहीं है; संकट न पहुंचाते हुए बल्कि उनका संवर्द्धन करते हुए, आज तक के राजनैतिक प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया गया है और उसका परिणाम सदा ही असफलता के रूप में आया है।

Figure : 00

References : 04

Table : 00

Key Words : राष्ट्रवाद और भारतीय दर्शन, दीनदयालजी का राष्ट्र चिंतन

राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, जिसमें राष्ट्र सर्वोपरि होता है। अर्थात् राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसी विचारधारा है, जो किसी भी देश के नागरिकों की एकता व अखण्डता को बढ़ावा देती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं सम्पन्नता के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और भाषायी विविधता से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है और इसमें राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने राष्ट्र चिंतन पर विचार करते हुए भारतीय राजनीति की एक मौलिक भूल के बारे में लिखा है कि भारतीय राजनीतिज्ञों की सबसे बड़ी भूल यह है कि वे भारत के भिन्न-भिन्न वर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं। उनके इस अस्तित्व को स्वीकार करके फिर वे इस बात का प्रयत्न करते हैं कि यह अस्तित्व किस प्रकार राष्ट्र के हितार्थ काम में आये। आज तक उनका सम्पूर्ण प्रयत्न इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्वतंत्र मानी हुई इकाईयों के बीच एकता और सामंजस्य स्थापित करने का ही रहा है। किसी भी वर्ग के अस्तित्व को, जो कि वास्तविक नहीं है; संकट न पहुंचाते हुए बल्कि उनका संवर्द्धन करते हुए, आज तक के राजनैतिक प्रश्न हल करने का प्रयत्न किया गया है और उसका परिणाम सदा ही असफलता के रूप में आया है।

उन्होंने आगे कहा कि अंग्रेजों के शासन में हमने यह स्वीकार किया कि देश में मुसलमान, इसा: आदि अनेक वर्ग हैं तथा उनके स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा करते हुए ही राष्ट्रीयता का निर्माण हो सकेगा

शोध धारा 3

वास्तव में राष्ट्रीयता के स्तर पर उनका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार करना एक बड़ी भारी भूल है, क्योंकि मुसलमान, ईसाई आदि का वर्गीकरण मजहब के आधार पर करना राष्ट्रीयता से भिन्न बात है। एक मजहब के मानने वाले अनेक राष्ट्रों के अंग हो सकते हैं और एक ही राष्ट्र में अनेक मजहब के मानने वालों का समावेश हो सकता है। राष्ट्रीयता यदि कोई शक्तिशाली प्रेरणा है तो उसके चेतना-क्षेत्र में मजहब का प्रवेश नहीं होता, किन्तु आज तक हमारा प्रयत्न यही रहा है कि इन वर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व मानकर उनका एकीकरण करें, ऐसा एकीकरण जिसमें किसी को कुछ भी न छोड़ना पड़े। आश्चर्य की बात यह है कि यह जो सबको मिला कर एक बनाने वाले तत्व हैं, उनकी भी स्पष्ट कल्पना किसी को नहीं है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने अनेक बार कहा था कि स्वतंत्र भारत का राज्य न हिन्दू का होगा, न मुसलमानों का होगा और न ईसाई का। सवाल उठता है कि फिर किसका होगा? इसका उत्तर बहुत लोगों ने यह कहकर देने का प्रयत्न किया है कि वह 'हिन्दुस्तानियों का होगा। किन्तु फिर झगडा आता है कि यह हिन्दुस्तानी कौन है? इसमें किसका कितना समावेश होगा? और किस आधार पर होगा? क्या संख्या बल के आधार पर या और किसी आधार पर? अभी तक हमने संख्या बल का आधार माना है तथा जिस-जिस चीज को ये वर्ग अपना कह कर खड़े हुये हैं, उनको मिलाने का प्रयत्न किया है। अंग्रेजों से होने वाले सभी समझौतों तथा उस काल के सभी आंदोलनों में वही प्रश्न प्रमुख रहा है तथा उसका परिणाम "पाकिस्तान हुआ, यह मानने में किसी समझदार व्यक्ति को आपत्ति नहीं होगी।

इस प्रकार वर्गीकरण केवल साम्प्रदायिक आधार पर ही नहीं, भाषा और आर्थिक आधारों पर भी किया जाता है। आज हमारे सभी नेता यह मानकर चलते हैं कि प्रत्येक भाषा-भाषी वर्ग का एक स्वतंत्र अस्तित्व है तथा ऐसे अनेक स्वतंत्र वर्गों को मिलाकर समूचे भारत की रचना करनी चाहिए। आर्थिक आधार पर भी स्वतंत्र वर्गों की कल्पना की जाती है। एक जमींदार तो दूसरा कृषक, एक पूंजीपति तो दूसरा मजदूर, एक शोषक तो दूसरा शोषित। इस प्रकार का वर्गीकरण करके एक को दबाकर दूसरे का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न होता है या अधिक से अधिक दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है।

उपर्युक्त सभी एवं ऐसे अनेक वर्ग जिनको राजनीतिज्ञ, कठोर सत्य मानकर चलते हैं, वास्तव में मिथ्या है तथा जब तक हम उनका अस्तित्व मानकर, उनको संतुष्ट करने की नीति अपनाकर, उनके झंकार और स्वार्थ की वृद्धि करते रहेंगे तब तक राजनीति विपरीत दिशा में ही बहती रहेगी। सत्य तो यह है कि सम्पूर्ण भारत एक है तथा भारत की संपूर्ण संतान एक है और उसको इस एकता का अनुभव करते हुए रहना चाहिए। अनेक अंगों को एकत्रित करके शरीर की सृष्टि नहीं होती। किन्तु शरीर के अनेक अंग होते हैं और इस लिये प्रत्येक अवयव अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिये नहीं अपितु शरीर के अस्तित्व के लिये प्रयत्न करता है। इसी प्रकार के राष्ट्र के सभी अंगों की अपनी रूपरेखा, राष्ट्रीय स्वरूप और हितों को अनुकूल बनाना चाहिये न कि राष्ट्र को ही इन अंगों के अनुसार काटा-छाँटा जाये। सम्प्रदायों, प्रातों, भाषाओं और वर्गों का तभी तक मूल्य है जब तक वे राष्ट्रहित के अनुकूल हैं अन्यथा उनका बलिदान करके राष्ट्र की एकता की रक्षा करनी होगी।

पं. दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि जैसे नदी के जल में तरंगों के अनेक रूप होते हैं; किन्तु उनका अस्तित्व नदी के जल से भिन्न और स्वतंत्र नहीं होता और न ही नदी उनके समुदाय का नाम

है। वे पहली दृष्टिकोण से समस्त समस्याओं को देखते हैं जब तक राजनीति की इस मौलिक भूल का परिमार्जन नहीं होगा। तब तक राजनैतिक भारत का निर्माण सुदृढ़ नीव पर नहीं हो सकता।

महात्मा गांधी के निधन के बाद भारतीय राजनीति में जिस तरह उनके विचारों को हाशिए लगाया गया तब दीनदयाल जी उन्हें एक नए संदर्भ में सामने लाये। वे मनुष्य की मुक्ति के विचार के प्रस्तुतकर्ता थे, इसलिए वे व्यक्ति की आत्मा तक का विचार करते हैं। यह सौभाग्य है कि हम सब इस महान भारत राष्ट्र के उत्तराधिकारी हैं। हमें इस का भी गर्व है कि हम दीनदयाल जी के राजनैतिक दर्शन के अनुगामी हैं, तथा इस दर्शन को लोक स्वीकृति मिल रही है। सदियों से पड़ी धूल झाड़कर एक नया भारत खड़ा हो रहा है। भारत के भविष्य का विचार करती हुई एक नई राजनैतिक पीढ़ी तैयार हो रही है, जिसके प्रेरणा स्रोत दीनदयाल उपाध्याय जैसे मनीषी हैं।

संदर्भ

1. फड़िया, डॉ. वी.एल., आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा २०१२
2. अवरथी, डॉ. अमरेश्वर, एवं अवरथी, डॉ. रामकुमार; आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन, रिसर्व पब्लिकेशन्स नई दिल्ली १९९७
3. शर्मा, डॉ. वीरेन्द्र; आधुनिक भारतीय राजनैतिक विचारधाराएं, श्री पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली १९९४
4. द्विवेदी, संजय; डॉ. श्री कांत, मीडिया विमर्श वार्षिकांक अक्टूबर से दिसम्बर २०१४

ISSN : 0975-3664
RNI : U.P.BIL/2012/43696
UGC No. : 41386



शोध - धारा SHODH DHARA

A peer reviewed Quarterly Research Journal of Humanities & Social Sciences
with Grade 'A' & Impact Factor 5-10)

Year : 2018

Month : JUNE

Vol. 2

Chief Editor

Dr. (Smt.) Neelam Mukesh

Editor

Dr. Rajesh Chandra Pandey

49

विलासपुर संगोष्ठी विशेषांक

Guest Editor

Dr. (Smt.) Rajesh Chaturvedi

Guest Co-Editor

Dr. Kiran Thakur

Published by : Shakshik Avam Anusandhan Sansthan, Orai (Jalaun) U.P.

शोध - धारा

SHODH-DHARA

Year 2018

JUN

Vol. 2

अनुक्रम Contents

	लेखक	
सांस्कृतिक विस्तार	साधु राम महेंद्र	1-6
	डॉ० सुधीर सिंह गौर	
	डॉ० वी.पी. देवांगन	
संस्कृत संस्कृति की भूमिका: एक	डॉ० (श्रीमती) अंजू शुक्ला	7-11
	डॉ० स्वाती शर्मा	
संस्कृत संस्कृति में वेश्ठीकरण	डॉ० श्रीमती नंदिनी तिवारी	12-13
	डॉ० संजय कुमार तिवारी	
संस्कृत संस्कृति और संस्कृति का चिंतन	डॉ० सुनीता राठौर	19-23
संस्कृत संस्कृति में राष्ट्रवादी विचारधाराएँ	डॉ० महेश कुमार शुक्ल	24-28
संस्कृत संस्कृति में प्रतिबिम्बित राष्ट्र-भारत	डॉ० राजीव शर्मा	29-31
	डॉ० अजय कुमार सिंह	
संस्कृत संस्कृति और भारतीय चिंतन	श्रीमती कान्ति अंचल	32-34
संस्कृत संस्कृति और भारत में प्रगतिशील सांस्कृतिक आंदोलन	डॉ० दिनेश कुमार पाण्डेय	35-43
	श्रीमती श्वेता पंड्या	
संस्कृत संस्कृति और प्रकृति	डॉ० फुलसो राजेश पटेल	41-43
संस्कृत संस्कृति में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० रेखा दुवे	44-45
संस्कृत संस्कृति में राष्ट्र निर्माण पर विवेकानन्द के कालजयी	डॉ० आलोक वर्मा	46-48
संस्कृत संस्कृति	डॉ० मजू पाण्डेय	
संस्कृत संस्कृति और राष्ट्र विकास	डॉ० तारणीश गौतम	49-53
संस्कृत संस्कृति में धर्म और संस्कृति का चिंतन	डॉ० ए.एल. धुवशी	54-58
	डॉ० सुरेश मणि त्रिपाठी	
संस्कृत संस्कृति और गांधी चिंतन	डॉ० एम.पी. रोहणी	59-61
संस्कृत संस्कृति में औद्योगिकी नीति का योगदान	डॉ० (श्रीमती) संजू पाण्डेय	62-66
	डॉ० प्रवीण कुमार पाण्डेय	
संस्कृत संस्कृति में आर्थिक आयाम	डॉ० एस.पी. भारद्वाज	67-69
	डॉ० जी.सी. भारद्वाज	
संस्कृत संस्कृति और आर्थिक विकास	डॉ० डी.के. सिंह	70-73
संस्कृत संस्कृति का लक्ष्य और भारत	डॉ० हेमचन्द्र पाण्डेय	74-77

शोध धारा V

पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास

डॉ. डी.के. सिंह

सं.प्रा०, वाणिज्य, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर, छत्तीसगढ़
(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

प्रकृति और मानवता का संबंध आदि काल से चला आ रहा है। मानव जाति उस जटिल और समन्वित पारिस्थितिकीय श्रृंखला का एक अंग है; जो अपने में वायु, जल और विविध रूपों में वनस्पति व पशु जैविक को समेटे हुए है। जब मानव का विकासात्मक क्रियाओं के परिणामस्वरूप प्रकृति की स्वच्छता तथा संतुलन भंग हो जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण प्रदूषण का जन्म होता है। आज सारा विश्व पर्यावरण प्रदूषण से आक्रान्त है। ज्यों-ज्यों आर्थिक प्रगति और विकास होता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित होता रहा है। इस प्रदूषण के भविष्य में कितने भयंकर परिणाम होंगे इसका अनुमान अभी तो लगाना संभव नहीं लेकिन यह अवश्य है कि वे परिणाम जन-जीवन के लिए अवश्य ही खतरनाक होंगे।

Figure : 00

References : 11

Table : 00

Key Words : पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास एवं पर्यावरण

पिछले वर्षों में प्राकृतिक संपदा के विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न पर्यावरणीय विकृतियों की विश्व समाज का ध्यान आकर्षित हुआ है, परन्तु अभी भी आर्थिक विकास प्रक्रिया और पारिस्थितिकीय असंतुलन के संबंधों की पृष्ठभूमि में आर्थिक विकास प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की ओर सन् ध्यान नहीं दिया गया है। परिणामस्वरूप हमारे पर्यावरण सुधार के प्रयत्न फलदायी नहीं हो पा रहे हैं। राष्ट्र का विकास उसके औद्योगिकीकरण पर निर्भर करता है, जो मानव जाति के उच्च एवं महत्वाच्च जीवन-यापन के लिये अत्यंत आवश्यक है, परन्तु तीव्र औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप से प्रदूषण उत्पन्न खतरों के कारण समस्त जाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है।

पर्यावरण असंतुलन : - जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो हमारा आशय प्राकृतिक संपदा से है। अतीत में हमारी व्यवस्था ऐसी थी कि समाज प्राकृतिक संपदा को अक्षुण्ण बनाए रखता था। विकास एवं पर्यावरण संतुलन के मध्य किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं था। परन्तु आधुनिक विज्ञान जहाँ एक ओर पर्यावरण में प्रदूषण तथा पारिस्थितिकीय असंतुलन की समस्या उत्पन्न कर रहा है, वहीं दूसरी ओर निर्धन और गरीब व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ा रहा है। बढ़ती आबादी के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक संपदा का न केवल संरक्षण आवश्यक है, बल्कि उसकी समृद्धि भी की जानी चाहिए, परन्तु हमारी अर्थ-व्यवस्था तो प्राकृतिक संपदा के वर्तमान भंडार को ही कम कर रही है। आधुनिक और प्रगति-कही जाने वाली हमारी जीवन शैली में पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संतुलन को भंग कर दिया है। इसने अमृततुल्य जल और हवा को प्रदूषित कर दिया है। हमारी मृदा, जलस्रोत, वायुमण्डल, वन आदि नैसर्गिक संपदा का निरंतर प्रदूषित होना हमें आर्थिक विकास के पर्यावरणीय प्रभावों की ओर ध्यान देने को मजबूर कर रहा है। पाश्चात्य प्रेरित आर्थिक विकास मॉडल ऊर्जा और सघन तकनीक-आधारित रही है, आज के विश्व में विकसित राष्ट्रों में निवास करने वाली २० प्रतिशत आबादी उपन

शोध धारा

की अंधी दौड़ में विश्व के संसाधनों के ८० प्रतिशत भाग का उपयोग कर रही है, यातायात और प्रचार प्रसार से विकासशील राष्ट्रों के धनी वर्ग ने भी विकसित राष्ट्रों की इसी जीवन शैली को अपनाने का प्रयत्न किया है। परिणामस्वरूप विश्व के प्राकृतिक संसाधनों के विनाश की गति और तेज हो गई है, और अब विश्व इसके बढ़ते कुप्रभावों पर ध्यान देने को मजबूर हो रहा है।

परिदूषण और जनसंख्या :- १९६४ में काहिरा में जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें परिदूषण की समस्या को एक नया आयाम मिला। इसमें यह बात उभर कर आयी कि आर्थिक विकास जनसंख्या का एक दूसरे से अग्नि संबंध है। इनमें से किसी भी एक मुद्दे को अलग रख कर विचार नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह बात बिलकुल सही है। यदि हम अपने देश की स्थिति को लें तो यह नजर आता है कि शहरों में बढ़ती हुई आबादी के फलस्वरूप तंग बस्तियों का जाल बिछता जा रहा है जहाँ लोगों को न तो स्वच्छ वायु उपलब्ध है और न ही स्वच्छता कायम रखी जा सकती है। जल सफाई और मल व्ययन की व्यवस्था नगर पालिकाओं के बस के बाहर की बात होती जा रही है। पर्यावरण को नुकसान कराना ही अपने आप में समस्या है। इसके अलावा अधिक लोगों का पेट पालने के लिये अनाज का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, जिसके लिये वनों की सफाई करके कृषि भूमि विकसित की जाती है। प्रदूषकता बढ़ाने के लिये रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं के इस्तेमाल से भी पर्यावरण को नुकसान पैदा हो रहा है, ज्यादा लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिये ज्यादा बस्तियों का निर्माण करना पड़ता है, जिसके लिये नित नये उद्योग लगाने से वायु और जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है, आर्थिक उन्नति के उद्देश्य बिना पर्यावरण विनाश के विकास की धारणा होनी चाहिए, जिससे विकास की गति भी न रुके और प्राकृतिक संतुलन को भी बनाये रखा जा सके और यह तभी संभव है जब बढ़ती जनसंख्या को रोक लगाई जाये ताकि वर्तमान और भविष्य में आने वाली मानव पीढ़ियों को स्वस्थ पर्यावरण में जीवन जीने का अवसर मिल सके।

कूड़ा हुआ अपशिष्ट :- औद्योगीकरण के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लोगों की धारणा है कि आसमान से कूड़ा समुद्र ऐसे स्थान हैं, जिनमें पृथ्वी का सारा कूड़ा-करकट किसी भी रूप में उड़ेल दें, वे उसे अपने समुद्र में समा लेंगे। हमारे देश में हर व्यक्ति प्रतिदिन ०-५० किलोग्राम कचरा उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर हमारे देश का वार्षिक औसत ५ करोड़ टन कचरा है। इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिये प्रत्येक वर्ष कई करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। महानगरों की सबसे बड़ी त्रासदी सफाई की रही है। यही कारण है कि विश्व का एक शहर न्यूयार्क हर वर्ष इतने टन कूड़ा करकट निकालता है, जिससे शहर को दस बार कूड़ा निकाला जा सकता है। समुद्र तट पर बसे नगरों का कचरा समुद्र में फेंक दिया जाता है, औद्योगिक कल-कारखानों में रसायनों का उपयोग अवश्य होता है, तमाम रासायनिक कारखानों की जहरीली गंदगी को ठिकाने लगाने की समस्या भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गांधी प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित हमारा पर्यावरण में कहा गया है कि भूमि में दबाये गये विषाक्त कचरे में से हजारों टन कचरा ऐसा है जो भारी जहरीले पदार्थों से युक्त है। दूबे होने के कारण उसका जहर जमीन और भूमिगत पानी के भण्डार पर असर डाल सकता है। बड़े-बड़े शहरों में चल रहे छपाई, रंगाई, सीमेन्ट, कागज, प्लेस्टीसाईड्स आदि के कारखाने भारी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं। औद्योगिक प्रदूषण से दमा, गुर्दा की बीमारी, अस्थि, पीलिया व जन्मजात अपंगता आदि रोग उत्पन्न होते हैं। लिण्डेन, बैन्जीन, क्लोरोडोन, डी.डी.टी.

ल्डीन, आदि कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से रक्त कैंसर व जिगर की बीमारियां फैल रही हैं। औद्योगिक प्रदूषण के परिणामस्वरूप वायुमण्डल के तापमान में वृद्धि हो रही है। औद्योगिक प्रदूषण के कारण अपशिष्ट के रूप में नि-कार्बन डाईआक्साइड, क्लोरो-फ्लोरो कार्बन, नाइट्रिक आक्साइड, क्लोरो आक्साइड, मिथेन आदि पृथ्वी के चारों को आच्छादित होकर घेरा बना लेती हैं, जिससे सौर विकिरण पृथ्वी पर आते-जाते लेकिन पृथ्वी से वापस होते ही विकिरणों को ये गैसों अंतरिक्ष पर जाने पर अवरोध का काम करती हैं। फलस्वरूप वायुमण्डल का तापमान बढ़ता है। इसी प्रक्रिया को ग्रीनहाउस प्रभाव कहा जाता है।

औद्योगिक क्रांति की बात से हमारे प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला और तेल का दोहन की सीमा तक पहुंच गया है। दोनों ही समाप्ति के कगार पर हैं। तेल कुछ पहले, कोयला बाद। औद्योगिक क्रांति ने उन प्रदूषकों को जन्म दिया है, जिसके कारण वन संकट बढ़ा है। सामान्य पौधों की वृद्धि में रुकावट आ गई है, हमारे कारखाने प्रचुर मात्रा में ऐसा कचरा नदी और झीलों में डाल रहे हैं जिसमें घुलनशील, नाइट्रोजन और फास्फेट है। इसमें पानी में शैवाल और उसी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की प्रचुरता हो जाती है, जो अन्य प्राणियों के लिये घातक सिद्ध होती है। औद्योगिक कल कारखानों अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए हानि रहित वैज्ञानिक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग किया जाना चाहिए। मानव जीवन को सुखी बनाने व भावी पीढ़ी के कल्याण के लिये औद्योगिक प्रदूषण पर कारगर नियंत्रण आवश्यक है।

पर्यावरण संरक्षण जरूरी :- विकासशील और गरीब राष्ट्रों के आर्थिक जीवन में प्राकृतिक संपदा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अतः आर्थिक विकास की कोई ऐसी व्यवस्था ही उपयुक्त होगी जो कि प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित करती हो। पिछले अनेक वर्षों से पाश्चात्य से प्रेरित बाध्य होकर विकासशील राष्ट्रों के द्वारा ऐसी नीति अपनाई गई थी जिसने न केवल प्राकृतिक संपदा का विनाश को जन्म दिया बल्कि विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता भी बढ़ाई गई है। विकसित राष्ट्रों ने अपने उपभोग स्तर को उनके पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस बात की पूरी सावधानी बरती है। प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुएं विकासशील राष्ट्रों से आयात करते हैं। ताकि उनके प्राकृतिक संपदा सुरक्षित रहें। परिणाम यह हो रहा है कि विकासशील राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का हास उनके विकास के विकृति उपभोग ढांचे और पाश्चात्य राष्ट्रों को प्राकृतिक संपदा सघन वस्तुओं के निर्यात के कारण हो रहा है। पर्यावरण और परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिये हमें सर्वप्रथम अपने आर्थिक विकास को बदलना होगा। हमें पाश्चात्य जगत की इस धारणा से मुक्ति प्राप्त करनी होगी कि अधिक विकास आवश्यकताओं की किसी भी प्रकार पूर्ति करना ही आर्थिक विकास है। हमें व्यापारिक लाभ के लिये परिस्थितिकीय सिद्धान्तों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। औद्योगिकीकरण के नाम पर अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विशाल आकार वाले आधुनिक तकनीक पर आधारित उद्योगों की स्थापना की प्रवृत्ति भी छोड़ना होगा। ये उद्योग ऊर्जा प्रधान होने से विकासशील राष्ट्रों के परिप्रेक्ष्य में अनुपयुक्त होंगे। इन उद्योगों की जहरीली गैसों सारे वायुमण्डल को प्रदूषित कर रही हैं। आधुनिक कृषि के नाम पर प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक दोहन करने वाली कृषि व्यवस्था पर रोक लगानी होगी। इसके अतिरिक्त मिट्टी में सूक्ष्म पोषण और कार्बनिक तत्वों का अभाव तथा उसमें लवणीयता और क्षारीयता में वृद्धि

भूमि बंजर होती जा रही है। परंपरागत कृषि पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक सुसंगत है। अतः कृषि परंपरागत तरीकों का पुनर्मूल्यांकन कर उनमें से उपयुक्त तरीकों को पुनः अपनाया जाना चाहिए। जल उपयोग कृषि, उद्योगों, यातायात, ऊर्जा तथा घरेलू उपयोग के संसाधन के रूप में किया जाता है। जल का संरक्षण जीवन का संरक्षण है। जल एक चक्रीय संसाधन है, जिसको वैज्ञानिक ढंग से साफ कर उद्योग में लाया जा सकता है। उद्योगों में पानी की भारी मांग होती है। इसे कम करने से दो लाभ प्राप्त होंगे। प्रथम इससे उद्योग के अन्य खण्डों की पानी की मांग को पूरा किया जा सकता है। द्वितीय इन उद्योगों द्वारा नदियों एवं नालों में छोड़े गए दूषित जल की मात्रा कम हो जाएगी। अधिकांश उद्योगों में जल का उपयोग शीतलन के लिए होता है, इस कार्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि स्वच्छ और शुद्ध जल का प्रयोग किया जाए। इस कार्य के लिए पुनर्शोधित जल का उपयोग किया जा सकता है। इस जल का बार-बार प्रयोग करके स्वच्छ जल की मात्रा को संरक्षित किया जा सकता है। जल की इस पुनः मांग को भी संरक्षण की विधियों द्वारा कम किया जा सकता है।

यदि आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में ही मानव विकास है तो उनका उपयोग नियोजनात्मक ढंग से हो। हमें विश्व स्तर एवं समाज के स्तर पर इस हास और प्रदूषण की ओर ध्यान देकर संहारक प्रकृति को रोकना होगा। अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आर्थिक विकास योजनाओं का मानव जाति को तभी सही लाभ दे हो सकता है, जब इन योजनाओं का पर्यावरण पर बुरा प्रभाव न पड़े। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ इस ही समझा जाना चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि मानव के सोच में इस प्रकार का मानव आगे कि वह व्यक्तिगत हित की बजाय सामूहिक हित को सर्वोच्च समझे। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के प्रतिद्वन्दी न होकर पूरक हैं। परन्तु आर्थिक विकास के नाम पर प्रकृति को ध्वंसित नहीं की जा सकती। पर्यावरण की उपेक्षा करके किया गया आर्थिक विकास बारूद के ढेर के समान निर्मित करने के समान है। अतः दोनों में सामंजस्य आवश्यक है।

संदर्भ

- Asthana, D.K.; & Asthana, M.; (2015) 'A Text Book of Environmental Studies' S. Chand & Company Ltd. New Delhi.
- Arana, N.M.; (2016) 'Environmental Studies' SBPD Publishing House Agra.
- Arma, R.R.; (1998) 'Development Environment Economics' Ram Prasad & Sans Agra.
- शिवरी, पी.डी.; (२०१३) " पर्यावरणीय अर्थशास्त्र" कैलाथ पुस्तक सदन भोपाल।
- गेरिया, सी.; एवं सिसौदिया, एम.एस.; (२०१४) "पर्यावरण एवं विकास" एस.वी.पी.डी.पब्लिशिंग हाऊस रा.
- री, विजय कुमार; (२०१५) "पर्यावरण विज्ञान" एस चन्द्र एण्ड कम्पनी नई दिल्ली.
- न कर्म अंक ५ मई (२००८). द. कुरुक्षेत्र अंक ०६ जुलाई २००५.
- ना-अंक ०३ जून २००२.
- ने, विजय कुमार; (१९९८) "पर्यावरण प्रदूषण" हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नागपुर.
- गौरव एवं महाजन, अश्विनी; (२०१२) " भारतीय अर्थव्यवस्था" एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई

ISSN : 0975-3664

UGC : 41386

RNI : U.P.BIL/2012/43696

Year : 2018

Year : JUNE

Vol. : 2

शोध - धारा

SHODH-DHARA

A UGC Listed Research Journal

Grade 'A' Impact Factor 5



शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित
Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

नारी सशक्तिकरण

डॉ० संतोष सिंह ठाकुर

सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, विलासपुर, छत्तीसगढ़

डॉ० किरण ठाकुर

सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र विभाग, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर, छत्तीसगढ़
(प्राप्त : १० मई २०१८)

Abstract

आधुनिक युग में भारतीय एवं विश्व परिदृश्य में केवल वही समाज या राष्ट्र विकसित या प्रगतिशील हो सकता है जहाँ नारी या महिला की सहभागिता जीवन एवं विकास के सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित हो। नारी सशक्तिकरण वह अवधारणा, सिद्धांत या आवश्यकता है, जिससे नारी को शिक्षित एवं जागरूक बनाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक जानकारी प्रदान कर ज्यादा जबाबदेह बनाया जा सकता है। इससे उनमें समता, स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता तो आएगी ही इसके अलावा यह अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय और अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि की लड़ाई खुद-ब-खुद लड़ सकेंगी एवं इसके परिणामस्वरूप नारी शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक रूप से इतनी सुदृढ़ होगी कि जीवन की हर बाधाओं को पार कर विकास की दिशा में अग्रसर होगी।

Figure : 00

References : 02

Table : 00

Key Words : नारी सशक्तिकरण, अशिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण

पृष्ठभूमि : आधुनिक युग में भारतीय एवं विश्व परिदृश्य में केवल वही समाज या राष्ट्र विकसित या प्रगतिशील हो सकता है जहाँ नारी या महिला की सहभागिता जीवन एवं विकास के सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित हो। नारी सशक्तिकरण वह अवधारणा, सिद्धांत या आवश्यकता है, जिससे नारी को शिक्षित एवं जागरूक बनाकर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक जानकारी प्रदान कर ज्यादा जबाबदेह बनाया जा सकता है। इससे उनमें समता, स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता तो आएगी ही इसके अलावा यह अपने विरुद्ध होने वाले अन्याय और अत्याचार जैसे घरेलू हिंसा, यौन शोषण आदि की लड़ाई खुद-ब-खुद लड़ सकेंगी एवं इसके परिणामस्वरूप नारी शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक रूप से इतनी सुदृढ़ होगी कि जीवन की हर बाधाओं को पार कर विकास की दिशा में अग्रसर होगी।

नारी सशक्तिकरण की दिशा में निम्न बाधाओं एवं उपायों पर ध्यान देना आवश्यक होगा-

❖ **गरीबी एवं अशिक्षा:** भारत जैसे विशाल राष्ट्र में गरीबी एवं अशिक्षा न केवल नारी सशक्तिकरण के लिए बल्कि सभी परियोजनाओं के लिए एक 'कामन एनमी' है। अशिक्षित है इसलिए गरीब है और गरीब है इसलिए अशिक्षित है जैसे दोनों अन्योनाश्रित हों। जब तक नारी को शिक्षित न किया जाय नारी सशक्तिकरण सिवाय मृग-मरीचिका के कुछ नहीं।

❖ **आर्थिक आत्मनिर्भरता:** शिक्षित नारी यदि आत्मनिर्भर न हो तो नारी सशक्तिकरण केवल आधी अधूरी ही रह जायेगी। अतः यह जरूरी है कि उसे रोजगार, उद्यमिता या व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित किया

जिससे उसकी आर्थिक आमदनी हो। जो पूंजी उसने कमाया है, उसमें उसका स्वयं का नियंत्रण न कि किसी अन्य का।

व्यक्तित्व विकास: नारीसशक्तिकरण से नारी में ऐसी क्षमता एवं व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो जिससे वह अपने कैरियर, कार्यक्षेत्र, जीवन संबंधी निर्णय स्वयं ले सके, न कि पराश्रित होकर अन्य का सहारा ले। जैसे महिला सरपंच पति, मंत्री पति आदि।

उद्यमिता एवं पेशेवर कला का विकास: नारी में शिक्षा का स्तर चाहे जो भी हो उनमें उद्यमिता एवं कार्य कुशलता के साथ-साथ प्रोफेशनल विकास भी जरूरी है, ताकि वह अपना कार्य बखूबी से निर्वहन कर सके। जिन महिलाओं को रोजगार प्राप्त नहीं है, उनके लिए बैंक सस्ते ब्याज दरों से उपलब्ध कराये ताकि वह अपना व्यवसाय खुद कर सके।

सत्ता एवं निर्णय में सहभागिता: सरकार का चाहे कोई भी अंग हो नारी का सत्ता एवं निर्णय में योगदान सुनिश्चित होना चाहिए तभी परिवार समाज या राष्ट्र का विकास द्रुत गति से होगा।

स्वतंत्रता एवं समानता: एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि 'जब स्त्री मध्यरात्रि में भी घर से जाने में भयभीत न हो तभी भारत सही मायने में स्वतंत्र होगा'। नारी सशक्तिकरण यह अत्यंत जरूरत है कि स्त्री जाति पर अनावश्यक समाज और संस्कृति की आड़ में बंधन न लादी जाये। उसे घर एवं अन्य क्षेत्रों में समान अवसर मिले। उन्हें 'स्पेस' दे ताकि अपना भाग्यविधाता खुद बन सकें।

सत्तात्मक सोच में बदलाव: परिवार एवं समाज में नारी की जिम्मेदारी ज्यादा होने के बाद भी पति या पुरुष को परिवार का मुखिया माना जाता है। आज भी ज्यादातर मामलों में केवल लड़कों की सम्पत्ति में हिस्सेदारी दी जाती है। लड़कियाँ लिंग भेद और कुपोषण का शिकार होती हैं। 'सैकण्डरी सेक्स' मानी जाती है और लड़की पैदा होने पर प्रताड़ित भी होती है। इस सोंच में बदलाव ही नारी सशक्तिकरण किया जा सकता है।

सामाजिक सुरक्षा: विवाह के उपरांत समाज में स्त्री की स्थिति समान हो न कि उसे 'इनफीरियर' माना जाये। आर्थिक रूप से निर्भर पत्नी को पति की आकस्मिक निधन की स्थिति में सरकार का यह कर्तव्य हो कि उसे सामाजिक सुरक्षा पदान करे एवं नौकरी/पेंशन आदि की व्यवस्था करे।

उपर्युक्त सुझावों के अलावा समय-समय पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) नारी सशक्तिकरण की दिशा में अहम कार्य किया है। इसके साथ ही नारी आन्दोलनों, लेखकों, एवं समाज सुधारकों ने भी कई सार्थक प्रयास किया है।

पहलू : कई लोग नारी सशक्तिकरण को पुरुष वर्चस्व की चुनौती समझ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध करते हैं जो कि सही नहीं है। स्त्री पुरुष की अनुपूरक है न कि विरोधी। अभी हाल ही में एक राजनीतिक पार्टी द्वारा इसी प्रकाश में महिला आयोग के तर्ज में पुरुष आयोग बनाने की प्रस्तावना इसी प्रकार का परिचायक है। नारी सशक्तिकरण समता एवं स्वतंत्रता के लिए संघर्ष या मिशन है न कि नारी को स्थापित करने की रणनीति।

उपसंहार : सारांश में नारी सशक्तिकरण आधुनिक युग की आवश्यकता, मांग एवं संविधान सम्मत है और इसे लागू किया जा सकता है जब हम सब मिलकर नारी की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रोफेशनल एवं तकनीकी क्षमता को बढ़ावा दे सकें।

विकास, उद्यमिता, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक विकास के बारे में केवल योजना ही न बनायें वरि उसे कार्यान्वित करें। जाहिर है यह केवल सरकार की ही जबाबदारी नहीं वरन् सभ्य समाज में हम सब है।

संदर्भ

१. सिंह, महीप; समकालीन समाज चिंता, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
२. पाण्डेय, मृणाल; परिधि पर स्त्री, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।

Solid Polymer Electrolytes: Temperature Dependent Ionic Conductivity and Solid State Battery Fabrication

Kiran Thakur¹, Angesh Chandra², Archana Chandra² and S. S. Thakur³

¹Department of Chemistry,
Govt. Pataleswar College Masturi, Bilaspur, Chhattisgarh, INDIA.

²Shri Shankaracharya Institute of Professional Management & Technology,
Raipur – 492 015, Chhattisgarh, INDIA.

³Department of Chemistry,
Guru Ghasidas University, Bilaspur, Chhattisgarh, INDIA.
email: chandrassi@gmail.com; kthakur.02@gmail.com.

(Received on: April 30, 2019)

ABSTRACT

Temperature dependent ionic conductivity studies of a newly synthesized silver ion conducting solid polymer electrolyte (SPE): [70PEO:30AgCl] have been reported. The activation energy (E_a) of SPE have also been calculated with the help of Arrhenius equation below the transition temperature. Solid state battery fabrication and cell potential discharge characteristic studies on thin film solid state battery are reported. Ag⁺ ion conducting SPE: [70PEO: 30AgCl (wt.%) as electrolyte was sandwiched between Ag-metal foil as anode and hot-pressed film of (C+I₂+Electrolyte) as cathode. The cell potential discharge profiles were drawn under different load conditions at room temperature. An open circuit voltage (OCV) ~ 0.62 V, obtained in these batteries, is fairly low as compared to the theoretical OCV (~0.687V). Temperature dependent ionic transference number (t_{ion}) was determined with the help of dc polarization technique.

Keywords: Solid polymer electrolytes, ionic conductivity, ionic transference number, polymer battery.

1. INTRODUCTION

The ion conducting superionic solids show great technological promises as poter electrolyte systems to fabricate all solid-state electrochemical devices viz. batteries, fuel c

International Refereed
& Blind Peer-Reviewed
Multidisciplinary
Research Journal

Vol. 7
Issue 1
Jan.-Feb.-Mar.
2020

ISSN 2348 – 3318

Recent Researches in Social Sciences & Humanities



幸福



www.recentjournals.in
www.wellpress.in

CONTENTS

S.No.	Titles & Author/s	Pages
1.	DICHOTOMY BETWEEN INDIVIDUAL AND SOCIETY : THE CRISIS IN HUMAN VALUES IN THE NOVEL - PETER CAMENZIND <i>Mansi Vats</i>	1-7
2.	EFFECT OF SIX MONTHS SUPERVISED YOGIC PRACTICES ON POSITIVE MENTAL HEALTH OF COLLEGE STUDENTS <i>Kapil Kumar Sahu & Jai Shankar Yadav</i>	8-11
3.	THE YOGIC THERAPY OF IYENGAR : A PHILOSOPHICAL STUDY <i>Priyanka Shukla</i>	12-20
4.	CORPORATE & ECONOMICAL ASPECTS OF YOGA <i>Gomati Singh</i>	21-25
5.	CONSUMER PROTECTION IN POVERTY, FOOD SECURITY AND HEALTH SERVICES WITH RESPECT TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT <i>Anuj Kumar Bhadana & Virendra Singh</i>	26-29
6.	YOGA IS A PROMISING APPROACH FOR DEALING WITH THE STRESS RESPONSE <i>Mahesh Singh Dhapola & Debabrata Sarkar</i>	30-34
7.	CURRENT PERSPECTIVE ON SCIENTIFIC ASPECTS OF YOGA AND MEDITATION <i>Kiran Thakur & S. S. Thakur</i>	35-37
8.	YOGA AS AN EFFECTIVE TOOL IN PEACE EDUCATION, ITS RELEVANCE IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM AND APPROACHES OF GOVERNMENT OF INDIA <i>Avanish Kumar</i>	38-40
9.	BENEFITS AND TREATMENTS OF YOGA IN DE-ADDICTION <i>Dinesh Bala</i>	41-43
10.	"SUDERSHAN KRIYA" ART OF BREATHING AND BOON TO HEALTH <i>Ramesh Kumar Tamboli</i>	44-46
11.	योगाभ्यास का विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाला प्रभाव <i>डी.आर. साहू, केवल चक्रधारी एवं डी. के. सिंह</i>	47-50
12.	भारत में बाल श्रम : सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य <i>जगतार सिंह</i>	51-54
13.	अनुसूचित जातियों पर शहरीकरण का प्रभाव तथा सामाजिक परिवर्तन <i>अंजली देवी</i>	55-58
14.	भारत में सामाजिक परिवर्तन : पश्चिमीकरण तथा आधुनिकीकरण <i>निशा रानी</i>	59-62
15.	आधुनिक भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं की सहभागिता : आरक्षण के विशेष सन्दर्भ में <i>सुमित कुमार</i>	63-65
16.	आधुनिक सन्दर्भ में स्त्री विमर्श एवं महादेवी <i>भावना अग्रवाल एवं विमला सिंह</i>	66-72
17.	योग और संबंधित साहित्य <i>ए. एल. घुवंशी</i>	73-77

Contd.... to the next page.



YOGA IS A PROMISING APPROACH FOR DEALING WITH THE STRESS RESPONSE

Mahesh Singh Dhapola¹ & Debabrata Sarkar²

1. Assistant Professor, Department of Physical Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.), India
2. Research Scholar, Department of Physical Education, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur (C.G.), India

Received : 11/03/2020

1st BPR : 15/03/2020

2nd BPR : 17/03/2020

Accepted : 21/03/2020

ABSTRACT

Stress is a common condition, a response to a physical threat, psychological distress and mental tension that generates a host of chemical and hormonal reactions in body. In essence, the body prepares to fight or flee, pumping more blood to the heart and muscles and shutting down all nonessential functions. When the stress reaction is prolonged, however, the normal physical functions either been exaggerated/shut down. Yoga, physical postures and breathing exercises improve muscle strength, flexibility, blood circulation and oxygen uptake as well as hormonal function. Yoga, it is much more effective in treating and preventing stress, improving quality of life in physical, emotional, intellectual, social and spiritual aspects.

Keywords : Physical threat, psychological distress, mental tension, Heart, Muscle, strength, flexibility, blood circulation.

INTRODUCTION

Yoga is an increasingly popular activity, perhaps because of its association with stress reduction and relaxation an association that is generally supported by empirical evidence. Mind-body techniques such as yoga have shown to improve stress levels by restoring the body's sympathetic-parasympathetic balance.

According to Rangé (2001); since the 17th century, the term stress was used to describe tensile anguish phenomena and discomfort. Willian Osler, with his research noted that overwork and worry were related to coronary diseases; equating the term stress with "Overwork" and the term strain with "worry".

According to Battisson (1998), stress is a widely used term for describe the symptoms produced by the body in response to increasing tension. A certain level of stress is normal to help the individual face the challenges of life.

Stress can be positive, keeping us alert, motivated, and ready to avoid danger. Stress becomes negative or distress when a person faces continuous challenges without relief or relaxation between stressors and its symptoms are headaches, an upset stomach, elevated blood pressure, chest pain, sexual dysfunction, and problems sleeping.

ETIOLOGY

The root causes of stress are numerous and some may be relevant or not, depending on how an individual reacts to stressors; despite the emotional matrix being biological, the emotion is biographical, that is, each person has their own, unlike the others.



External stressors: The conditions external effects that affect the body.

Internal stressors: Determined by the own individual. That are person's being, whether the person is anxious, shy, depressed or neurotic.

Biogenic stressors: Not depend on interpretation and act in the development of automatic stress.
Exam- hunger, intense thirst, heat and cold.

SEMIOLOGY

The symptoms of stress are varied and differ according to stages that meet. Dr. Selye found that if the stressor is maintained over the long term, the body will go through three phases:-

- Alarm phase (high intensity with short duration),
- Resistance phase (organic functions should return to normal as the body adjusts),
- Exhaustion phase (low intensity and long duration can lead to death),

STRESS CONSEQUENCES

Physicist	MENTAL / EMOTIONAL
Headache / muscle pain.	Loss of concentrate
Diabetes, hypertension and obesity	Depression / anxiety.
Stomach pain.	Low self-esteem
Breathing problems / hyperventilation	Mood swings
Hormonal imbalance.	Aggressiveness
Sexual difficulties.	Memory reduction

PREVENTIVE AGENTS AND STRESS CONTROLLERS

Nowadays you need to know how to abolish stress, because it does part of our lives. Children, adolescents, adults and the elderly suffer from stress. There are strategies, lifestyles and effective methods for stress prevention, reduction and control. The psychotherapeutic treatments; at physical activities contribute in a very different way to so satisfactory and Yoga because it encompasses in its methodology steps that are used separately as a way to of therapies; for example psychomotor perception during stretching, balance and isometric strength exercises, associated with breathing exercises, psychophysical relaxation and meditation.

INOCULATION OF STRESS

Meichenbaum in the 1980s created the technique of Stress inoculation, which consists in training the psychologically in the anticipated experience of a stressful situation, in order to develop personal coping resources at be used during a real dreaded situation. Stress inoculation has been used in the treatment of some phobias, panic syndrome, generalized anxiety, alcoholism and pain control (Thorpe and Olson, 1997), in family conflicts and relationships at work. Physical activity. Several studies related to stress and physical activity have shown that regular exercise is related to good for it.

DOMAIN BY ASPECTS

According to Jackson, Morrow, Hill & Dischman (1999), there is a great influence of physical fitness on social, emotional fitness and intellectual; due to the psychological impact of physical activity about stress, and anxiety. Improving health improve self-esteem and sleep due to biological effects caused by physical activity, which decrease the depression and anxiety.

Professional	Affective	Emotional
Constant psychological pressures	Affective breakup (separation, divorce)	Existential problems
Excessive competitiveness	Frustrations and love disappointments	Emotional trauma
Problematic relationship	Jealousy	misunderstanding



Familiar	Intellectual	Economic
Concerns about children	Excessive intellectual wear	Debts / financial burden
Problems in family life	Poor ability to deal with reality	Maintenance of family comfort
	Mental / intellectual disengagement health.	Retirement / low income
Environmental		Physicist
Pollution		Physical inactivity
Distance between home and work		Overtraining / rest
Heavy traffic		Alcohol, drug and smoking
Unhealthy or unpleasant professional environment	seases	Di

According to Nieman (1999), generally conditioning physical activity and physical activity are related to lower levels of cardiovascular stimuli during and after mental stress. Physical exercise is useful because as the individual adapts to increased heart rate, blood pressure and stress hormones that occur during exercise.

Some of the defensible theories maybe grouped as follows:

Selfcontrol

As people start and maintain a program exercise, increased control and self-confidence. In other words, an attitude like "I can do this" is developed.

Socialinteraction

The exercise is usually performed with other people, leading to friendships, fun and personal attention.

Some research believe that this contributes to the effects of exercise about mood enhancement.

Interruption/distraction

The argument is that interruption of the normal daily routine and Stressfulness can result in mood improvement in some people who exercise.

PSYCHOLOGICAL BENEFITS ARISING FROM PHYSICAL ACTIVITY

IMPROVE	DECREASE
the personality	absenteeism at work
emotional stability	aggressiveness and anger
memory / perception	depression
self-esteem	anxiety
intellectual performance	emotional tensions
mood / sexual satisfaction	the phobias

Improved Brain Fitness

Through exercise the brain activity gains or brain Physical aptitude. Disturbances in brain secretions of three chemicals or neurotransmitters - serotonin, dopamine and norepinephrine have been implicated in depression and other psychological. Physical exercise plays a role in preventing and treatment of depression.

YOGA

Yoga, an ancient philosophy from India, which through thathas adapted to the present day retaining its essence. There are more than 25 types or modalities of Yoga.

According to Battison (1998), many orthodox doctors recommend Yoga for their patients, because Yoga has a long history of its therapeutic benefits in health promotion and the quality of life.

PRANAYAMA

Breathing is the only physiological phenomenon, to which the uses oxygen from the air in order to



effect the transformations chemicals needed so that the blood can distribute to all the cells. So respiration is one of the most important acts of our lives. We can accelerate, slow down, stop and restart respiratory rhythm, possible to make it shallow or deep.

If we get involved in a conflict between two antagonistic tendencies or desires, breathing is irregular and arrhythmic. Through rhythmic breathing we establish peace between mind, will and impulses.

(Dantas, Psychophysiology 2001), The Type of Breathing that yoga advocates for increased flexibility is what utilizes the entire pulmonary area, employing the abdominal and thoracic; diaphragmatic. Expiration and the inspiration are made by the nostrils, and the exhalation lasts twice as long as inspiration, which makes it easier. There are energizing, relaxing and balancing pránáyámas.

ASANAS

(Hermogenes 1988), purpose of asana is always mental in nature. Overcoming restlessness, fragility of mind, facilitate concentration, creating conditions to master them. Illness, illusion, instability emotional factors, determinants of mental unrest. It is worth mentioning that each asana produces an organic, physical, mental and emotional to its practitioner. Each posture should be performed with concentration.

(Dantas 2001), performing exercises of flexibility with mental concentration, feeling the movement instead of just performing them - with deep breathing and paced. Breathing exercises for concentration, flexibility and meditation, people can make a link between the right hemisphere with the left hemisphere. The interaction of these hemispheres the human being becomes calmer and can with persistence and desire, achieve an internal state of self-knowledge and consequently of great harmony.

YOGANIDRA

Relaxation is called the state of tensionless. When muscles relaxed, relaxed organs, the mind at peace, serene and free from disturbances. The individual must remain conscious throughout the relaxation process, reformulate his thoughts by directing them for well-being, i.e. performing positive thoughts. Every thought and emotion is generated, causing them to have similar attitudes with this emotion; so the energy will crystallize, making real its purpose, whether beneficial or not. This is why during relaxation most propitious time to mentally thoughts positive for their growth, well-being and success.

(Hermogenes 1988), the combined practice of other essential elements of Yoga will greatly facilitate the Quota of the goal. Some scientifically proved psychosomatic effects:-

Psychological unlocking in conscious flow pituitary-gland axis, it's fundamental for range of orgasm.

Reduction in oxygen consumption, i.e. the fall in of basal metabolism.

Significant decrease in arterial lactate concentration, reducing anxiety.

Increased 12% memory 40% perception and 300% blood flow to muscles.

DHYANA

Meditation is the evolutionary phase of mental training, passing through the pratyahara stage, and then with the improvement of dharana, which is the direct continuation of the inhibition process sensory (Feuerstein 1998), concentration is the containment in a state of immobility, is the direction of attention to a particular support and may be a part of specific body or an external object or sound. The goal is "empty" the mind without paradoxically lose alertness. The psychoenergetic and spiritual effects are relevant and Benefits is psychosomatic balance; stress reduction to increased mental capacity.

CONCLUSION

Evidence shows that excessive stress leads to reduced health, quality of life and well-being and can lead the man to morbidity/death. Preventive measures and treatments economic, fast and effective measures contribute to the reduction and stress control; like proper physical activity and Yoga.

We can adapt the physical activity complemented with the Yoga; which will imply improvement



of cognitive style, balance of excitability, improving assertiveness and affectivity, self-control of the anxiety and reduction of the physical and emotional symptoms of stress. Evidence showed that physical activity supplemented with Yoga more effectively improvement of health and quality of life. However, the causes stress may continue to exist; therefore it is necessary to change the emotional biography too, through assertive attitude, improving the ability to coping with the situation, modification of perception through a more positive and confident view and changing habits and behaviors.

REFERENCES

- <https://www.iaytjournals.org/doi/abs/10.17761/ijyt.10.1.x2qljx27tn76070j>
- Parshad O. Role of yoga in stress management. West Indian Med J. 2004 Jun;53(3) 191-194. PMID: 15352751.
- https://www.academia.edu/12634524/Yoga_no_controle_de_stress
- <https://mea.gov.in/in-focus-article.htm?25096/Yoga+Its+Origin+History+and+Development>
- <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/11874-stress>



योगाभ्यास का विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाला प्रभाव

डी.आर. साहू, केवल चक्रधारी' एवं डी. के. सिंह'

1. प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर
2. सहायक प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर
3. सहायक प्राध्यापक, शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय, मस्तूरी, विलासपुर

Received : 11/03/2020

1st BPR : 12/03/2020

2nd BPR : 14/03/2020

Accepted : 18/03/2020

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य है 'योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण पर पड़ने वाला प्रभाव। शोध की पूर्ति के लिए रायपुर (छत्तीसगढ़) विद्यालय से उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा 100 दृष्टिहीन विद्यार्थियों का चयन कर प्रयोज्यों को 1 महीने तक प्रतिदिन 50 मिनट प्रज्ञायोग व्यायाम, नाड़ीशोधन प्राणायाम, ओ३म् उच्चारण, नादयोग साधना का अभ्यास कराया गया। उपलब्धि अभिप्रेरण स्तर का मापन टी. आर. शर्मा (2005) द्वारा निर्दिष्ट 'एकेडमिक एचिन्मेन्ट मोटिवेशन टेस्ट' द्वारा किया गया। इस शोध में 'पूर्व-परीक्षण पश्चात्-परीक्षण नियंत्रित शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण टी-टेस्ट सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त टी का मान 0.01 स्तर पर सार्थक पाया गया। परिणाम यह प्रदर्शित करता है कि योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

की-वर्ड: योग, दृष्टिहीन, शैक्षिक निष्पादन, उपलब्धि अभिप्रेरण।

वर्तमान समय चुनौतियों एवं प्रतिस्पर्धाओं का समय है। जीवन के इस दौर में जो इन चुनौतियों से लड़ना सौख्य उनसे घबराये बिना अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हैं वही अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। ऊँचा उठने की ललक सभी में है। लेकिन जिनका आत्मविश्वास दृढ़ हो एवं कुछ कर गुजरने की जिनमें हिम्मत हो उस व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधा भी उसे लक्ष्य तक पहुँचने से रोक नहीं सकती।

जिन व्यक्तियों में देखने की क्षमता पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है उन्हें दृष्टिहीन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में देखने की क्षमता के बराबर पायी जाती है। आधुनिक समय की प्रतिस्पर्धाओं, चुनौतियों एवं व्यापक सामाजिक परिवर्तन के दौर ने दृष्टिहीन को काफी पीछे छोड़ दिया है। जीवन के विभिन्न पक्षों में आज दृष्टिहीन व्यक्ति निराश एवं असफल होता हुआ दिखता है। दृष्टिहीन व्यक्तियों को उनके परिवार तथा समाज बोझ के समान मानने लगे हैं। कारण चाहे कुछ भी हो परन्तु समाज के दृष्टि में आया यह परिवर्तन दृष्टिहीन व्यक्तियों में कई मानसिक रोगों के जनन का कारण बनता जा रहा है। आज यह बड़ा विषय है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों की क्षमता एवं प्रतिभा समाज के सामने उभर नहीं पा रही है। इस मानवीय संसाधन का सुचारु परिमार्जन नहीं हो पा रहा है। यदि इस संसाधन को खोजकर सही तरीके से पोषित, प्रशिक्षित किया जाए तो वे अपने जन्म क्षमताओं एवं प्रतिभाओं का सदुपयोग कर समाज उत्थान के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

दृष्टिहीन व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनमें शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण का होना आवश्यक जाता है। शैक्षिक निष्पादन से तात्पर्य विद्यार्थियों के विद्यालय कार्य में दक्षता एवं उनके प्रदर्शन से है, जिसका मापन एवं विभिन्न मानकीकृत परीक्षणों के आधार पर निर्धारित ग्रेड के रूप में किया जाता है। किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन को देखने उनके भावी जीवन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं।

अभिप्रेरण से सामान्य अर्थ वैसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उपलब्धि अभिप्रेरण तात्पर्य एक ऐसे अभिप्रेरण से होता है जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कार्य को इस ढंग से करता है कि उसे अधिक प्रेरणा सफलता मिल सके (सिंह, 1997)।

वर्तमान समय में योग व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक प्रक्रियाओं एवं क्षमताओं को विकसित करने का एक किरीट उपाय है। यौगिक अभ्यास व्यक्ति को अपने शरीर, मन एवं आत्म पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है (Matthews, 1997)। योग शरीर को अत्यधिक तनाव, चिंता एवं अवसाद से मुक्ति दिलाने में सहायता करता है (Parshad, 2004)। योग का लक्ष्य

की समस्त क्षमताओं, प्रतिभाओं का समरसता पूर्वक जागरण करना है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ाने का कार्य करता है (Manoj, 2004)।

योग के विषय पर अधिकांश शोध सामान्य व्यक्तियों पर योग के प्रभाव संदर्भ में ही हुए हैं। परंतु "योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण पर प्रभाव" विषय पर कम ही शोध कार्य हुये हैं। इसलिए इस शोध में यह जानने का प्रयास किया गया है कि योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन एवं उपलब्धि अभिप्रेरण स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है?

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अभिकल्प में उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि द्वारा रायपुर (छत्तीसगढ़) के दृष्टि एवं श्रवण बाधित विद्यालय में पढ़ने वाले 100 दृष्टिहीन विद्यार्थियों का चयन किया गया। जिनकी आयु सीमा 14-17 वर्ष थी।

योगाभ्यास सारणी-

चयनित प्रयोज्यों को 4 महीने तक प्रतिदिन सायंकाल 5.30 बजे से 6.20 बजे तक निम्नलिखित योगाभ्यास कराया गया-

योगाभ्यास	समय
प्रज्ञायोग व्यायाम	15 मिनट/दिन
प्रणव जप (ओ३म् उच्चारण)	10 मिनट/दिन
नाडीशोधन प्राणायाम	10 मिनट/दिन
नाद योग साधना	15 मिनट/दिन
कुल समय 50 मिनट/दिन	

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत शोध में 'पूर्व-परीक्षण पश्चात्-परीक्षण नियंत्रित समूह शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 'पूर्व-परीक्षण पश्चात्-परीक्षण नियंत्रित समूह शोध अभिकल्प' का प्रयोग किया गया है। जिसमें 100 प्रयोज्यों का चयन उद्देश्य पूर्ण प्रतिचयन विधि करके प्रयोज्यों का पहले पूर्व परीक्षण किया गया फिर 4 महीने तक योगाभ्यास कराया गया फिर प्रयोज्यों का पूनः पश्चात् परीक्षण किया गया। प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण टी-टेस्ट सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया।

व्यकरण

प्रस्तुत शोध में उपलब्धि अभिप्रेरण को मापने के लिए टी. आर. शर्मा (2005) द्वारा निर्मित 'एकेडेमिक एचिहनेन्ट मोटिवेशन टेस्ट' का प्रयोग किया गया एवं शैक्षिक निष्पादन का मापन विद्यार्थी द्वारा योग निष्पादन के पूर्व एवं पश्चात् विद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम के आधार पर किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण -

प्रस्तुत शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु टी-टेस्ट सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध परिणाम

- सारणी 01 - उपलब्धि अभिप्रेरण के मध्यमान का स्तर -

Group	N	Mean	SD	df	t-value	Level of significance
Control	50	26.24	2.63	98	5.23	0.01
Experimental	50	29.02	2.18			

प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 29.02 एवं SD का मान 2.63 है तथा नियंत्रित समूह का मध्यमान 26.24 एवं SD का मान 2.18 है। सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त टी मान 5.23 है। यह मान df 0.98 के 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक टी-सारणी मान 2.364 से अधिक है। अतः परिणाम df 0.98 में 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक है।

- सारणी 02-शैक्षिक निष्पादन के मध्यमान का स्तर -

Group	N	Mean	SD	df	t-value	Level of significance
Control	50	58.57	6.96	98	4.70	0.01
Experimental	50	62.93	7.30			

सारणी 02 से प्रदर्शित है कि प्रयोगात्मक समूह का मध्यमान 62.93 एवं SD का मान 7.30 है तथा नियंत्रित समूह का मध्यमान

58.57 एवं SD का मान 6.96 है। सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा प्राप्त टी मान 4.70 है। यह मान df .98 के 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक होने के लिए आवश्यक टी-सारणी मान 2.364 से अधिक है। अतः परिणाम df 98 में 0.01 विश्वास स्तर पर सार्थक है।

परिणामों की विवेचना

योग का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक समस्याओं का समाधान करना है। वर्तमान समय में व्यक्ति शारीरिक रोगों, मानसिक व्याधियों एवं सामाजिक समस्याओं से पीड़ित है जिसके निराकरण हेतु योग ऐसी वैज्ञानिक विधि पद्धति है जो व्यक्ति को सदैव प्रसन्नचित रखकर उसमें अन्ततः ज्ञान का भण्डार भरती है तथा मन एवं भावनाओं पर नियंत्रण की क्षमता विकसित करती है (मिश्र, 2002)।

शैक्षिक परिस्थितियों में दृष्टिहीन विद्यार्थियों में तनाव, चिंता एवं असुरक्षा शैक्षिक निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जिससे विद्यार्थी एकाग्रता एवं कुशलता में गिरावट आती है। जिससे उनकी शैक्षिक निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है (The Times of India, 2007)।

योगाभ्यास से मस्तिष्क तनाव मुक्त हो जाता है, मन प्रफुल्लित रहता है और शरीर हल्का, फुल्का, फुर्तिला एवं तेजस्वी बन जाता है तथा बुद्धि प्रखर हो जाती है (शास्त्री, 2002)। योग व्यक्ति में प्रसन्नता अनुभूति एवं मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि कर कार्य करता है (कुलश्रेष्ठ, असीम, 2006)। ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं एवं सामान्य बच्चों को जब शारीरिक व्यायाम का अभ्यास कराया जाता है तो उनके शैक्षिक निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (Erin & Russell, 2012)।

ध्यान से विभिन्न हार्मोन जैसे- डोपामाईन, एसिटिलकोलाईन एवं गामा एमिनो व्युटेरिक एसिडका स्रावण होता है जो वृद्धि के आन्तरिक प्रसन्नता, एकाग्रता एवं स्मृति में वृद्धि करते हैं (Davidson, et al., 1984)। ध्यान से विद्यार्थियों में समस्या समाधान करने की क्षमता, स्मृति, अवधान, एकाग्रता एवं मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है जिससे विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है (Heaton, et al., 1974)।

Shrivastav & Verma, (2001) ने अपने शोध में पाया कि योगाभ्यास के फलस्वरूप विद्यार्थियों के शैक्षिक निष्पादन पर उपलब्धि अभिप्रेरण में सार्थक रूप से वृद्धि होती है। योग मन और मानसिक क्षमताओं का विश्लेषण करता हुआ उसके जागरण, सुनियोजन का परिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। मानसिक क्षेत्र के विभिन्न आयाम जैसे- स्मृति, बोध क्षमता, सीखने की दर, रचनात्मक कार्य, तर्क क्षमता आदि के विकास में यौगिक क्रियाएँ महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुई हैं।

योगाभ्यास से विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण में सकारात्मक परिवर्तन आता है जिससे वे अपने लक्ष्य के प्रति जागरण अभिप्रेरित होते हैं जिससे विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण में वृद्धि होती है (Biswas & Agrawal, 1971)। इसके साथ ही Joshi & Srivastava, (2009); Manjunath & Telles et al, (2004); Parshad, (2004) द्वारा किये शोध इस शोध परिणाम का समर्थन करते हैं कि योगाभ्यास से उपलब्धि अभिप्रेरण एवं शैक्षिक निष्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

निष्कर्ष-

शोध परिणाम से स्पष्ट है कि योगाभ्यास से दृष्टिहीन विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण एवं शैक्षिक निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है जिससे यह पता चलता है कि योगाभ्यास का दृष्टिहीन विद्यार्थियों के उपलब्धि अभिप्रेरण एवं शैक्षिक निष्पादन पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कुलश्रेष्ठ, असीम (2006). नादयोग साधना का मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता अनुभूति एवं आत्मविश्वास पर प्रभाव का अध्ययन। संस्कृति इन्टर डिस्प्लिनरी ऑफ विहेवियर साईंस एण्ड ओरिएंटल स्टडीज, 3(3), 139-147।
2. मिश्र, प्रदीप (2002). योग तथा मानसिक स्वास्थ्य। लखनऊ- न्यू रॉयल बुक कम्पनी, 27-35।
3. शास्त्री, पं. पर्णचंद्र पंत (2002). योग विज्ञान। नाहन- इन्टरेक्टिव एजुकेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड, 19।
4. Biswas, A. & Agrawal J. C. (1971). Encyclopedia dictionary of education. New Delhi: The Academic Publishers, 1, 4.
5. Davidson, R. J. & Schwartz, G. E. (1984). Matching Relaxation Therapies to Types of Anxiety: A Patterned Approach In Meditation: Classic and Contemporary Perspectives. New York: Aldine, 95.
6. Heaton, D. P. & Orme-Johnson, D.W. (1974). The Transcendental Meditation Program and Academic Achievement. International Centre for Scientific Research, Maharishi International University: Fairfield, USA. Collected Papers, V1.60.
7. Joshi, S. & Srivastava, R. (2009). Self-esteem and Academic Achievement of Adolescents. Journal of the Indian Periodicity : Quarterly, Language : English & Hindi




1. *Academy of Applied Psychology*, 35, 33-39.
2. Manjunath, N. K. & Telles, S. (2004). Spatial and verbal memory test scores following yoga and fine arts camps for school children. *Indian Journal of Physiology and Pharmacology*, 48(3), 353-356.
3. Manoj, K. (2004). Effects of yogic exercises on mental health and academic achievement of secondary school students (Unpublished M.Ed. Dissertation). Punjab University: Chandigarh.
4. Matthews, S. (1995). Balancing Pitta Dosha by using hatha yoga practices. *Yoga*, 6(3), 36-39.
5. Parshad, O. (2004). Role of yoga in stress management. *West Indian Medical Journal*, 53(3), 191-194.
6. Srivastava, S. S. & Verma, D. P. (2001). Academic achievement, Anxiety and self-confidence among best Athletes of Vidya Bharati. *Indian Ed. Ab*, 1(2), 49-50.
7. The Times of India, (2007). Stress and Performance. News item-2007, 7, 12.



J/03051/2012
N-2319 9318

विद्यावार्ता®

Peer Reviewed International Refereed Research Journal
Issue-33, Vol-07 January to March 2020



Editor
Dr. Bapu G. Gholap

MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318



Jan. To March 2020
Issue-33, Vol-07

Date of Publication
01 Feb. 2020

Editor

Dr. Bapu g. Gholap

(M.A.Mar.& Pol.Sci.,B.Ed.Ph.D.NET.)

विद्येविना मति गेली, मतीविना नीति गेली
नीतिविना गति गेली, गतिविना वित्त गेले
वित्तविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

-महात्मा ज्योतीराव फुले

❖ विद्यावार्ता या आंतरविद्याशाखीय बहुभाषिक त्रैमासिकात व्यक्त झालेल्या मताशी मालक, प्रकाशक, मुद्रक, संपादक सहमत असतीलच असे नाही. न्यायक्षेत्र:बीड

“Printed by: Harshwardhan Publication Pvt.Ltd. Published by Ghodke Archana Rajendra & Printed & published at Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.,At.Post. Limbaganesh Dist,Beed -431122 (Maharashtra) and Editor Dr. Gholap Bapu Ganpat.

Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed

Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295

harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

- | | |
|---|-----|
| 14) स्मरण प्रतिमानाची माध्यमिक स्तरावर परिणामकारकता— एक प्रायोगिक अध्ययन
आर. एम. माणुसमारे | 56 |
| 15) संत तुकारामांच्या अभंग रचनेचे मूल्यमापन
डॉ. गुंफा पाटीलबा कोकाटे, बेलापूर | 59 |
| 16) साहित्योपासक : श्री संत अन्यात महाराज
प्रा. साजिद के. शाह, अकोला | 64 |
| 17) शंतीविषयक धोरणांचा बदलता आलेख: शंती भाडे तत्वावर
प्रा. प्रतिमा परदेशी | 68 |
| 18) संत तुकारामांचे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य
सूर्यकांत वरकड, अहमदनगर | 70 |
| 19) महात्मा गांधीजीचे राजकीय विचार
प्रा. डॉ. महादेव मुंडे, जि.बीड | 73 |
| 20) कृषी आणि कृषी वित्त पुरवठा : एक अध्याय (विशेष संदर्भ धुळे जिल्हा)
डॉ. जितेंद्र डी. तलवारे, गुलाबसिंग जे. पावरा, धुळे | 75 |
| 21) विदर्भातील लोकनाटय दंडार
ज्योती वासुदेव बांन्ते, नागपूर | 78 |
| 22) मध्य प्रदेश में सहरिया जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास की स्थिति
डॉ. योगेश्वर प्रसाद बघेल, जॉजगीर चाम्पा | 81 |
| 23) समकालीन हिन्दी महिला कथाकारों की कथावियों में स्त्री चेतना एवं संवेदना के
दुर्गेश शोध छात्र, झांसी | 89 |
| 24) सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' के काव्य में प्रगतिशील चेतना
डॉ. नेमीचंद कुमावत, भीलवाड़ा | 93 |
| 25) स्त्री विमर्ष : हिंदी सिनेमा
प्रा.डॉ. माधव सुभाषराव पाटील, परभणी | 102 |
| 26) एडल्टरी (भाग ४९७) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सामाजिक प्रभाव
डॉ. शारदा दुबे, डॉ. दुर्गा बाजपेयी, बिलासपुर | 104 |

एडल्टरी (धारा ४९७) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सामाजिक प्रभाव

डॉ. श्रीमती शारदा दुबे

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र,
शासकीय विद्यापीठ, गान्धी स्नातकोत्तर,
महाविद्यालय, बिलासपुर, छ.ग.

डॉ. श्रीमती दुर्गा बाजपेयी

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र,
शासकीय, पातालेश्वर महाविद्यालय,
मरनुगी, जिला, बिलासपुर, छ.ग.

इंग्लिश देश में महिलाओं की हालत, उनके प्रति सम्मान में हम अकेले पुरुष अपराधी को दंड के लिए जिम्मेदार उद्धार करेंगे। इसके बावजूद कानून आयुक्तों द्वारा यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी। बाद में इसे आई.पी.सी. की धारा ४९७ के रूप में लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ६७ साल से धारा ४९७ पर बहस चली आ रही है।

१. १९५१ :- यानिकाकर्ता यरुफ अजीज ने धारा ४९७ को चुनौती दी। इसे गमानना के अधिकार का उल्लंघन बताया। कहा यह पुरुषों से भेदभाव करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्यतः पुरुष ही बहलाने फुल्लाने वाला होता है, इंग्लिश महिला केवल पीड़ित होती है, अपराधी नहीं।

२. १९८५ :- यानिकाकर्ता रॉमियो विण्णु की पत्नी ही दार्लो पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून में सिर्फ एक पुरुष को ही दूसरे पुरुष के खिलाफ शिकायत का अधिकार है। अगर कानून पुरुष को महिला के खिलाफ कस करने की इजाजत नहीं देता तो महिला को भी पुरुष के खिलाफ कस की इजाजत नहीं देना।

३. १९८८ :- यानिकाकर्ता वी. रैवती ने कहा कि इस कानून के तहत पुरुष को तो शिकायत करने का अधिकार है लेकिन महिला अपने व्याभिचार पति के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला को अपराधी की श्रेणी में न रखने में दंपति को विवाद को मुलझाने और जादो की संस्था कायम रखने में मदद मिलती है।

विधि आयोग ने १९७१ में पेश अपनी ४२ वीं रिपोर्ट में सरकार से इस कानून को लैंगिक झुकाव से मुक्त करने की सिफारिश की थी। इसके बाद २००३ में भी आपराधिक कानूनों में सुधार पर विचार के लिए बनी मलीमथ समिति ने धारा ४९७ को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सलाह दी थी। मगर सरकार ने सिफारिशों पर गौर नहीं किया।

४. २०१७ :- इटली में रहने वाले केस के ४१ साल के विज्ञानसमैन जोसेफ शाइनी ने दिसम्बर २०१७ में सुप्रीम कोर्ट में धारा ४९७ को लैंगिक जनहित धार्मिक दायित्व की थी। शाइनी ने ४० वर्षों की यानिका में धारा ४९७ को भेदभाव और महिलाओं के खिलाफ कस करने वाला कानून बताया था।

आई.पी.सी. की धारा ४९७ के तहत व्याभिचार को अपराध की श्रेणी में तो रखा गया है, लेकिन से अपराध महज पुरुषों तक ही सीमित है। इस मामले में महिला को अपराधी नहीं माना गया है। इस धारा के तहत अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ रजामंदी से संबंध बनाता है, तो उस महिला का पति एडल्टरी के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। उसे ५ साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। १८६० में बने इस कानून के मुताबिक कोई भी महिला अपने पति को किसी पगई स्त्री से व्याभिचार करने पर सजा नहीं दिलवा सकती थी। केवल व्याभिचारिणी औरत का पति ही उस पुरुष के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता था।

१५८ साल पुराने इस विवाहेतर संबंध कानून की कहानी कॉफी टिलचरस है। विवाहेतर संबंध के अपराध को १८३७ में थॉमस ब्राविंगटन मैकॉले यानो लार्ड मैकॉले की अध्यक्षता में तैयार भारतीय दण्ड संहिता (आई.पी.सी.) के पहले ड्राफ्ट में स्थान नहीं मिला था। हार्थिक कानून आयोग ने १८४७ में दण्ड संहिता पर अपनी दूसरी रिपोर्ट में अलग गय दी। आयोग ने कहा कि हम विवाहित महिला के साथ व्याभिचार के लिए अपने संज्ञान को सीमित कर देंगे।



था इसमें स्त्रियों की भूमिका को सिर्फ सेक्स के लिए सहमति देने तक सीमित कर दिया गया है। असहमति में सेक्स बलात्कार की श्रेणी में आता है। पर जब स्त्री संबंध बनाने की सहमति से भागीदार है तो फिर सजा में क्यों नहीं। अमेरिका ने बनाया था अडल्टरी कानून बनाया था लेकिन उन्होंने इसे कभी अपराध नहीं माना। फौरन में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि भारत ने ब्रिटेन को कानून को बड़े हिसरे को अपनाया है। लेकिन उस देश ने कभी भी एडल्टरी को अपराध नहीं माना।

सत्रिभान पीठ में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर आर. एफ. नगीमान, बी. आई. नंदमूड और इंदु मल्होत्रा शामिल थी। बेंच ने 243 पेज में चार अलग-अलग फैसले लिखकर एकमत से भाग 493 को अंतर्भावित कर दिया।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए. एम. खानविलकर ने कहा कि महिला को मजबूर नहीं कर सकते कि वह पुरुष या समाज की तरह ही सोचे। पति अपनी पत्नी का मालिक नहीं है। ऐतिहासिक धारियाँ खत्म करने का वक्त आ गया है। जिस पति को वे अपना स्वामी मानती रही है। वह अब न तो उसका 'मालिक' है और न ही वह उसकी कोई 'जागीर' उसके शरीर पर सिर्फ उसका (महिला का) ही हक है, और अगर वह किसी बाहरी पुरुष या पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध कायम करती है तो ऐसा करना उसके या उस बाहरी पुरुष के लिए अपराध नहीं माना जायेगा। पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस तरह के विवाहेतर संबंधों के लिए तलाक का प्रावधान कानून में पूर्व की तरह कायम रहेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पुराने कानून के कुछ प्रावधानों को बनाये रखने हुए विवाहित महिलाओं को एक नई 'शारीरिक आजादी' प्रदान करना है।

अब किसी और को पत्नी से संबंध बनाने वाले पुरुष पर किसी तरह का केंस दर्ज नहीं हो सकेगा। मतलब यह है कि भाग 493 में अब कोई नया केंस दर्ज नहीं होगा। मगर कानून के कई जानकारों का मानना है कि केंस इस श्रेणी में दर्ज नहीं हुआ तो अगर दूसरे तरह के अपराधों के ग्राफ पर नजर आना तय है। खासकर सेडुलेशन तथा दुर्कर्म के ग्राफ पर। दरअसल सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस को देखकर अहसास

होता है कि एडल्टरी में सजा का प्रावधान शरीर जीवनस्तर को ध्यान में रखकर खत्म किया गया है। मगर भारत की 60 प्रतिशत आबादी तो गांवों में बसती है। वहाँ दागना, जातिवाद, गर्भव्या, अश्लीलता आज भी है।

चरित्रशंका के मामले भी जजों को सजा देने सामने आते हैं। यहाँ खाम पंचायत के फैसले दे देती है। अब तक के लिए कानून में कोई भी सन्नाई होती थी वे पुरुष या कहे गए पुरुषों के मगर अब इनका हक महिला के ऊपर है। वे पति के दबाव में पत्नी को बाहरी पुरुष से संबंध 348 यानी सेडुलेशन पर केंस दर्ज करवाए जा सकते हैं। फिर भाग 348 यानी दुर्कर्म का कानून लागू होने की बात नहीं माननी के नैतिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं, इतने पर भी केंस दर्ज न सिद्धता के कारण ही सकता है।

विधि आयोग ने 2002 में पेश अपनी 12 वीं रिपोर्ट में सरकार से इस कानून को लैंगिंग डुकाव से मुक्त करने को सिफारिश की थी। इसके बाद 2003 में भी आपराधिक कानूनों में सुधार पर विचार के लिए बनी मल्लोथ समिति ने भाग 493 को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सलाह दी थी। मगर सरकार ने सिफारिशों पर गौर नहीं किया।

इस पुराने कानून में महिला मूकदर्शक बनी रहती थी उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह दावा है कि उसके पाने जजों ने महिला सम्मान की रक्षा कर दी है। उसने ब्याभिचार को अपराध मानने से मना कर दिया है। यानी कोई आदमी उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाये या ब्याभिचार करे तो वह उसे सजा नहीं दिला सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी महिला और पुरुष से आपस में सहमति हो जाये तो वे ब्याभिचार कर सकते हैं, यह अवैध नहीं होगा। हाँ यदि विवाहेतर संबंध आत्महत्या का कारण बन जाये तो अदालत उस पर विचार कर सकती है।

लेकिन यदि किसी भी महिला पुरुष के बीच यदि विवाहेतर दैहिक संबंध कायम किये जाते हैं तो उन्हें न तो वैध माना जा सकता है और न ही नैतिक। पांच जजों की बेंच ने कानून रद्द करते हुए जो अहम बातें कही है। स्त्री के शरीर पर सिर्फ उसका हक है।

के कानून पुरुष प्रधान समाज की सोच का नतीजा है।
• महिला बाहरी पुरुष से संबंध बनाती है, तो यह उसका अधिकार है वह पति की जागीर नहीं हो सकती।

• शादी का मतलब यह नहीं है कि महिला अपनी सेक्सुअल ऑटोनामी पुरुष को सौंप दे।

• यह कानून महिला की आजादी के खिलाफ है, इसलिए इसे खत्म करना जरूरी है।

• पवित्रता सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये पतियों पर भी समान रूप से लागू होती है।

• जब स्त्री संबंध की सहमति और संबंध बनाने में भागीदार है तो फिर सजा सिर्फ पुरुष को क्यों?

• कानून कहता है कि महिलाये उकसाती या संबंध की शुरुआत नहीं करती, यह बात भी एकतरफा है।

दुनिया के ६० से ज्यादा देश एडल्टरी खत्म कर चुके है :-

दक्षिण कोरिया :- २०१५ में विवाहेत्तर संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।

जापान :- १९४७ में ही इसे खत्म कर दिया।

फिलीपींस :- यहाँ ४ महीने से लेकर ६ साल तक की सजा का प्रावधान है।

सऊदी अरब :- पत्थर मार-मारकर जान से मारने की सजा का प्रावधान है।

पाकिस्तान :- ऐसे मामलों को २ श्रेणियों में बाटा जाता है। गंभीर विवाहेत्तर संबंध अवैध है, पर कई राज्यों में यह अपराध है। सजा आजीवन कारावास भी हो सकती है।

ब्रिटेन :- यहाँ एडल्टरी अपराध नहीं है, लेकिन इसे तलाक लेने की बड़ी वजह बताया गया है। १७०७ में मुख्य न्यायाधीश जॉन हाल्ट ने व्याभिचार को हत्या के बाद सबसे गंभीर अपराध बताया था। इस्लामी कानून के अनुसार व्याभिचार को सिद्ध करना आसान नहीं है, क्योंकि वह ४ गवाहों के सामने प्रत्यक्ष किया हुआ होना चाहिए। अफगानिस्तान के पठान कट्टर मुस्लिम होते हुए भी शरिया के इस प्रावधान को नहीं मानते व्याभिचार के मामलों में पशुनवाली चलाते हैं और कठोरतम सजा देते हैं।

इंग्म मर्गोह का मानना था कि पुरुष का पगड़ें महिला को ओर कामातूर नजरो से देखना भी पाप या अपराध की श्रेणी में आता है। पर जब एक महिला को अडल्टरी के अपराध में यहूदी कानून के मुताबिक पत्थरों से मारने की सजा सुनायी जाती है तो वे ही इंग्म मर्गोह फरमान देते है कि पहला पत्थर वह व्यक्ति चलाये, जिसने कभी कोई अपराध न किया हो। इसके बाद कथित व्याभिचारिणी सजा पाने से बचा जाती है। कृत्य का भागीदार पुरुष तो पहले से ही बचा हुआ रहता है।

मनुस्मृति और अन्य स्मृतियों में व्याभिचार को अत्यंत धृणित अपराध कहा गया है। मनु और याज्ञवल्क्य ने व्याभिचारी व्यक्ति के लिए ऐसी सजा का प्रावधान किया है, जिसे पड़कर नोट खड़े हो जाते है। हमारी स्मृतियों में प्रागैतिक संबंध को बहुत दूर की बात है, स्त्री-पुरुष संबंधों में अनेक वारिक मर्यादाओं काश भी प्रावधान है।

यदि विवाहेत्तर संबंध इसलिए होता है कि संतानोत्पत्ति की जाय तो इसे हमारे प्राचीन शास्त्रों में नियोग कहा गया है।

इस तरह के मुक्त यौन-संबंधों से समाज में विवाह और परिवार नामक पवित्र संस्थाये नष्ट हुए बिना नहीं रह सकती। लिव इन रिलेशनशिप के बाद यह कानून महत्वहीन हो गया था, ऐसा जज का विचार है। शादियों के पंजीकरण की अब आवश्यकता नहीं है। मुक्त यौन संबंध समाज में अनेक कानूनी और नैतिक उलझने पैदा कर देंगे। यह महिला को भी पुरुष के जैसे स्वेच्छाचारी और निरंकुश बना देगा। यह प्रवृत्ति भारतीय परंपरा और संस्कृति के प्रतिकूल है। यह प्रकृति वैध तो है परन्तु नैतिक नहीं। २७ सितम्बर २०१८ को समाप्त हुए कानून का समाज पर तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव अवश्यम्भावी है।

संदर्भ :-

१. दैनिक भास्कर दिनांक २८.०९.२०१८।
२. दैनिक भास्कर दिनांक २९.०९.२०१८।
३. दैनिक भास्कर दिनांक ०१.१०.२०१८।
४. दैनिक भास्कर दिनांक ०३.१०.२०१८।
५. नेट द्राग प्राप्त सामग्री।
६. लेखक के स्वयं का अपना चिन्तन और विचार।



Silver ion conducting solid polymer electrolytes: Synthesis and ion transport studies

Angesh Chandra^{a*}, Archana Chandra^a, R S Dhundhel^a, Alok Jain^a, Kiran Thakur^b, S S Thakur^c,
Subhashis Basak^d, M Z Khan^d & Alok Bhatt^e

^aShri Shankaracharya Institute of professional Management and Technology, Raipur, Chhattisgarh, 492 015, India

^bDepartment of Chemistry, Govt. Pataleswar College Masturi, Bilaspur,
Chhattisgarh, 495 551, India

^cDepartment of Chemistry, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, Chhattisgarh, India

^dDr. C V Raman University, Kargi Road, Kota, Bilaspur, Chhattisgarh, India

^eBharti College of Engineering and Technology, Durg-491 001, Chhattisgarh, India

Received 26 February 2020; accepted 22 July 2020

A new silver ion conducting Polyethylene Oxide (PEO) based solid polymer electrolyte (SPE) films: (1-x) PEO: xAgCl, where $0 \leq x \leq 70$ in wt.%, are synthesized by using a new hot-press and traditional solution-cast techniques. The electrical conductivity of the SPE increased with the concentration of salt AgCl. The optimum conducting composition (OCC): 70PEO: 30AgCl with ionic conductivity (σ) $6.0 \times 10^{-7} \text{ Scm}^{-1}$ have been determined at room temperature. The increase in ionic conductivity has been explained with the help of ionic mobility (μ) and mobile ion concentration (n) studies. To explain the ionic nature of the present system, ionic transference number (t_{ion}) measurement has been carried out at room temperature.

Keywords: Solid polymer electrolyte, hot-press technique, ionic conductivity, ionic mobility, ionic transference number.

Introduction

Solid polymer electrolytes with high ionic conductivity have been a subject of great interest in recent years in the area of polymer research due to theoretical interest as well as practical importance for the development of all-solid-state mini/micro electrochemical power sources viz. rechargeable batteries, electrochromic display devices, and fuel cells, super capacitors and other applications¹⁻³. Solid polymer electrolyte (SPE) have been quite attractive because this can lead to flexible, compact, laminated solid state structure, free from leaks and available in different geometries⁴. Pure Poly ethylene oxide (PEO) polymers often exhibit poor electrical conductivity (PEO) but it dissolves in high concentrations a wide variety of salts to form polymeric electrolytes⁵⁻⁷. Recently Park *et al.* studied the differences between the performance parameters for dye-sensitized solar cells (DSSCs) using liquid and poly (ethylene oxide)-based solid polymer electrolytes⁸. The conductivity of SPE was found to depend upon the concentration and particle size of the inert phases⁸⁻⁹. In PEO polymer,

cations are coordinated with the polymer chain. Physical properties can be changed by changing the chemical composition. The polymer electrolyte plays a role of a solvent for ions that shows a liquid-like degree of freedom¹⁰⁻¹¹. SPE films are usually prepared by the traditional 'solution cast' technique however in the recent years a completely dry procedure known as 'hot-press' technique, has been developed for casting dry polymer electrolyte films¹²⁻¹⁵. Polyethylene oxide (PEO) can be complexed with wide variety of ionic salts with the only requirement of selecting those having large anions and delocalized charge, to assure the stability of the complex¹⁶. The several researches on silver-ion polymer electrolytes has been reported, such as poly ethylene oxide (PEO) and polyvinyl alcohol (PVA) based polymer salt complexes comprising AgCF_3SO_3 , AgNO_3 , AgI , Ag_2O etc¹⁷⁻¹⁹. The present investigation reports, synthesis and ion transport studies of a new Ag^+ ion conducting solid polymer electrolytes (SPEs): (1-x) PEO: x AgCl, where $0 \leq x \leq 70$ wt.%.

Experimental

SPE films of different salt concentrations: (1-x) PEO: x AgCl, where $0 \leq x \leq 70$ wt.%, have been casted

*Corresponding author: (E-mail: chandrassi@gmail.com)



Issue-74, Vol-02, March 2021

Printing Area

International Peer Reviewed Referred Research Journal

ISSN 2394-5303

Editor
Dr. Bapu G. Gholap

14]	Human Resources Development for Agricultural Sector in India Dr. Krishan Deo Pandey, Gorakhpur	63
15]	PHYSICAL EDUCATION TEACHERS' USE OF AND FEELING FOR..... Prof. Ubale Rahul Vasantrao, Kolhar	66
16]	उच्चशिक्षणापुढील आव्हाने Dr. Shital Dinkarrao Adgaonkar	70
17]	भारताची कृषी क्षेत्रातील अनुदान निती प्रा. डॉ. कार्तिक पोळ, तुळजापूर	74
18]	न्यूटनचे गतीविषयक नियम व खेळ यांचा सहसंबंधात्मक अभ्यास प्रा. डॉ. खुशाल पांडुरंग वाघमारे, घोणसी	76
19]	आण्णा भाऊ साठे चरित्र आणि कार्य डॉ. गजानन देवराव चिट्टेवाड, चिंचोली (लि.)	79
20]	जात्यावरील आंबी : व्याख्या, स्वरूप आणि प्रभाव प्रॉफेसर डॉ. मदाशिव सरकटे, शिवाजी नगर, गढी ता. गवराई जि. बीड	82
21]	अपभ्रंशपूर्ण साहित्याचा मराठी साहित्यावरील प्रभाव प्रा. डॉ. लक्ष्मण गित्ते, नांदुरघाट	89
22]	वारकरी कीर्तन : एक लोककला येवले जालिंदर एकनाथ	91
23]	शिक्षणशास्त्र महिला महाविद्यालयातील विद्यार्थी शिक्षिकांच्या समाजमाध्यमांच्या श्रीमती प्रतिभा उरसळ	94
24]	भंडितंत्र द्वारा हत्या (Mob Lynching) डॉ. श्रीमती शारदा दुबे, डॉ. श्रीमती दुर्गा बाजपेयी, मस्तूरी	100
25]	"बुन्देलखण्ड के उपन्यासों में दर्शन तत्व" डॉ. नीरज गुप्ता, अनिल कुमार दुबे, (उ.प्र.)	102
26]	भारतीय समाज में स्त्री के विरुद्ध हिंसा स्थिति पर परिदृश्य डॉ. पुरुषोत्तम भगवंता मनगटे, चिंचोली (लि.)	105

INDEX

01]	ROLE OF WOMEN IN MAKING THE PROSPECTIVE OUTLOOK..... Jyothirmayi Talaparathi	11
02]	"One nation, one election: current scenario and future prospect" Satish Khajuria	15
03]	WOMEN ENTREPRENUERSHIP IN INDIA, INTRODUCTION, Dr. Jyoti Mishra	19
04]	An approach to Buddhist concept on Economics Dr. Nilima Chawhan, Panyazawta , Meerut	22
05]	Tribal Women Workers in Unorganized Sector: Problems & Legal Manoj Kumar Sadual, Girish Ranjan Sahoo, Bhubaneswar	25
06]	Sulphonatedgraphene oxide catalyzed efficient synthesis of..... Mantosh B. Swami, Latur	30
07]	Enzymaticstudy of Fungi, isolated from Spices Tugaonkar S. G, Nanded	34
08]	The Learning Disabilities in School Achievements Satya Murti Burle	37
09]	Relative Effectiveness of Learner-Content Interaction, Rakesh Devara, Alirajpur	40
10]	DEVELOPMENT & EFFECTIVENESS OF CONCEPT MAPPING Dr. Gandhi Pushkar Sunil	45
11]	Schools For Today: J. Krishnamurti's Perspective Dr. Rakhi & Dr. Nidhi Gulati, Lucknow.	48
12]	Modifications and variations on various Cloud Ayushi Gupta, Reasi	51
13]	Awareness of Secondary School Teachers' towards Dr. Prashant Kale & Mrs. Shashikala Patel, Mumbai	60

भीड़तंत्र द्वारा हत्या (Mob Lynching)

डॉ. श्रीमती शारदा दुबे

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र

शासकीय बिलासा कन्या स्वशासना स्नातकोत्तर
कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. श्रीमती दुर्गा बाजपेयी

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र

शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय
मस्तूरी, बिलासपुर (छ.ग.)

Mob Lynching बिना किसी व्यवस्थित न्याय प्रक्रिया के किसी अनौपचारिक अप्रशासनिक समूह द्वारा की गई हत्या या शारीरिक प्रताड़ना को कहा जाता है। इस शब्द का उपयोग अक्सर एक बड़ी भीड़ द्वारा अन्यायिक रूप से किसी कथित अपराधियों को दंडित करने के लिए या किसी समूह को धमकाने के लिए सार्वजनिक हत्या या अन्य शारीरिक प्रताड़ना को दर्शाने के लिये किया जाता है।

Mob का अर्थ भीड़ होना है और लिंचिंग का अर्थ गैरकानूनी ढंग से प्राणदंड देना इस प्रकार भीड़ के द्वारा दिया गया मृत्यु दंड इसका अर्थ हुआ। भीड़ की कोई शकल और मानसिकता नहीं होती है, लेकिन इन दिनों इस भीड़ ने अपना एक नया तंत्र खड़ा कर लिया है, इस तंत्र में कानून को धता बताकर तत्काल न्याय किया जाता है, बिल्कुल आदिम समाज की तर्ज पर। इन घटनाओं को सिर्फ हिन्दू मुस्लिम या बीजेपी-कांग्रेस के चश्मे से देखना बेगानी होगा। हत्या का कारण, मरने वाले का नाम, धर्म, जाति, मारने की वजह और जगह का नाम बदलते जाइये, फेहरिस्त लंबी होती जायेगी। सिर्फ नहीं बदलेगा तो आरोपी, सभी वाक्यों में

आरोपी को जगह सिर्फ एक ही नाम है भीड़। इसके तमाम राजनैतिक कानूनी और मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, कई दफा अदालतों पर से उठता विश्वास, लंबी कानूनी प्रक्रिया की बेगैनी और पुलिस का स्थापित धरिया खैया भीड़ की हत्यारी मानसिकता के लिए उर्वरक का काम कर जाता है। भीड़ को भरोसा ही नहीं होता है, कि आरोपी को सजा और खुद उन्हें इंसाफ मिल सकेगा। इसलिए गुस्से और बहकावों में आकर भीड़ मूर्खतापूर्ण ढंग से हत्यारी भीड़ में तब्दील हो जाती है। लेकिन भीड़तंत्र की इस न्याय व्यवस्था को सिर्फ अदालत और पुलिस की नाकामी भर मान लेना जल्दबाजी होगी। असल में हमने नैतिकता और मर्यादा से चलने वाले समाज की वजाय कानूनी लाठी से हँका जाने वाले असहिष्णु कुनवा ही खड़ा किया है। हम में से अधिकांश लोगों को इस बात का कतई यकीन नहीं है कि सिर्फ एक आम नागरिक को हैसियत से भी हमें इंसाफ मिल सकता है। इसीलिए संगठनों की अहमियत बढ़ गई है। एक नागरिक जब सिर्फ एक नागरिक के तौर पर गुहार लगाता है तो उसे अनसुना कर दिया जाता है, उसकी सुनवाई तो तभी होती है। जब व किसी संगठन का सदस्य बनकर दबाव बनाने में कामयाब होता है। कई दफा भीड़ भी जल्दबाजी में खड़ा अव्यवस्थित संगठन ही होता है। इस तरह की घटनाओं में आमतौर पर ये संदेश देने की कोशिश भी की जाती है कि हम कानून से नहीं डरते इसी कारण से देखने में आता है कि ऐसी घटनाओं की बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाती है। सिर्फ अपना रौब और खौफ पैदा करने के लिए, जिस भीड़ की हिंसा का बार-बार जिक्र किया जाता है उसकी असली ताकत भी सबकुछ चुपचाप देखने वालों को बांधे और सिर झुकाए हुए सड़कों के किनारों पर स्थित प्रज्ज भाव से खड़ी हुई यह भीड़ ही है जो हर एक परिस्थिति में बस अपनी मुद्दियों को बांधे ही नजर आती है, वह किसी भी तरह की कोई दुख, पीड़ा या मूक विरोध भी व्यक्त नहीं करती।

राजनीतिक कारणों को तो अनदेखा किया

ही नहीं जा सकता। नेता जानते हैं कि भूखे को भड़काना आसान होता है। यही भीड़ राजनीतिक सत्ताओं के लिए भी असली ताकत का काम करती है।

बच्चा पकड़ने के शक में, गोहत्या के शक में माँब लिचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बच्चा चोरी की १० घटनाओं में ८ लोगों की मौत हो गई पुलिस ३ लोगों को गिरफ्तार कर पाई है। नासिक में भीख मांगने आये ५ लोगों को भीड़ ने पीटा १३ लोग गिरफ्तार हुए। सबसे ताजा मामला पालघर का है, जहाँ साधु की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। अलवर के बहरोड़ में गो रक्षा बल और भीड़ ने गो तस्करी के संदेह में छह वाहनों को रोका और लोगों से मारपीट की।

२२ जून २०१७ को जुनैद की ट्रेन की सीट में बैठने को लेकर हुए विवाद में नई दिल्ली से मथुरा जा रही शटल ट्रेन में हत्या कर दी गई थी इस हत्याकांड में पलवल के खांदी गांव निवासी ६ लोग आरोपी बनाये गए।

२८ सितम्बर २०१५ को ग्रेटर नोएडा के बिसाहड़ा गांव में कुछ युवकों ने अखलाफ की हत्या कर दी थी, घर में गो मांस रखने के आरोप में पुलिस ने १८ लोगों को आरोपी बनाया जिसमें ३ नाबालिग थे।

पंजाब के वटिंडा में ९ जून २०१७ को तलवंडी साबो कस्बे में एक युवक को नशा बेचने के आरोप में भीड़ ने निशाना बनाया।

माँब लिचिंग को लेकर देश की कुछ हस्तियों द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया कि नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार किस तरह देश में मुस्लिमों, टलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराध बढ़े हैं, और अस्पृश्यता के माहौल के कारण निरपराध लोगों की हत्याएँ हो रही हैं। दूसरे समूह द्वारा भी पत्र लिखकर सवाल उठाया गया कि देश के ये 'स्वयंभू गार्जियन' आतंकी हिंसा और नक्सलियों द्वारा गरीबों पर अत्याचार के खिलाफ चिट्ठी क्यों नहीं लिखते। वीते कुछ वर्षों में माँब लिचिंग की बढ़ती

घटनाओं ने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शोषित वर्गों और हासियें पर मौजूद समुदायों के मध्य एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। वर्ष २०१८ में सर्वोच्च न्यायालय ने लिचिंग को भीड़तंत्र के एक भयावह कृत्य के रूप में संबोधित करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को कानून बनाने के दिशा-निर्देश दिये थे।

लिचिंग के कारण :- भारत में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली हिंसा की जड़े काफी मजबूत हैं। वर्तमान में लगातार बढ़ रही लिचिंग की घटनाएँ अधिकांशतः अस्पृश्यता और अन्य धर्म तथा जाति के प्रति घृणा का परिणाम हैं।

देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अविश्वास की एक गहरी खाई है, जो कि हमेशा एक-दूसरे को संशय की दृष्टि से देखने के लिए उकसाती है और मौका मिलने पर वे एक-दूसरे से बदला लेने के लिए भीड़ का इस्तेमाल करते हैं।

लिचिंग में संलिप्त लोगों को गिरफ्तारी न होना देश में एक बड़ी समस्या है, जिससे अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है।

संवैधानिक प्रावधान :- भारतीय दंड संहिता (IPC) में लिचिंग की घटनाओं के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर किसी तरह का स्पष्ट उल्लेख नहीं है और इन्हें धारा (३०२ हत्या) ३०७ (हत्या का प्रयास), ३२३ (जानबूझकर घायल करना) १४७-१४८ (दंगा-फसाद), १४९ (आज्ञा के विरुद्ध इकट्ठे होना) तथा धारा ३४ (सामान्य आशय) के तहत ही निपटाया जाता है।

CRPC में भी इस संबंध में कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है।

भीड़ द्वारा की गई हिंसा की प्रकृति और उत्प्रेरण सामान्य हत्या से अलग होते हैं, इसके बावजूद भारत में इसके लिए अलग से कोई कानून मौजूद नहीं है।

प्रभाव :- माँब लिचिंग जैसी घटनाएँ पूर्णतः गैर-कानूनी और संविधान में निहित मूल्यों के विरुद्ध होती हैं, ऐसे में यदि इन पर रोक नहीं

लगाई जाती है तो आम जनता का संविधान और न्यायपालिका से विश्वास उठ जायेगा।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद २१ में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। मॉब लिचिंग से व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होना है।

यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो कानून द्वारा उसे सजा न देकर यदि भांड द्वारा हत्या कर दी जायेगी तो भारत में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए समय रहते सावधान हो जाये।

संदर्भ :-

१. दैनिक समाचार पत्र।
२. नेट के माध्यम से प्राप्त सामग्री।
३. लेखक के स्वतंत्र विचार।

□□□

25

“बुन्देलखण्ड के उपन्यासों में दर्शन तत्व”

शोध निर्देशक

डॉ. नीरज गुप्ता

(सहायक आचार्य)

गोरनामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, चित्रकूट कर्वा (उ.प्र.)

शोधार्थी

अनिल कुमार दुबे

हिन्दी विभाग

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी (उ.प्र.)

दर्शन -

दृश धातु से ल्युट् प्रत्यय की योजना करने पर 'दर्शन' शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है देखना। परन्तु यह देखना 'सामान्य देखना' नहीं है— वस्तुतः दर्शन कुछ सिद्ध महात्माओं के देखे हुए सत्यों का पुनः स्थापन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसी अभिप्राय से लिखते हैं। — 'यह देखना' तब वास्तविक होगा जब वह केवल इन्द्रिय द्वारा, प्राण द्वारा, मन द्वारा यहाँ तक कि बुद्धि द्वारा भी द्रष्ट स्थूल तथ्यों को पीछे छोड़ कर उस वस्तु के द्वारा देखा गया हो, जो आनन्द रूप है, जो सबके परे और सबसे सूक्ष्म है। षड् दर्शनों में वेदान्त सर्वाधिक मान्य है, जिसमें उपर्युक्त आधार पर पाँच अर्थों पर विचार किया जाता है— (१) ब्रह्म या ईश्वर का स्वरूप (२) आत्मा या जीव का स्वरूप (३) ईश्वर प्राप्ति के उपाय (४) ईश्वर प्राप्ति का फल (५) प्राप्ति विरोध अर्थात् माया या अविद्या। इन्हें अन्य शब्दों से इस प्रकार कह सकते हैं — (१) ईश्वर (सगुण—निर्गुण) (२) आत्मा या